

CENTRAL INDUSTRIAL SECURITY FORCE

NOTICE

RECRUITMENT OF CONSTABLE/TRADESMEN - 2024 IN CISF

Dates of submission of online applications: 05/03/2025 to 03/04/2025 Closing date: 03/04/2025 (upto 23:59 Hrs)

Online applications are invited from eligible Male & Female Indian citizens for filling up the temporary posts of CONSTABLE/TRADESMEN in Central Industrial Security Force in the Pay Level-3 (Rs.21,700-69,100/-) plus usual allowances as admissible to the Central Government employees from time to time. On their appointment, they shall be governed under CISF Act and Rules as well as Central Civil Services Rules applicable to other members of the Force from time to time. They shall be entitled for the pensionary benefits as per the "Defined Contributory Pension system known as the National Pension System" applicable to all employees joining service of Central Government on or after 1st January 2004. The recruitment process will consist of Physical Efficiency Test (PET), Physical Standards Test (PST), Documentation, Trade Test, Written Examination under OMR Based / Computer Based Test (CBT) mode and Medical Examination. The salient features of the recruitment are as under:-

- 1.1 Applications will be accepted through "Online" mode only.
- 1.2 Physical Efficiency Test (PET) / Physical Standard Test (PST)/ Documentation / Trade Test / Written Examination / Medical Examination will be scheduled and conducted.
- 1.3 Written Examination under OMR Based / Computer Based Test (CBT) mode will be conducted only in English and Hindi languages.
- 1.4 Verification of required eligibility certificates/ documents with the originals will be carried out at the time of PET/PST, Documentation and Trade Test.
- 1.5 Vacancies of Constable (Tradesmen) will be filled on regional basis.
- 1.6 Final result will be declared based on the performance of candidates in Written Examination subject to their qualification in the Physical Efficiency Test (PET), Physical Standard Test (PST), Documentation, Trade Test, Medical Examination and other conditions stipulated in this Notification.
- 1.7 Admit Card for any stage of examination will not be sent by post. Facility for downloading Admit Cards will be provided at the CISF Recruitment website https://cisfrectt.cisf.gov.in. Candidates are advised to regularly visit the website for the updates on examination process and download Admit Cards for each stage of examination.
- 1.8 10% of the vacancies will be preferably filled by the female candidates failing which the same will be filled by male candidates.
- 1.9 Cut-off date for determining the eligibility of the candidate:-

AGE		01/08/2025	
Educational Qualification/Caste Cer	tificate etc.	03/04/2025	

- 2. Pay Scale: Pay Level-3 (Rs.21,700-69,100)
- 3. Nationality/ Citizenship: Candidate must be a citizen of India
- 4. Vacancies:- Recruitment Sector wise/Trade wise/Category wise vacancies of Constable/Tradesman-2024 are as follows:-

Name of post / trade		Direct		ESM	G.Total
	Male	Female	Total		
Const. / Cook	400	44	444	49	493
Const. / Cobbler	07	01	08	01	09
Const./Tailor	19	02	21	02	23
Const. / Barber	163	17	180	19	199
Const. / Washer-man	212	24	236	26	2 62
Const. / Sweeper	123	14	137	15	152
Const. / Painter	02	00	02	00	02
Const. / Carpenter	07	01	08	01	09
Const. / Electrician	04	00	04	00	04
Const. / Mali	04	00	04	00	04
Const. / Welder	01	00	01	00	01
Const./Charge Mech.	01	00	01	00	01
Const./MP Attendant	02	00	02	00	02
Total	945	103	1048	113	1161

VACANCIES FOR DIRECT CANDIDATES (MALE) :-

Name of the post/Trade	Category	Northern Sector	NCR Sector	Western Sector	Central Sector	Eastern Sector	Southern Sector	North Eastern Sector- II	North Eastern Sector	Grand Total
Const/Cook	UR	19	30	23	11	18	33	17	6	157
	SC	7	11	9	5	7	13	7	2	61
	ST	4	6	4	3	3	7	4	2	33
	OBC	13	20	16	9	12	22	11	4	107
	EWS	5	8	6	4	5	8	5	1	42
	Total	48	75	58	32	45	83	44	15	400
Const/Cobbler	UR	1	1	1	0	1	1	1	0	6
	SC	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ST	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	OBC	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	EWS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total	1	1	1	0	1	2	1	0	7
Const/Tailor	UR	1	1	1	1	1	2	1	1	9
	SC	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	ST	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	OBC	1	1	1	0	1	3	2	0	9
	EWS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total	2	2	2	1	2	6	3	1	19
Const/Barber	UR	7	11	10	5	7	14	6	2	62
	SC	3	4	3	2	3	11	4	1	31
	ST	1	2	2	1	1	2	1	0	10
	OBC	5	8	6	4	5	9	5	2	44
	EWS	2	3	2	1	2	3	2	1	16
	Total	18	28	23	13	18	39	18	6	163
Const /	UR	9	15	13	5	9	16	10	3	80
Vasher-man	SC	4	7	5	3	4	7	4	1	35
	ST	2	3	2	2	3	3	2	1	18
	OBC	7	11	8	5	6	12	6	2	57
	EWS	3	4	3	2	2	5	2	1	22
	Total	25	40	31	17	24	43	24	8	212

Continued on page 34

Name of the	Category	Northern	NCR	Western	Central	Eastern	Southern	North Eastern	North Eastern	Grand
post/Trade	Category	Sector	Sector	Sector	Sector	Sector	Sector	Sector- II	Sector	Total
Const/Sweeper	UR	6	10	6	4	6	9	6	2	49
	SC	2	3	3	2	2	4	2	1	19
	ST	1	2	1	0	1	3	1	0	9
		'								
	OBC	4	6	5	3	4	7	4	1	34
	EWS	1	2	2	1	1	3	1	1	12
	Total	14	23	17	10	14	26	14	5	123
Const/Painter	UR	0	1	0	0	0	1	0	0	2
	SC	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ST	0	0	0	0		0	0	0	0
						0	36.50			
	OBC	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	EWS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total	0	1	0	0	0	1	0	0	2
Const/	UR	1	1	1	1	1	1	1	0	7
Carpenter	SC	0	0	0	0	0	0	0	0	0
oarpenter	///									
A	ST	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.	OBC	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A	EWS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A	Total	1	1	1	1	1	1	1	0	7
Const /	UR	0	1	0	0	0	1	0	0	2
Electrician	SC	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Liectrician										
	ST	0	0	1	0	0	0	0	0	1
	OBC	0	0	0	0	0	1	0	0	1
18 6	EWS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. 1980 A.	Total	0	1	1	0	0	2	0	0	4
Const / Mali	UR	0	0	1	0	0	1	0	0	2
Const / Wall			A	7.4	197 AV	Ba.	·			
	SC	0	1	0	0	0	0	0	0	1
	ST	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	OBC	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	EWS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total	0	1	1	0	0	2	0	0	4
		//	7 /4	- 1	40					
Const/ Welder	UR	0	1	0	0	0	0	0	0	1
	SC	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ST	0 /	0	0	0	0	0	0	0	0
	OBC	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	EWS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 13		4								
1	Total	0	1	0	0	0	0	0	0	1
Const/ Charge	UR	0	0	0	1	0	0	0	0	1
Mech	SC	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ST	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2.2)	OBC	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								4		
	EWS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total	0	0	0	1	0	0	0	0	1
Const/ MP	UR	0	1	0	1	0	0	0	0	2
Attendant	SC	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	ST	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	OBC	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								The second secon		
	EWS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total	0	1	0	1	0	0	0	0	2
	G.Total	109	175	135	76	105	205	105	35	945
ACANCIES FOR	R DIRECT CAN	DIDATES (FEMA	ALE):-					4.3	6:	
Name of the	Category	Northern	NCR	Western	Central	Eastern	Southern	North Eastern	North Eastern	Grand
post/Trade	category	Sector	Sector	Sector	Sector	Sector	Sector	Sector- II	Sector	Total
Const / Cook	UR	1		2	2	1		1		14
Jonst / Cook			2			<u>'</u>	4		1	
	SC	1	2	1	1	1	1	2	0	9
	ST	1	1	1	0	1	1	0	0	5
	OBC	1	2	1	1	1	2	1	0	9
	EWS	1	1	2	0	1	1	1	0	7
	Total	5	8	7	4	5	9	5	1	44
2 112 - 1 - 1			4							
Const/Cobbler	UR	0	1	0	0	0	0	0	0	1
	SC	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ST	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	OBC	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						_				
	EWS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total	0	1	0	0	0	0	0	0	1
Const/Tailor	UR	0	1	0	0	0	1	0	0	2
	SC	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ST	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	OBC	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	EWS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	EVVO	0	•	Ü		"			0	

Continued from pa	ige 34									
Name of the post/Trade	Category	Northern Sector	NCR Sector	Western Sector	Central Sector	Eastern Sector	Southern Sector	North Eastern Sector- II	North Eastern Sector	Grand Total
Const/Barber	UR	1	2	1	1	1	2	0	1	9
	SC	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	ST	0	0	0	0	0	0	1	0	1
	OBC	1	1	1	0	1	1	1	0	6
	EWS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total	2	3	2	1	2	4	2	1	17
Const /	UR	2	1	2	1	2	2	1	0	11
Washer-man	SC	0	1	1	0	1	1	0	0	4
	ST	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	OBC	1	1	1	1	0	1	1	1	7
	EWS	0	11	0	0	0	1	0	0	2
	Total	3	4	4	2	3	5	2	1	24
Const/	UR	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Carpenter	SC	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ST	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	OBC	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	EWS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total	0	0	0	0	0	1	0	0	1
Const /	UR	1	1	1	1	1	0	2	1	8
Sweeper	SC	1	0	0	0	0	0	0	0	1
	ST	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	OBC	0	1	1	0	1	2	0	0	5
67	EWS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
X	Total	2	2	2	1	2	2	2	1	14
	G.Total	12	19	15	8	12	22	11	4	103

١	ACANCIES	FOR	FX-SFRVICEM	FN:

SI. No.	Name of the post / Trade	Total No. of vacancies
1	Const / Cook	49
2	Const / Cobbler	1
3	Const / Tailor	2
4	Const / Barber	19
5	Const / Washer man	26
6	Const / Sweeper	15
7.	Const/ Carpenter	1
	TOTAL	113

[Abbreviations used are: UR- Unreserved, EWS - Economically Weaker Sections, OBC - Other Backward Class, SC- Scheduled Caste, ST- Scheduled Tribe, ESM-Ex. Servicemen and Const - Constable]

- 4.1 The number of vacancies given above are tentative and may increase or decrease at any time/stage of recruitment process, due to administrative reasons. The revisions in vacancies, if any, will be notified at any stage prior to declaration of final resultby displaying the same on CISF recruitment website i.e. https://cisfrectt.cisf.gov.in.
- 4.2 Reservation for SC/ST/OBC/EWS/Ex-servicemen categories is available as per extant Government orders. The candidates of any reserved category (SC/ST/OBC/EWS) may apply as a Unreserved Category candidate due to non-availability of vacancy in any particular trade or other reasons subject to fulfilling terms and conditions applicable for Unreserved Category like age, height etc.
- 4.3 There will be restriction of domiciliary status for recruitment to the above posts. The candidature of candidate belonging to States as mentioned in Column-2 of table below para-8.2 of this Notification will only be considered for respective Recruitment Sector as mentioned in Column-3 of said table, on production of valid "Domicile certificate" to prove their domiciliary status, issued by the competent authorities so authorized by the concerned State at the time of document verification failing which their candidature will be cancelled forthwith and they will not be allowed to participate in further process of recruitment.
- 4.4 The notification has been issued incorporating vacancies of States falling within jurisdiction of respective Recruitment Sector. A candidate has to apply only against such advertised vacancies of his/her home State and Recruitment Sector to which he/she belongs.
- **4.5** Candidates selected for appointment are liable to serve anywhere in Indian Territory and abroad.
- 4.6 Wards of CISF personnel residing with their parents at a place other than their domiciled State / Recruitment Sector may also apply & appear from recruitment centre where their father/mother is posted. However, they will be considered against vacancies of their actual domicile Home State given under the Recruitment Sector only. To avail this concession, they have to submit photocopy of certificate issued from the Unit Commander as per format annexed to this notification (Annexure-X). However, they will not be entitled to avail any relaxation of the State/Recruitment Sector from which they are appearing if they are not actually domiciled in such State/Recruitment Sector. Eligibility / relaxation of such candidates will be considered as applicable to them as per their domicile state given under the Recruitment Sector.
- 4.7 Candidates are advised to submit their application for one trade only. If the candidate submits multiple applications for two/more Trades, only the first application will be processed further.
- 4.8 While filling up online application form, candidates must ensure to fill the correct identity Card Number in his/her application (i.e. AADHAR Number, Driving License, Voter ID Card, Identity Card issued by University/College or Income Tax Pan Card Number). The same will be produced at the examination centre during each event. Biometric data of candidates will be recorded during the 01st stage of recruitment and will be utilized during subsequent stages of recruitment for verifying their identity.

- 4.9 Candidates should bring all their original educational/experience/caste/domicile certificates and other testimonials at the time of PET/PST, documentation & trade test for proper checking /scrutiny. If any candidate fails to submit any requisite document in support of his/her eligibility, his/her candidature will be rejected straightaway and no appeal will be accepted against his/her rejection for conducting documentation on any other day and they will not be allowed to participate in further process of recruitment.
- **4.10** The posts are combatised and purely temporary in nature but likely to become permanent.
- 4.11 Caste certificates having the following details in respect of reserved category candidates may be accepted as per prescribed proforma and the candidates may be allowed to continue in recruitment process against vacancy of respective reserved category:-
- a) Name of candidate, Father's name, locality/village/town from where they belong.
- b) Certificate issued by the appropriate/prescribed authority.
- c) Authority of Govt. of India resolution is correctly mentioned in caste certificate which justifies that claim of individual against reserved category is genuine.
- d) Caste as mentioned in the caste certificate of the individual is included in the central list as notified by Central Government for that category.
- **4.12** If suitable Ex-Servicemen candidates are not available, vacancies reserved for Ex-Servicemen will be filled up by candidates of non-Ex-Servicemen category.
- 4.13 Ex-servicemen, children/dependents of victims killed in 1984 Riots and Communal Riot of 2002 in Gujarat may submit their applications for recruitment in any Recruitment Sector. However, they have to produce the certificate from the District Collector / District Magistrate wherein the victim was killed.
- 5. Salient features :
- 5.1 Applications must be submitted in online mode at the official website of CISF i.e. https://cisfrectt.cisf.gov.in. No other mode of submission of application is allowed
- **5.2** Physical Efficiency Test (PET), Physical Standards Test (PST), Documentation, Trade Test, Written Exam and Medical Examination will be conducted by the CISF at various Recruitment Centres.
- 5.3 Application fee @ Rs.100/- from UR, OBC and EWS candidates will be charged. Female candidates and those candidates belonging to Scheduled Caste, Scheduled Tribe and Ex-servicemen categories are exempted from paying application fee.
- 5.4 The Call up letter/Admit card for all stages of recruitment as mentioned below will be issued to the candidates through online mode only at CISF recruitment website https://cisfrectt.cisf.gov.in with facility to download the same and will not be sent by post. i.e. for
- (a) PET/PST, Documentation & Trade Test
- (b) Written Examination
- (c) Detailed Medical Examination
 - Candidates are therefore advised to visit the CISF recruitment website https://cisfrectt.cisf.gov.in regularly for any update on the recruitment process. Candidates are required to bring the same while attending the test/examination.
- 5.5 The stages of recruitment process are as under:-
- a) PET/PST, Documentation & Trade Test.
- b) OMR Based /CBT mode written examination which will be bilingual i.e. Hindi & English.
- c) Detailed Medical Examination(DME)

Note: The sequence of the above stages may interchange at the discretion of CISF due to administrative reasons / prevailing circumstances. If written examination is conducted in the 1st stage, the number of candidates to be called for the 2nd stage would purely depend on merit in the written examination for which qualifying marks would be 35% for UR, EWS & Ex-Serviceman and 33% for SC/ST/OBC. However, it will not be mandatory to call all the qualified candidates in the written examination for the 2nd stage i.e. PET/PST/Documentation and Trade test. The number of candidates to be called for 2nd stage would depend

Continued on page 36

- on total number of qualified candidates in the written examination with reference to the number of vacancies for each post and each category. Accordingly, cut off marks would be prescribed for each category.
- **5.6** Recruitment Sector wise/Trade wise and category wise result of Written Examination cum merit list etc., will be drawn.
- 5.7 The candidates who qualify in the PET/PST/DV, Trade Test and written examination will be shortlisted Recruitment Sector wise/ Trade wise and category wise on the basis of their performance in the written examination for appearing in the Detailed Medical Examination (DME). The number of candidates shortlisted for Detailed Medical Examination (DME) will be about 02 (Two) times of the number of vacancies notified.
- 5.8 List of provisionally selected candidates will be uploaded on CISF Recruitment website https://cisfrectt.cisf.gov.in.
- 5.9 Issuance of Admit Card for any stage of recruitment shall not be construed final selection for the post.
- 5.10 To ensure a smooth, transparent and fair recruitment process, the Force will employ adequate measures and modern means at different stages.
- 5.11 Disqualification: No person, (i) (a) who has entered into, or contracted a marriage with a person having a spouse living, or (b) who, having a spouse living has entered into, or contracted a marriage with any person shall be eligible for appointment to the service; provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.
- (ii) Dismissal from Govt. Service.
- 6. Eligibility Criteria
- 6.1 Educational Qualification:

Matriculation or its equivalent from a recognised board for skilled trades on or before closing date of receipt of online Application Form. (i.e. Barber, Boot Maker/Cobbler, Tailor, Cook, Carpenter, Mali, Painter, Charge Mechanic, Washer Man, Welder, Electrician and Motor Pump Attendant). Industrial Training Institute trained personnel will be preferred.

Matriculation or its equivalent from a recognised board for **unskilled trades** on or before closing date of receipt of online Application Form (i.e. Sweeper).

(Educational certificate other than State Board/Central Board should be accompanied with Government of India notifications declaring that such qualification is equivalent to Matriculation/10th class pass for service under Central Government.

- **Age Limit:** Between 18 to 23 years as on **01/08/2025** Candidates should not have been born earlier than 02/08/2002 and later than 01/08/2007.
- 6.2.1. Permissible relaxation in upper age limit for different categories are as under:-

SI. No.	Category	Age relaxation permissible beyond the upper age limit				
i)	Scheduled Caste/Scheduled Tribe	Upto 5 years in upper age limit.				
ii)	Other Backward Class	Upto 3 years in upper age limit.				
iii)	Ex-Servicemen	3 years after deduction of the military service rendered from the actual age as				
		on the date of reckoning i.e. closing date of receipt of online Application Form.				
iv)	Children and dependent family members of victims KILLED in the 1984 riots or communal riots of 2002 in Gujarat.	candidates.				
	adopted daughter). Dependent	family members means (a) spouse or (b) the case of unmarried victim who were wholly				
	children or (c) brother or sister in the case of unmarried victim who were wholly dependent on the victim at the time of his getting killed in the riots would be eligible.					
	cant should produce a certific	er age relaxation in this category, the appli- cate to that effect from the concerned gistrate where the victim was killed.				

6.3. Physical Standards:

- Male candidates :-
- Height (For UR, SC, EWS and OBC candidates except those mentioned in para No. 6.3.1) - 170 Cms
- b) Chest (For UR, SC, EWS and OBC candidates except those mentioned in para No. 6.3.1) 80-85 Cms (Minimum expansion 5 Cms.)

Female candidates :-

- a) Height (For UR, SC, EWS and OBC candidates except those mentioned in para No. 6.3.1) - 157 Cms.
- b) Chest There is no minimum requirement of chest in case of female candidates.
- **6.3.1.**Permissible relaxation in Physical Standards for different categories of candidates are as under -

SI.	Relaxation for	Hei	ght	Chest	
No.		Male	Female	Male	Female
i)	The candidates falling in the categories	165	155	78-83 Cms	Not
	of Garhwalis, Kumaonis, **Gorkhas,	Cms	Cms	(Minimum	applic-
	Dogras, Marathas and candidates			expansion	able
	belonging to the States of Sikkim,			5 Cms)	
	Nagaland, Arunachal Pradesh, Manipur,				
	Tripura, Mizoram, Meghalaya, Assam,				
	Himachal Pradesh, Kashmir and Leh				
	& Ladhakh regions of Jammu &				
	Kashmir subject to production of				
	certificate as per Annexure-"VI".				
	The above standards will be				
	applicable for all categories i.e.				
	UR, EWS, OBC & SC.				

5	SI.	Relaxation for	He	ight	Chest	;
r	Vo.		Male	Female	Male	Female
		** Candidates hailing from Gorkha Territor of the three Sub-Divisions of Darjeeling I and Kurseong and includes the following Districts: (1) Lohagarh Tea Garden (2) Lohagarh F (5) Panighata (6) Chota Adalpur (7) Paha (10) Pantapati Forest-I (11) Mahanadi Fore Chhat Part-II (14) Sitong Forest (15) Sive Forest (17) Chhota Chenga (18) Nipania	District n " Mouza forest (3 aru (8) S est (12)	amely Da as" Sub-D) Rangmo sukna Fore Champasa	rjeeling, Kali vivision of the ohan (4) Bara est (9) Sukna ari Forest (13	mpong ese achenga a Part-I) Salbari
l	i)	All candidates belonging to Scheduled Tribes	162.5 Cms	150 Cms	76-81 Cms (Minimum	Not applic-
	7	THICS	Citis	CITIS	expansion	able

- 6.4 Weight: Proportionate to height and age as per medical standards. Weight will be recorded at the time of physical measurements but the decision on fitness on account of weight will be taken at the time of Detailed Medical Examination (DME).
- 6.5 Medical Standards:- The shortlisted candidates will be medically examined by the Medical Boards to assess their physical and medical fitness. The medical examination of the candidates will be conducted in terms of Uniform Guidelines for recruitment Medical Examination for GOs and NGOs in CAPFs and ARs issued vide MHA UO No.A.VI-1/2014-Rectt(SSB) dated 20.05.2015 and MHA OM No.E-32012/ADG(Med)/ DME & RME/DA-1/2020(Part File)/1166 dated 31.05.2021 and other instructions issued by the Government from time to time to assess their physical and medical fitness. He shall fulfil the medical standards as elucidated therein.
- 6.5.1 The candidate must not have knock knee, flat foot, varicose vein or squint in eyes and they should possess high colour vision. He/she must be in good mental and bodily health and free from any physical defect likely to interfere with the efficient performance of the duties.
- **6.5.2 Tattoo:** Following criteria has been fixed to determine permissibility of Tattoo:
- (a) Content: Tattoo depicting religious symbol or figures and the name, as followed in Indian Army are to be permitted.
- (b) Location: Tattoos marked on traditional sites of the body like inner aspect of fore arm, but only left forearm, being non saluting limb or dorsum of the hands are to be allowed.
- (c) Size: Must be less than 1/4 of the particular part (Elbow or Hand) of the body.
- Note-I Candidates who have not acquired the essential educational qualification as on 03/04/2025 will not be eligible and need not apply.
- Note-II Candidates should note that only the Date of Birth and Name as recorded in the Matriculation/ Secondary School Examination Certificate or an equivalent certificate will be accepted for determining the age and name. No subsequent request for any change in the Date of Birth or Name will be considered.
- 6.6 Ex-Servicemen who are Sepoy/Lance Naik in the Army or equivalent rank in the Air Force or Navy are eligible to apply for the post of Const/Tradesmen. Ex-Servicemen holding the rank of Subedar, Naib-Subedar, Havildar, Naik or equivalent rank in the Army/Air Force/Navy may also compete in this recruitment for lower post provided they fulfil the eligibility criteria and also furnish their willingness in writing that in the event of their selection they will not claim the post equivalent to the rank they were holding in the Defence Forces.

An 'Ex-serviceman' means a person;

- (i) Who has served in any rank whether as a combatant or non-combatant in the Regular Army, Navy and Air Force of the Indian Union and ;
- (a) who either has been retired or relieved or discharged from such service whether
 at his own request or being relieved by the employer after earning his pension;
- (b) who has been relieved from such service on medical grounds attributable to military service or circumstances beyond his control and awarded medical or other disability pension; or
- c) Who has been released from such service as a result of reduction in establishment? or
- ii) Who has been released from such service after completing the specific period of engagement, otherwise than at his own request or by way of dismissal, or discharge on account of misconduct or inefficiency and has been given a gratuity; and includes personnel of the Territorial Army, namely, pension holders for continuous embodied service or broken spells of qualifying service or;
- (iii) Personnel of Army Postal Service who are part of Regular Army and retired from the Army Postal Service without reversion to their parent service with pension; or are released from the Army Postal service on medical grounds attributable to or aggravated by military service or circumstance beyond their control and awarded medical or other disability pension or;
- (iv) Personnel who were on deputation in Army Postal Service for more than six months prior to the 14th April 1987 or;
- (v) Gallantry award winners of the Armed forces including personnel of Territorial Army or;
- (vi) Ex-recruits boarded out or relieved on medical ground and granted medical disability pension.
- 6.6.1 Age: They shall be allowed to deduct the period of Army service from their actual age and the resultant age should not exceed the maximum age limit prescribed for these posts by more than 3 years.
- 6.6.2 Medical Category: Should be "A" (AYE) or 'SHAPE-1' at the time of discharge. They should also posses the same medical standards prescribed for direct recruits for the post of Constable/Tradesmen in CISF.
- **6.6.3 Character on discharge :** Exemplary/Very good. Copy of discharge certificate will be produced at the time of PET/PST, Documentation and Trade Test.
- **6.6.4 Educational Qualification :** Matriculation or equivalent or Army 1st class certificate or equivalent of Air Force or Navy.
- 6.6.5 The other eligibility conditions will be the same as applicable to others as mentioned under eligibility criteria.

 Continued on page 37

- Note-I Ex-servicemen who have already secured employment in civil side under Government on regular basis after availing of the benefits of reservation given to ex-servicemen for their re-employment are NOT eligible for reservation in Exservicemen category and fee concession. However, he can avail the benefit of reservation as Ex-serviceman for subsequent employment if he immediately after joining civil employment, has given self-declaration/undertaking to the concerned employer about the date-wise details of applications for various vacancies for which he had applied before joining the initial civil employment as mentioned in the OM No.36034/1/2014-Estt(Res) dated 14.08.2014 issued by DoP&T.
- Note-II The period of "Call up Service" of an Ex-Serviceman in the Armed Forces shall also be treated as service rendered in the Armed Forces for purpose of age relaxation.
- Note-III For any serviceman of the three Armed Forces of the Union to be treated as Ex-Serviceman for the purpose of securing the benefits of reservation, he must have already acquired, at the relevant time of submitting his application for the Post/Service, the status of ex-serviceman is in a position to establish his acquired entitlement by documentary evidence from the competent authority that he would complete specified term of engagement with the Armed Forces within the stipulated period of one year from the date of closing of receipt of online Application Form.
- Note-IV Age concession/ reservation is not admissible to sons, daughters and dependents of Ex-Serviceman. Therefore, such candidates should not indicate their category as Ex-Servicemen.
- Note-V Other terms and condition for re-employment of ex-servicemen as mentioned in Ex-Servicemen (Re-employment in Central Civil Service and Posts) Amendment Rules, 2012 and any other instruction issued by GOI from time to time, will also be applicable.
- Note-VI Ex-Servicemen will be required to appear at the time of PST event to record their measurements, documentation and produce their education certificate and other testimonials. PET will not be held for these Ex-servicemen candidates. However they will also appear and should qualify in Trade Test, Written Examination and medical examination. Ex-Servicemen will be required to qualify in medical examination as per MHA UO No.A.VI-1/2014-Rectt(SSB) dated 20th May, 2015 and MHA OM No.E-32012/ADG(Med)/ DME & RME/DA-1/2020(Part File)/1166 dated 31.05.2021 and other instructions issued by the Government from time to time to assess their physical and medical fitness. He shall fulfil the medical standards as elucidated therein.
- Note-VII The persons serving in the Armed Forces of the Union, who on retirement from service, would come under the category of "Ex-servicemen" may be permitted to apply for re-employment one year before the completion of the specified terms of engagement and avail themselves of all concessions available to ex-servicemen but shall not be permitted to leave the uniform until they complete the specified term of engagement in the Armed Forces of the Union. Such candidates should submit a certificate from the Commanding Officer concerned as per Annexure-'VIII'.
- 7. Process of Certification and format of certificate :-
- 7.1 Candidates who wish to be considered against vacancies reserved/or seek age-relaxation are required to submit requisite certificate from the competent authority in the prescribed format, failing which their claim for SC/ST/OBC/EWS/Ex- Servicemen status will not be entertained and their candidature/applications will be rejected. The formats of the certificates are annexed with this notification.
- 7.2 Candidates will be considered for recruitment in their respective States/UTs on production of valid "Domicile/Permanent Residential Certificate (PRC)" issued by the competent authority so authorized by the concerned State/ UT to prove their domiciliary status at the time of <u>Documents Verification</u> failing which his/her candidature will be cancelled forthwith. The Domicile/PRC certificate must be of the State/UT indicated by the candidates in their online Application Form, failing which, their candidature will be cancelled forthwith.
- 7.3 Caste certificate issued from other than Domicile State of candidate will not be considered. Both Caste & Domicile certificates should be issued by the same State
- 7.4 A candidate belonging to SC, ST or OBC category, on migration from his/her Origin State/ UT to another State/ UT (i.e. the State / UT of Domicile) will have to make an informed choice whether to get the benefit of

- reservation in the State/ UT of origin or to appear as an Unreserved candidate from the State of migration. Such choice will have to be exercised by the candidate in the Online Application Form. No request for change of such option, after the final submission of the Online Application Form, will be entertained by the Department. In case, a candidate opts to avail himself of the benefit of reservation from the State of origin, he will have to submit information about the District and State/ UT of his origin as well as the District and State/ UT of his domicile in the Online Application Form and his candidature will be considered from the State/ UT of Origin. Such candidates will not be required to submit a Domicile Certificate from the State/ UT of Origin. However, such candidates will be required to submit the Caste Certificate from / based on the State/ UT of Origin.
- 7.5 If a candidate declares in the Online Application Form that he/she has migrated from his/her State/ UT of Origin to another State/ UT (i.e. the State / UT of Domicile) and opts not to avail of the benefit of reservation from his/her State/ UT of Origin, such candidate will be considered as an Unreserved category candidate in his domiciled State/ UT irrespective of his/her possession of caste certificate.
- 7.6 If a candidate declares in the Online Application Form that he/ she has migrated from his/ her State/ UT of Origin to another state/ UT (i.e. the State / UT of Domicile) and opts to avail of the benefit of reservation from his/ her State/ UT of Origin, such a candidate has to produce caste certificate from / based on the State/ UT of Origin failing which his candidature will be considered as an Unreserved category candidate from the State/ UT of migration (i.e. the State / UT of Domicile). If, however, the candidate fails to produce the requisite domicile certificate from the domiciled State/ UT, his candidature shall be rejected forthwith.
- 7.7 A person seeking appointment on the basis of reservation to OBCs must ensure that he possesses the caste/community certificate and does not fall in creamy layer on the closing date of receipt of online Application Form i.e. 03/04/2025.
- 7.8 The benefit of reservation under EWS can be availed upon production of an Income and Asset Certificate issued by a Competent Authority. The crucial date for submitting income and asset certificate will be the closing date for receipt of online Application Form i.e. 03/04/2025.
- 7.9 Candidates may also note that in respect of the above, their candidature will remain provisional till the veracity of the concerned document is verified by the Appointing Authority. Candidates are cautioned that their candidature will be cancelled forthwith in case they fraudulently claim SC/ST/OBC/EWS status or avail any other benefit. Candidates are also warned that they will be permanently debarred from the examination in case they fraudulently claim SC/ST/OBC/EWS/ESM status.
- 7.10 Since the State of Assam is not issuing Domicile Certificate/ Permanent Residence Certificate (PRC), candidates belonging to the State of Assam are not required to submit the same. However, their selection will be subject to verification of their residential status from the concerned District Authorities.
- 7.11 West Pakistani Refugees (WPRs) who have settled in J&K but have not been given the status of citizens of the State will be recruited without the condition of having a domicile certificate from the designated authority of the J&K State. A certificate as per Annexure-XIII issued by the Sarpanch / Numberdar of a candidate's village to the effect that the person belonged to the West Pakistani Refugees category, along with a copy of the electoral roll showing the name of the candidate in the voters list for elections to the parliamentary constituency (as they do not enjoy voting rights to the state legislative assembly) be accepted as proof of their being West Pakistani Refugees for recruitment. In so far as the scheduled castes among the said refugees are concerned, the state government have already issued certificates indicating the SC status & stating specifically that the person is not a permanent resident of the State but is ordinarily residing in the village, these certificate may be accepted as proof of being West Pakistani Refugees of SC status accordingly.
 - How to apply :-
- 8.1 Applications must be submitted in online mode at the official website of CISF i.e. https://cisfrectt.cisf.gov.in. For detailed instructions, please refer to Annexure-I of this Notification. No other mode of submission of application is allowed.
- 8.2 The State/UT under jurisdiction of each Recruitment Sector are mentioned below:-

SI. No	Name of the State/UT	Name of Recruitment Sector	Name of Application Receiving Centres with address
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Chandigarh, Haryana, Himachal Pradesh, Jammu & Kashmir, Ladakh, Punjab & Rajasthan.	Northern Sector	DIG, CISF (North Zone) HQrs., CISF campus, Post-Mahipalpur, New Delhi - 110037. (E-mail Id : dignz@cisf.gov.in)
2.	Delhi, Uttar Pradesh & Uttarakhand	NCR Sector	DIG, CISF RRC NCR Zone HQrs., CISF 5th RB Battalion, Post - Shipra Sun City, Distt - Ghaziabad, State - Uttar Pradesh - 201014. (E-mail Id: rrc-ncrzone@cisf.gov.in)
3.	Dadra & Nagar Haveli and Daman & Diu, Goa, Gujarat and Maharashtra.	Western Sector	DIG, CISF (West Zone) HQrs., CISF Complex, Sector-35, Kharghar, Navi Mumbai - 410 210. (E-mail Id : digwz@cisf.gov.in)
4.	Chhatisgarh & Madhya Pradesh	Central Sector	DIG, CISF (Central Zone) HQrs., Bhilai, 03rd RB campus, Post-Utai, Dist-Durg, State-Chhattisgarh - 491107. (E-mail ld : digcz@cisf.gov.in)
5.	Bihar & Jharkhand	Eastern Sector	Sr. Commandant, CISF 02nd Res. Bn., Post: Dhurwa, Dist: Ranchi, State: Jharkhand -834004. E-mail Id: rb-2nd@cisf.gov.in)
6.	Andhra Pradesh, Karnataka, Kerala, Lakshadweep, Pudducherry, Tamil Nadu & Telangana.	Southern Sector	DIG, CISF (South Zone) HQrs., 'D' Block, Rajaji Bhavan, Besant Nagar, Chennai, Tamil Nadu - 600090. (E-mail Id : digsz@cisf.gov.in)
7.	Andaman & Nicobar Islands, Sikkim, Odisha & West Bengal.	North Eastern Sector - II	DIG, CISF (North East Zone-II) HQrs., Premises No.553, East Kolkata Township (Kasba), Kolkata - 107. (E-mail Id: dig-sez@cisf.gov.in)
8.	Arunachal Pradesh, Assam, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland & Tripura.	North Eastern Sector	DIG, CISF (North East Zone) HQrs., Beharbari, Near A.G.Colony, Hockey Stadium Road, Post -Basistha, Dist - Kamrup, Assam - 781029. (E-mail Id: dignez@cisf.gov.in)

- 8.3 In the online Application Form, candidates are required to upload the following documents:-
- Uploading of Photograph- Recent scanned colour passport size photograph duly printed the date of photograph (i.e. not more than three months old from the date of publication of this Notification) in JPEG format (20 KB to 50KB).
 Image dimension of the photograph should be about 3.5 cm (width) x 4.5 cm

(height). The photograph should be without cap, spectacles and both ears should be visible. The date on which the photograph has been taken must be clearly printed on the photograph. Applications without the date printed on the photograph will be rejected. Applications with blurred photograph will also be rejected.

- Uploading of Signature Scanned signature in JPEG format (10 KB to 20 KB).
 Image dimension of the signature should be about 4.0 cm (width) x 2.0 cm (height).
 Applications with illegible signature will be rejected.
- Uploading of documents Candidate is required to upload the scanned copies of all the relevant documents in PDF format (not more than 01 MB) with regard to his/her age, educational qualification and Domicile certificate.
- 8.4 Last date and time of submission of online applications is 03/04/2025 (23:59 hrs)
- 8.5 Candidates are advised in their own interest to submit online applications much before the closing date and not to wait till the last date to avoid the possibility of disconnection/ inability or failure to login to the website on account of heavy load on the website during the days preceding the closing date.
- 8.6 Before submission of the online application, candidates must check that they have filled correct details in each field of the form. After submission of the online application form, no change/ correction/ modification will be allowed under any circumstances. Requests received in this regard in any form like post, fax, e-mail, by hand, etc will not be entertained.
- 8.7 The candidates are advised to fill their correct and active e-mail id and mobile number in the online application as important information relating to recruitment will be given to them through SMS or email.
- Application Fee :
- 9.1 Fee payable: Rs.100/- (Rupees one hundred only).
- 9.2 Female candidates and those candidates belonging to Scheduled Castes (SC), Scheduled Tribes (ST) and Ex-servicemen (ESM) eligible for reservation are exempted from payment of application fee.
- 9.3 Fee can be paid online through Net Banking, by using Credit or Debit or Rupay cards and UPI or through cash in SBI Branches by generating SBI Challan. Fee paid by modes other than as stated above, will not be accepted.
- 9.4 Online fee can be paid by the candidates up to 03/04/2025 (23:59 hours). However, candidates who wish to make the cash payment through challan of SBI, may make the payment in cash at the Branches of SBI within the working hours of the bank upto 05/04/2025 provided the challan has been generated by them before 03/04/2025 (23:59 hours).
- 9.5 Fee once paid shall not be refunded under any circumstances nor will it be adjusted against any other examination or selection.
- 9.6 In case of non-receipt of requisite application fee from candidates (except exempted category) their application will be straight way rejected.
- **9.7** Tariff/Taxes charges will be borne by the candidate in addition to fees as applicable for Bank.
- **9.8** Fees paid before <u>05.03.2025</u> i.e. opening date of online application form will also not be accepted.
- 10. Admission to the Examination:
- 10.1. All candidates who register themselves in response to this advertisement by the closing date and time and whose applications are provisionally accepted and found to be in order as per the terms and conditions of this Notification, will be assigned Roll numbers and be issued Admit Card for appearing in the PET/PST/Documentation/Trade Test. Subsequently, qualified candidates will be issued Admit Cards for the next stage of the recruitment.
- 10.2 The department will undertake detailed scrutiny of applications for eligibility and other aspects at the time of PET/PST/Documentation/ Trade Test. As such, candidature will be accepted only provisionally. The candidates must go through the requirement of educational qualification, Age, physical and medical standards etc. and satisfy themselves that they are eligible for the post. If any claim made in the application is not found substantiated during the entire recruitment process, the candidature will be cancelled.
- 10.3 Candidates must write Registration Number, registered Email-ID and Mobile Number along with name, date of birth and name of the examination, while addressing any communication. Communication from the candidate not furnishing these particulars shall not be entertained.
- 10.4 Facility for downloading Admit card for PET/PST/Documentation/Trade Test, Written Examination and Medical Examination will be made available well in advance on the CISF Recruitment website https://cisfrectt.cisf.gov.in. Candidate must bring printout of the Admit Card to the Examination Hall/Centre.
- 10.5 In case of inability in downloading Admit cards from the website, candidates should contact CISF at least one week before PET/PST/ Documentation/ Trade Test, Written Examination or DME/RME.
- 10.6 In addition to the Admit Card, it is mandatory to carry four passport size recent colour photographs duly printed the date of photograph (i.e. not more than three months old from the date of publication of this Notification), original valid Photo-ID proof duly printed the date of birth such as Aadhaar Card/Printout of E-Aadhaar, Voter's ID Card, Driving License, PAN Card, Passport, ID Card issued by University/College/ School, Employer ID Card (Govt./PSU), Ex-Serviceman Discharge book issued by Ministry of Defence, Any other photo bearing ID card issued by the Central/ State Government.
- 10.7 If the Photo Identity Card does not have the date of birth printed on it then the candidate must carry an additional original document (e.g. Matriculation Certificate, Marks Sheets issued only by CBSE/ICSE/State Boards, Birth Certificate) as proof of his date of birth. In case of mismatch in the date of birth mentioned in the Admit card and photo ID/Certificate brought in support of date of birth, the candidate will not be allowed to appear in the recruitment process.
- **10.8** Any other document mentioned in the Admit Card shall also be carried by the candidates while appearing in the Examination.
- 10.9 Applications with blurred photograph and/ or signature will be rejected.
- 11. Recruitment process:
- 11.1 Height Bar Test (HBT) /PET/PST/Documentation and Trade Test:
- 11.1.1 Height Bar Test (HBT): All the candidates whose application are provisionally accepted and found in order will assigned Roll Number and called for 1st stage of recruitment i.e. PET/PST, Documentation and Trade Test which will be conducted at various centres, Candidates will be put through Height Bar Test (HBT).
- 11.1.2 Candidates who are found eligible in Height Bar Test (HBT) will undergo Physical Efficiency Test (PET).

11.1.3 Physical Efficiency Test (PET)

11.1.4 Candidates who are found eligible in Height Bar Test will undergo Physical Efficiency Test (PET).

For Male candidates	For Female candidates
1.6 Kms race in 6 minutes 30 seconds	800 mtrs race in 4 minutes

- 11.1.5 Ex-servicemen will have to appear in PET/PST/Documentation/Trade Test for recording measurement of height, chest and weight only. PET will not be held for these Ex-servicemen candidates. However, they will have to qualify the Trade Test, Written and Medical examination.
- 11.1.6 This test will be qualifying in nature. The candidates who do not qualify the race would be eliminated from the recruitment process by giving rejection slip intimating reasons thereof by the PET/PST Board and will not be allowed to participate in further process of recruitment. There is no appeal in PET (race/run).
- 11.1.7 Physical Standard Test (PST) Candidates who qualify Height Bar Test (HBT) and Physical Efficiency Test (PET) will be screened for height, chest and weight by the Board of Officers. Physical Standards for the post of Constable (Tradesmen) has been elaborated in para 6.3 above and relaxation will also be applicable as per Government of India Orders from time to time.
- 11.1.8 Relaxation in height and chest (as the case may be) as mentioned above will be permissible only on production of required certificate at the time of PET/PST, Documentation & trade test in the proforma as prescribed in Annexure-VI from the competent authorities of the Districts where he ordinarily resides. ST candidates may avail the relaxation on production of valid original ST certificate.
- 11.1.9 Candidates who are declared not qualified in Physical Standards i.e. height and chest may prefer an appeal on same day, if they so desire, to the Appellate Authority nominated for the Centre through Presiding Officer (PO). The decision of the Appellate Authority will be final and no further appeal or representation in this regard will be entertained thereafter.
- 11.1.10 The candidates who do not fulfil the laid down physical standards will be eliminated from recruitment process by giving rejection slip, thereof. However, elimination on grounds of weight will be done at the time of medical examination. The candidates who meet the requirements of physical standard will be allowed to participate in Documentation.

11.1.11 Documentation:

Following Original testimonial/documents of the candidates who qualified in HBT, PET &PST will be scrutinized. Candidates who fail to produce requisite original testimonials / certificates will be eliminated from the recruitment process by giving rejection slip intimating reasons thereof by the Presiding Officer and no candidates will be allowed provisionally.

- (i) Educational certificates
- (ii) Date of birth certificate. (Matriculation or 10th pass certificate).
- (iii) Domicile certificate issued by competent authority to prove their domiciliary status.
- (iv) SC/ST, OBC and EWS Certificate, if applicable. It should be in the proforma as prescribed in Annexure-III, IV & V respectively. Caste certificates which are not in prescribed manner as specified in the advertisement notice will not be accepted.
- (v) Caste certificate issued from a State other than domicile State of candidate will not be considered, i.e. both certificates (Caste and Domicile) should be issued by the same State.
- (vi) Candidates falling in the categories of Garhwalis, Kumaonis, Gorkhas, Dogras, Marathas and candidates belonging to the States of Sikkim, Nagaland, Arunachal Pradesh, Manipur, Tripura, Mizoram, Meghalaya, Assam, Himachal Pradesh, Kashmir and Leh & Ladhakh regions of J & K requesting for relaxation in height and chest should produce certificate in proforma/format given in Annexure-VI.
- (vii) Discharge certificate/Certificate for serving Defence Personnel as Annexure-VII & VIII undertaking in the format prescribed in Annexure-IX in case of Exservicemen.
- (viii) No Objection Certificate and Undertaking in case of persons serving in Govt./Semi-Govt. Departments from their Head of Office as per format given in Annexure-XI & XII.
- (ix) In case of wards of serving CISF personnel, who are applying in State other than their Home State, certificate as per format given in Annexure-X has to be produced.
- (x) Identity Certificate for WPRs (West Pakistani Refugee) residing in the State of J&K as per Annexure - 'XIII'
- (xi) Four passport size recent photographs of the candidates duly printed the date of photograph (i.e. not more than three months old from the date of publication of this Notification).
- (xii) The candidates must carry photo bearing identification proof such as Driving License, Voter Card, Aadhaar Card, Identity Card issued by University/College, Income Tax Pan Card in original which he has mentioned / filled in application form.
- (xiii) Identification of the candidates will be checked by the board of officers at the time of PET/PST/Documentation & Trade test, Written Examination & Medical Examination from Identity Cards as produced by them. Biometric credentials (LTI/RTI/Fingers impression) of all candidates shall be registered before conduct of PST/Documentation & Trade Test which will be used in all further stages of recruitment.

11.1.12 TRADE TEST :

- (a) All the candidates declared pass in HBT, PET, PST& Documentation will undergo trade test. Trade test will be qualifying in nature.
- (b) Trade test/practical assessment to be done, which will be qualifying in nature.
- COOK
 - a) Cooking of Chapati & Rice
 - b) Cooking of vegetable/Dal/Samber / Idli etc.,
 - c) Cooking of Meat/Fish/Egg/Kheer

BOOT MAKER / COBBLER

- a) Polishing of shoes
- **b)** Handling of tools
- c) Cutting of leather repair & stitching of Shoes
- TAILOR
 - a) Taking measurement of personnel
- b) Cutting of cloths
- c) Stitching of Uniforms

- **BARBER**
 - a) Handling of tools
 - b) Hair Cutting
- c) Shaving
- WASHER MAN
 - a) Washing of clothes b) Ironing of Khaki Cotton Uniform
 - c) Ironing of woollen, Terry cotton Uniforms
- **SWEEPER**
 - a) Sweeping
 - b) Cleaning of toilets
 - c) Cleaning of Bathrooms etc.
- **PAINTER**
 - a) Knowledge of colours, paints and shades
 - b) Painting of sign-boards
 - c) Painting/drawing
- **CARPENTER**
 - - a) Handling of tools
 - b) Cutting of wood c) Fitting, polishing and finishing of material
 - **ELECTRICIAN**
 - a) Knowledge of AC/DC current
 - b) New Electric Fitting
 - c) Rectification of Electric fault
- - a) Plantations and making grafts.
 - b) Maintenance of plants
 - c) Knowledge of seeds and their sowing season, Fertilizers in seeti deseeti.
 - d) Knowledge of indigenous manures.
- WELDER
 - a) Knowledge of welding tools
 - b) ARC Welding Practical
 - c) Gas Welding Practical
- **CHARGE MECH**
 - a) Knowledge of AC & DC current
 - b) Knowledge of voltage receiving/distribution/consumption
 - c) Knowledge of switch boards & fault attendance
- MOTOR PUMP ATTENDANT (MP ATTEND)
 - a) Knowledge of Pump
 - b) Knowledge of Motor
 - c) Knowledge of repair
- 11.2 Written Examination:

The candidates who qualify in PET/PST/Documentation & Trade Test will be called for Written Examination under OMR/Computer Based Test (CBT) Mode.

- 11.2.1 Objective type question paper to be answered on OMR sheet/CBT of 100 marks of 02 hours duration containing 100 questions on General Awareness / General Knowledge, Knowledge of elementary mathematics, Analytical Aptitude, Ability to observe and distinguish patterns and to test the basic knowledge of candidate in Hindi/English. The questions will be set bilingual in English/ Hindi. There shall be no negative marking.
- 11.2.2 Minimum percentage of marks for qualifying for next stage will be as under:-UR / EWS/ Ex. Servicemen 35 % SC/ST/OBC 33 %
- Note: The qualifying marks of 35% for UR / EWS / ESM and 33% for SC/ST/OBC does not mean that all candidates who have secured 35% & 33%, as the case may be, will be called for next stage. The candidates for next stage will be called purely on the basis of their performance / marks scored in written examination and cut off marks (Recruitment Sector/Trade/ Category wise) which will be fixed after completion of written examination.
- 11.2.3 The date of examination will be informed to candidates only through CISF recruitment website https://cisfrectt.cisf.gov.in. Request for changing of written examination centre/date will not be considered under any circumstances
- 11.2.4 Tentative Answer Keys of the Written Examination will be placed on the CISF Recruitment website https://cisfrectt.cisf.gov.in after the Examination. Candidates may go through the Answer Keys and submit online representations, if any, within the stipulated time limit on payment of Rs. 100/- per question. Representations received through any other mode e.g. letter, application etc. will not be entertained. Representations regarding the Answer Keys will be scrutinized by the panel of experts before finalizing the Answer Keys and the decision of the experts in this regard will be final.
- 11.2.5 Further, there shall be no provision for re-evaluation/ re-checking of the scores. No correspondence in this regard shall be entertained.
- 11.2.6 If written examination (OMR/CBT) is conducted in two or more shifts then marks scored by the candidates shall be normalized and such normalized scores shall be used to determine merit list and cut off marks for qualification to next stage of recruitment i.e. Medical Examination (DME/RME).
- Medical Examination:
- 12.1 Only those candidates who have qualified in PET/PST, Documentation, Trade Test and Written Examination will be shortlisted Sectors wise (Trade in each categories) and category wise on the basis of their performance in the written examination (OMR/CBT) for appearing in the Detailed Medical Examination. The number of candidates shortlisted for DME will be about 02 (two) times of the number of vacancies notified. The medical examination will be conducted in terms of Uniform Guidelines for recruitment Medical Examination for GOs and NGOs in CAPFs and ARs issued vide MHA UO No.A.VI-1/2014-Rectt(SSB) dated 20th May, 2015 and MHA OM No.E-32012/ADG(Med)/ DME & RME/DA-1/2020(Part File)/1166 dated 31.05.2021 and other instructions issued by the Government from time to time to assess their physical and medical fitness.
- 12.2 Candidates will be declared either FIT or UNFIT. No candidate will be declared as temporary unfit.
- 12.3 In all the cases, a candidate, who has been declared medically UNFIT for appointment in the Medical Examination will be communicated the grounds for rejection in broad terms in writing by the Examining Medical Officer. All candidates declared unfit during Detailed Medical Examination (DME) will be allowed to undergo Review Medical Examination (RME), provided they give their

written consent by appending their signature on the intimation indicating the reasons for being unfit. The RME of candidates will be conducted in continuation of DME preferably on the next day of DME. The consent for RME duly signed by the candidate should be submitted within 24 hours after candidate is informed of his/her unfitness in DME.

- Note: Colour vision test should be done once at the time of recruitment and later on at the time of basic training.
- 13. Mode of selection/Drawal of Final Select List:
- 13.1 After completion of PET/PST, documentation, Trade Test, Written Examination and Medical Examination, RecruitmentSector-wise, Tradewise and Category-wise merit list for UR, SC, ST, OBC, EWS & Exservicemen will be drawn separately on the basis of aggregate marks obtained in written examination and number of vacancies allotted to the Recruitment Sector.
- 13.2 Resolution of Tie cases: In the event of tie in scores of candidates in the Written Examination, such cases will be resolved by applying following criteria, one after another in the given order, till the tie is resolved
- The tie will be resolved by referring to the age of the candidates i.e. the candidate older in age will get preference;
- If the tie still persists, it shall be resolved by comparing the height of candidate i.e. candidate taller in height will get the preference
- If the tie still remains unresolved, then it shall be resolved by the educational qualification of candidates i.e. candidate higher in the qualification will get
- Further tie, if any, it shall be resolved by referring to the alphabetical order of names i.e. a candidate whose name begins with the alphabet (English) which comes first in the alphabetical order will get preference.
- 13.3 Provided that SC, ST, OBC & EWS candidates, who are selected on their own merit without availing relaxed standards, will not be adjusted against the reserved share of vacancies. Such SC, ST, OBC and EWS candidates will be accommodated against the unreserved vacancies as per their position in the overall Merit list. The reserved vacancies will be filled up separately from amongst the eligible SCs, STs, OBCs and EWS candidates which will, thus, comprise of SC, ST, OBC and EWS candidates who are lower in merit than the last candidate on merit list of unreserved category but otherwise found suitable for appointment by relaxed standard.
- 13.4 Success in the examination does not confers any right of appointment unless government is satisfied after such enquiry as may be considered necessary that the candidate is suitable in all respects for appointment to the service.
- 13.5 Final result will be published on CISF Recruitment website i.e. https://cisfrectt.
- Note-I The candidates applying for the examination should ensure that they fulfil all the eligibility conditions for admission to the examination. Their admission at all the stages of examination will be purely provisional, subject to their satisfying the prescribed eligibility conditions. If, on verification, at any time before or after the PET/PST/Documentation & Trade test, written examination, and medical examination, it is found that they do not fulfil any of the eligibility conditions; their candidature for the examination will be cancelled forthwith by the department.
- Note-II In case, any candidate is found ineligible or found to be suppressing facts whatsoever at any time during or after the recruitment process, his candidature/ selection /appointment shall be cancelled forthwith.
- Note-III In case vacancies reserved for Ex-Servicemen remain vacant due to nonavailability of eligible or qualified candidates, the same shall be filled by other non ex-serviceman candidates from respective trade / category in accordance with notification of amendment in Ex-Servicemen (Re-Employment in Central Civil Services and posts) Rules, 2012.
- Note-IV In case female vacancies remain vacant due to non-availability of eligible or qualified female candidates, the same shall be filled by eligible Male candidates from respective trade.
- Note-V No reserved /waiting list will be kept / maintained.
- Decision: The decision of the board/ department in all matters relating to eligibility, acceptance or rejection of the applications, penalty for false information, mode of selection, conduct of examination(s), allotment of examination centres and preparation of merit list will be final and binding on the candidates and no enquiry/ correspondence will be entertained in this regard.
- Courts jurisdiction: Any dispute with regard to this recruitment will be subject to courts/tribunals having jurisdiction over the City/Town in which the concerned Recruitment Centre of CISF is situated or where the candidate has submitted his application.
- 16. Important instructions to candidates:
- 16.1 Before applying, candidates must go through the instructions given in the notice of examination very carefully i.e. requirements of educational qualification, age, physical standards etc. and satisfy themselves that they are eligible for the post.
- 16.2 Candidates seeking reservation benefits such as SC/ST/OBC/ EWS/ESM or any other relaxation as per the provisions of the Notice of Examination must ensure that they are entitled to such reservation/ relaxation. They should be in possession of the relevant certificates in original in the prescribed format in support of their claim when the copies of the certificates are sought.
- 16.3 Verification of documents with originals will be carried out at the time of Documentation. Therefore, candidature will be accepted provisionally only. When scrutiny of document is undertaken at the time of Documentation, if any claim made in the application is not found substantiated, the candidature will be cancelled.
- 16.4 Persons with Disabilities (PwD) are not eligible to apply for this examination.
- 16.5 Candidates are advised to fill their correct and active e-mail addresses and mobile number in the online application as correspondence may be made through e-mail/SMS.
- 16.6 Fee payable: Rs.100/- (Rs. one hundred only). Female candidates and those candidates belonging to Scheduled Castes (SC), Scheduled Tribes (ST), Exservicemen (ESM) eligible for reservation are exempted from payment of application fee.
- 16.7 Candidates must write their names, date of birth, father's name and mother's name in application form strictly as given in the matriculation certificate otherwise their candidature may be cancelled at the time of documents verification or as and when it comes into the notice. Continued on page 40

- 16.8 In the online application form, candidates are required to upload Photograph duly printed the date of photograph (i.e. not more than three months old from the date of publication of this Notification), Signature and scanned copies of all the relevant documents with regard to age, educational qualification and Domicile.
- 16.9 Candidates must be very careful and should exercise due diligence while providing information about Domicile State and District in the online Application Form. No request for change of Domicile State and District will be entertained after submission of application form under any circumstances. If there is any variation of District and/ or State mentioned by the candidate in the online Application Form and the Domicile Certificate submitted by them at the time of Documentation, their candidature will be cancelled forthwith and they will not be allowed to participate in the Documentation.
- **16.10** Only one online application is allowed to be submitted by a candidate for the Examination. Therefore, the candidates must exercise due diligence at the time of filling their online Application Forms. Submitting of more than one application may result into rejection of all applications.
- **16.11** Applications with blurred/ illegible Photograph/ Signature or photograph without dated will be rejected summarily.
- 16.12 An application will be summarily rejected at any stage of the recruitment process for having incomplete information / wrong information / incomplete requisite certificates / misrepresentation of facts / left unsigned/ submitted without fees where due.
- **16.13** Request for change/ correction in any particulars in the Application Form, once submitted, will not be entertained under any circumstances. Such requests received through Post/Fax/Email/By hand etc shall not be entertained.
- 16.14 When application is successfully submitted, it will be accepted 'Provisionally'. Candidates should take printout of the application form for their own records. The printout of the 'Application Form' is not required to be submitted.
- 16.15 In case of fake/ fabricated application/ registration by misusing any dignitaries name/ photo, such candidate/cyber café will be held responsible for the same and liable for suitable legal action under cyber/IT Act.
- 16.16 Candidate should note that they are applying for combat force and should participate in the recruitment process with due physical/ mental preparation and will be fully responsible for any incident/ accident occurring during any stage of recruitment. Recruiting Agency/Centre will not be responsible for any such unforeseen incident/ accident. Candidates will participate in recruitment at their own risk
- **16.17** If any candidate is found under influence of any energetic medicine/ drugs etc. during PET, his/her candidature will be cancelled forthwith.
- 16.18 For any queries, candidates may contact Help Line Number 011-24366431/ 24307933 (1000 to 1800 hrs on working days only) for clarifications, if any, regarding filling application and PET/PST/Documentation & Trade Test, Written Examination & Medical Examination etc.
- 16.19 Candidates should come duly prepared for 2-3 days stay under their own arrangements for different stages of recruitment process. No TA/DA will be admissible for journey and stay.
- 16.20 If any candidate is found to indulge at any stage in any act of malpractices during the entire recruitment process or thereafter, his/her candidature will be cancelled and he/she will be liable for suitable legal action.
- 16.21 Any certificate other than in Hindi or English should be endorsed with translation in Hindi or English duly attested, else will not be entertained.
- 16.22 Canvassing in any form or bringing outside influence will automatically disqualify the candidate from appearing the tests further without any notice.
- 16.23 Candidates having the right aptitude, capability, fitness and knowledge of respective trade, may apply for the posts.
- 16.24 Candidates are advised to have sufficient practice for the race/PET before coming for recruitment. They are further advised to get themselves medically examined regarding their suitability to run the specified distance in the given time. CISF or Government of India will not be responsible for any injury/ mishap or medical problem during the course of recruitment process / test.
- 16.25 Any candidate found using any unfair means or resorting to impersonation will be disqualified forthwith and liable for action as per law. The person impersonating a candidate will be arrested and a criminal case under IPC/BNS (Bhartiya Nayay Sanhita) will be registered against him. Such candidates will be barred from applying for the future recruitment in CISF.
- 16.26 Any person acting as a tout or taking the help of a tout will be dealt as per law and criminal case will be registered against him under IPC/BNS (Bhartiya Nayay Sanhita)
- 16.27 Candidates have to appear for all the stages of recruitment. If a candidate is absent from any stage / event for which he/she has qualified, his/her candidature will be cancelled.
- 16.28 In case a candidate is found unfit/ineligible for service on any ground during recruitment process and after his/her selection/ appointment, his/her service will be terminated without assigning any reason.
- 16.29 The Director General, CISF reserves the right to make changes or cancel or postpone the recruitment without assigning any reason.
- 16.30 The department has a right to make any changes in the advertisement or cancel it without assigning any reason. Further all the conditions mentioned herein may vary as per orders issued by Government of India from time to time.
- 16.31 Selected candidates are required to undergo basic training in CISF RTCs for which they will be informed separately through offer of appointment letter. If any candidate does not qualify the prescribed training, his/her services are liable to be terminated. They will be on probation for a period of two years which can be extended. During the period of probation if found unfit for any reason, the services are liable to be terminated.
- **16.32** CISF strives to recruit fit, committed, sincere and best candidates with transparency and impartiality. Hence, candidates are advised to "BEWARE OF TOUTS".
- 16.33 The Offer of Appointment is the last stage of the recruitment process. Thus, qualifying in any previous stage of recruitment process (including medical examination) does not confer any right of selection or appointment to the post to any candidate.
- **16.34** In the event of any dispute regarding the instructions outlined in this notice, the English version shall prevail.

IMPORTANT NOTICE FOR CANDIDATES

Beware of touts. No money is charged for recruitment in CISF. If you have paid or promised to pay money to any one you are being cheated & you are losing money. If anyone demands money for getting you selected, immediately inform the Presiding Officer (PO) of recruitment board and DISG of concerned recruitment Centre or inform through e-mail giving the name of the person at acrectt@cisf.gov.in

Annexure-I

Procedure for filling online Application

Process of filling online application for the examination consists of two parts:

- I. One Time Registration
- II. Filling of online Application for the Examination

Part-I (One-Time Registration)

One-time Registration will be a permanent database for candidate. The Unique Registration ID and Password will be used by the candidates for all the examinations conducted by CISF. Read the instructions given in the Notice of Examination carefully before filling up the online 'Registration Form' and 'Application Form'. Before proceeding with One-time Registration, keep the following information/documents ready:-

Mobile Number b. E-mail ID

How to register for the first time :-

- 1. Log on to the official website of CISF that is https://cisfrectt.cisf.gov.in.
- 2. Home page will be displayed. Click on "Login" button.
- New page will be displayed. Click on "New Registration" button.
- **4.** One-time Registration process requires filling up of following information:
- a. Basic details
- b. Additional and contact details
- c. Declaration.
- 5. For filling up the 'One-Time Registration Form', please follow the following steps:
- Personal details (e.g. Name, father's name, mother's name, date of birth and gender) are required to be entered twice, in the relevant columns of the Registration Form to avoid any inadvertent mistakes in filling up of the form. If there is mismatch between the original and verify data columns, it will not be accepted and an indication to this effect will be displayed in separate dialogue box.
- **b**. Fill your name, exactly as given in Matriculation or 10th Class Certificate. In case, you have made any changes in your name after matriculation, indicate the same.
- c. Fill your father's name exactly.
- d. Fill your mother's name exactly.
- e. Fill your date of birth exactly as given in Matriculation or 10thClass Certificate.
- f. Provide information about your gender.
- g. Click on submit button. New page will be displayed.
- h. Check your personal details and fill the basic details.
- i. Fill the working Mobile Number and Email-ID. It may also be noted that any information which the department may like to communicate with you through e-mail/SMS, will be sent on provided Email-ID/mobile number. Same Email-ID/Mobile number will also be used for retrieval of password/Registration Number, if required.
- Read the 'Declaration' carefully, if you agree with the declaration, click on 'Submit' button.
- **k.** On confirmation, your data will be saved. Your Registration Number and Password will be sent to your registered Email-ID and mobile number.
- Login using your Registration-Number as user name and auto generated password provided to you on your email and mobile number.

NOTE :-

YOU ARE AGAIN CAUTIONED THAT NAME, FATHER'S NAME, MOTHER'S NAME AND DATE OF BIRTH SHOULD BE FILLED EXACTLY AS RECORDED IN MATRICULATION CERTIFICATE. YOUR CANDIDATURE MAY GET CANCELLED IN CASE OF IN CORRECT/WRONG INFORMATION.

ANNEXURE-II

Part-II (Online Application Form)

- Before proceeding with filling of online application, keep the following data ready:

 Recent scanned colour passport size photograph (i.e. not more than three months old from the date of publication of the Notice of Examination) in JPEG format (20 KB to 50 KB). Image dimension of the photograph should be about 3.5cm (width) x 4.5cm (height). The photograph should be without cap, spectacles and both ears should be visible. The date on which the photograph has been taken must be clearly printed on the photograph. Applications without the date printed on the photograph will be rejected. Applications with blurred photograph will also be rejected.
- b. Scanned signature in JPEG format (10 KB to 20 KB). Image dimension of the signature should be about 4.0 cm (width) x 2.0 cm (height). Applications with illegible signature will be rejected.
- The scanned copies of all the relevant documents in PDF format (not more than 01 MB) with regard to his/her age (i.e. Date of Birth Certificate or Matriculation / SSCL/10th Certificate), other educational qualification and Domicile)
- Login to CISF Recruitment website i.e https://cisfrectt.cisf.gov.in and click "APPLY PART" tab.
- New page will be displayed and fill the essential details such as 'Registration Id, 'Password', 'Captcha' and click "SUBMIT" button.
- 4. Registered candidate may login to online system through their provisional 'Registration Id and Password' received by the candidate at the time of registration in CISF Recruitment website i.e. https://cisfrectt.cisf.gov.in.
- New page will be displayed and click button of "CONSTABLE/TRADESMAN-2024"
- After clicking the button of "CONSTABLE/TRADESMAN-2024", a window will be opened which will have application form. The data/details filled in by him/her earlier, at the time of registration process, will automatically be filled in the respective fields in the application form. The remaining empty field should be filled by the candidate. The candidates are advised to fill in the details very
- 7. Once the candidate has filled in all the required details in the application form, he will find two buttons at the bottom namely "SAVE & PREVIEW" and "CLOSE", if the candidate uses the "CLOSE" button, he will allow to editing the application form. No data/details will be saved.
 Continued on page 41

- Once the application form is completely filled in, read declaration carefully and click on "SUBMIT" button if you accept the same which will save all the data/details filled in by him/her.
- Then, upload your recent Photograph (not more than three months old from the date of publication of the Notice of Examination and the date on which the photograph has been taken should be clearly printed on it) as specified at S. No-1(a) above.
- 10. Upload your signature as specified at S.No.1(b). Applications with blurred signatures will be rejected.
- Upload your scanned copy of Date of Birth Certificate/Matriculation/SSLC/ 10th Certificate, educational qualification and Domicile Certificate for proof of age, educational qualification and Domicile respectively as specified at SI.No.1(c).
- After uploading all the required documents and images, click on "PAYMENT" button appears at the bottom of the page.
- Now 'PAYMENT' window will appear. The personnel who are exempted from 13. payment of application fee will see the message that you are eligible for Fee Exemption and will get the 'PRINT APPLICATION' option
- 14. Proceed to make fee payment if you are not exempted from payment of application fee
- Make the payment of application fee either through UPI, Net Banking, by using Credit or Debit cards or Rupay cards or in cash at SBI Branches by generating SBI Challan by selecting fee payment mode option. If candidate selects challan option then candidate gets a fee deposit challan form from the server. After getting challan form candidate should go to the nearest State Bank of India Branch and deposit the fee. After this candidate's formality is completed. Bank will generate MIS Report and send it to CISF. This process takes minimum 48 hours. After 48 hours the candidate may check the status of his/her application
- After completion of payment procedure, candidate may take a print out of their filled application form and retain the same with them. They will be required to submit printout of online application along with self attested documents in support of their eligibility at the time of PET/PST and Documentation.

Warning:

- Candidates should verify all the registered data(s) carefully. If any data is mentioned in wrong, the same may be edited by clicking "EDIT" button.
- On clicking the "SUBMIT" button, the data/details entered so far will be saved in server. If the candidate clicks "EDIT" button, the data/details will not be saved and the candidate will be able to edit the data.

Armexure-VB

Place

Date

Specimen of Photographs

Acceptable Photograph



Samples of photographs which are not acceptable

Extra Colou











Too dark







Facing Sideways







NOTE: The date on which the photograph has been taken must be clearly printed on the photograph. Applications without the date printed on the photograph will be rejected.

ANNEXURE-III

The form of certificate to be to be produced by Scheduled Caste and Scheduled Tribe candidates applying for appointment to posts under the Government of India This is to certify that Shri/Shrimati/Kumari*_ __ of village/Town* son/daughter of Shri District/Division* State/Union of the Caste/Tribe* which is belongs to the

recognised as a Scheduled Caste/Scheduled Tribe* under:

- @ The Constitution (Scheduled Caste) Order, 1950
- @ The Constitution (Scheduled Tribes) Order, 1950
- @ The Constitution (Scheduled Castes) Union Territories Order,1951*
- @ The Constitution (Scheduled Tribes) Union Territories Order, 1951*

As amended by the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Lists (Modification Order) 1956, the Bombay Reorganization Act, 1960, the Punjab Reorganization Act, 1966, the State of Himachal Pradesh Act, 1970, the North Eastern Areas Reorganization) Act, 1971, the Scheduled Caste and Scheduled Tribes Orders (Amendment) Act 1976., the State of Mizoram Act, 1986 the State of Arunachal Pradesh Act, 1986 and the Goa, Daman and Diu (Reorganization) Act, 1987]

- @ The Constitution (Jammu & Kashmir) Scheduled Castes order, 1956
- @ The Constitution (Dadra and Nagar Haveli) Scheduled Castes Order, 1962
- @ The Constitution (Dadra and Nagar Haveli) Scheduled Tribes Order, 1962
- @ The Constitution (Pondicherry) Scheduled Castes Order, 1964
- @ The Constitution (Uttar Pradesh) Scheduled Tribes Order, 1967
- @ The Constitution (Goa, Daman and Diu) Scheduled Castes Order, 1968
- @ The Constitution (Goa, Daman and Diu) Scheduled Tribes Order, 1968
- @ The Constitution (Nagaland) Scheduled Tribes Order, 1970
- @ The Constitution (Sikkim) Scheduled Caste Order, 1978
- @ The Constitution (Sikkim) Scheduled Tribes Order, 1978
- @ The Constitution (Jammu & Kashmir) Scheduled Tribes Order, 1989
- @ The Constitution (Scheduled Castes) Order (Amendment) Act, 1990
- @ The Constitution (Scheduled Tribes) Orders (Amendment)Act, 1991
- @ The Constitution (Scheduled Tribes) Orders (Second Amendment) Act, 1991
- @ The Scheduled Castes and Scheduled Tribes Orders (Amendment) Act, 2002
- @ The Constitution (Scheduled Castes) Orders (Amendment) Act, 2002
- @ The Constitution(Scheduled Castes and Scheduled Tribes) Orders(Amendment) Act, 2002
- @ The Constitution (Scheduled Castes) Orders (Second Amendment) Act, 2002 @ The Constitution (Andaman & Nicobar Islands) Scheduled Tribes Order, 1959 as
- amended by the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Orders (Amendment) Act,
- 2. Applicable in the case of Scheduled Castes/Scheduled Tribes persons who have migrated from one State/Union Territory Administration to another.

Tills certificate is issued off the basis of	ille scheduled casterscheduled illbe
Certificate issued to Shri/Smt*	Father/Mother
Shri/Smt./Kumari*	of village/Town*
in District/Division*	of the State/UT*
who belongs to the	Caste/Tribes* which
recognised as a SC/ST* in the State/Unio	on Territory*
issued by the	(name of the prescribed issuing
authority) vide their No	dated
3. Shri/Shrimati/Kumari*	and or * his/her* fami
ordinarily reside(s) in Village/Town*	of District/Division
of the State/Union Territory* of	

** Designation (With Seal of Office) State/Union Territory

* Please delete the words which are not applicable.

- @ Please quote specific Presidential order.
- % Delete the paragraph which is not applicable.

Note:- The terms 'ordinarily' reside(s) used here will have the same meaning as in Section 20 of the Representation of the People Act, 1950.

- ** List of authorities empowered to issue Scheduled Caste/Scheduled Tribe/OBC Certificates
- (i) District Magistrate/Additional District Magistrate/Collector/Deputy Commissioner/ Additional Deputy Commissioner/Dy. Collector/1st Class Stipendiary Magistrate/+ Sub Divisional Magistrate/Extra-Assistant Commissioner/Taluka Magistrate/ Executive Magistrate. (+not below the rank of 1st Class Stipendiary Magistrate).
- (ii) Chief Presidency Magistrate/Additional Chief Presidency Magistrate/Presidency Magistrate.
- (iii) Revenue Officers not below the rank of Tehsildar.
- (iv) Sub-Divisional Officers of the area where the candidate and/or his family normally
- (v) Administrator/ Secretaru to Administrator/ Development Officer (Lakshadweep). Note: ST candidates belonging to Tamil Nadu State should submit caste certificate ONLY FROM THE REVENUE DIVISION OFFICER.

ANNEXURE-IV The form of certificate to be to be produced by Other Backward Classes

Signature

candidates applying for appointment to posts under the Government of India This is to certify that Shri/Smt./Kumari _ son/daughter ____ in District/Division of village/Town in the State/Union Territory _____ Community which is recognised as a backward class under the Government of India, Ministry of Social Justice and Empowerment's Resolution No. dated *. Shri/Smt./Kumari his/her family ordinarily reside(s) in the

District/ Division of the State/ Union Territory. This is also to certify that he/she does not belong to the persons/ sections (Creamy Layer) mentioned in Column 3 of the Schedule to the Government of Indi, Department of Personnel & Training O.M. No.36012/22/93-Estt.(SCT) dated 08/09/1993**. Dated:

District Magistrate Deputy Commissioner etc. (with official seal)

* The authority issuing the certificate may have to mention the details of Resolution of Government of India, in which the caste of the candidate is mentioned as OBC.

** As amended from time to time.

Note: - The term "Ordinarily" used here will have the same meaning as in Sector 20 of the Representation of the People Act, 1950 Continued on page 42

Continued from page 41	ANNEXURE-V	ANNEXURE-IX
Government of (Name & Address of the authority issuing		UNDERTAKING TO BE GIVEN BY AN EX-SERVICEMAN I, bearing Roll No,
	-	appearing for the Document Verification of the
INCOME &ASSETS CERTIFICATE TO BE PRODU WEAKER SECTIONS	JCED BY ECONOMICALLY	(a) I am entitled to the benefits admissible to Ex-Servicemen in terms of the Ex-
Certificate No	Date:	Servicemen Re-employment in Central Civil Services and Posts Rules, 1979, as
This is to certify that Shri/Smt./Kumari		amended from time to time.(b) I have not joined the Government job on civil side (including Public Sector)
son/daughter/wife of, Village/Street	_ permanent resident of Post Office	(b) I have not joined the Government job on civil side (including Public Sector Undertakings, Autonomous Bodies/ Statutory Bodies, Nationalized Banks, etc.)
Districtin the	he State/Union Territory	on regular basis after availing of the benefits of reservation given to ex-
Pin Code Pin Code attested below belongs to Economically Weaker Section		serviceman for re-employment; or (c) I have availed the benefit of reservation as ex-serviceman for securing
income* of his/her I 'family'** is below Rs. 8 lakh (Ruj financial year His/her family does r		Government job on civil side. I have joined as
following assets***:	lot own or possess any or the	on in the office of
I. 5 acres of agricultural land and above; II. Residential flat of 1000 sq. ft. and above;		current employer about date wise detail of the application for the above
III. Residential plot of 100 sq. yards and above in notified		mentioned examination for which I had applied for before joining the present civil employment; or
IV. Residential plot of 200 sq. yards and above in a municipalities.		(d) I have availed the benefit of reservation as ex-serviceman for securing
2. Shri/Smt./Kumaribelongs caste which is not recognized as a Scheduled Caste,		Government job on civil side. I have joined as
Backward Classes (Central List).		eligible for age-relaxation only;
	Signature with seal of Office Name	I hereby declare that the above statements are true, complete and correct to the best of my knowledge and belief. I understand that in the event of any information being
size attested #	Designation	found false or incorrect at any stage, my candidature/ appointment is liable to be
photograph of the applicant		cancelled/ terminated.
* Note 1: Income covered all sources i.e. salary, agricult	ura husinass profession etc	Signature Name:
** Note 2: The term 'Family" for this purpose include the	person, who seeks benefit of	Roll Number:
reservation, his/her parents and siblings below the ag spouse and children below the age of I8 years.	eof 18 years as also his/her	Date: Date of joining the Armed Forces:
***Note 3: The property held by a "Family' in different local	ations or different places/cities	Date of Discharge:
have been clubbed while applying the land or property holding test to determine EWS status.		Last Unit/ Corps:
#List of authorities empowered to issue Income & As (i) District Magistrate/ Additional District Magistrate/ Col		Email ID:
Additional Deputy Commissioner/ Ist Class Stipendar	ry Magistrate/ Sub-Divisional	Annexure-X CERTIFICATE FOR WARDS AND SPOUSE OF SERVING CISF PERSONNEL
Magistrate/ Taluka Magistrate/ Executive Magistrate/ Ext (ii) Chief Presidency Magistrate/ Additional Chief Presidency Magistrate/		Certified that (Name of the candidate) is Son /
Magistrate. (iii) Revenue Officer not below the rank of Tehsildar and		Daughter / spouse of CISF No Rank Name who is posted at CISF Unit It is also
(iv) Sub-Divisional Officer oro the area where the candid		certified that the applicant has been residing with the serving personnel. The name
resides.	ANNEXURE-VI	of the Son/spouse has been verified from the service records of the individual. Dated: (Signature of the Unit Commander)
FORM OF CERTIFICATE TO BE SUBMITTED BY	THOSE CANDIDATES WHO	Name
INTEND TO AVAIL RELAXATION IN HEIGHT OR CHESCHIFTING CHESCHIFT CHESCHIFTING CHESCHI		RankUnit:
is permanent resident of Village	Tehsil/Taluka	(With office seal)
District of State. 2. It is further certified that :		Note: One copy of the certificate to be kept in the personal file of the serving personnel. ANNEXURE-XI
 Residents of entire area mentioned above are con- (Garhwalis, Kumaounis, Gorkhas, Dogras, Maratha 		FORM OF UNDERTAKING TO BE SUBMITTED BY EMPLOYEES OF
height and chest measurement for recruitment in t		GOVERNMENT DEPARTMENTS /PUBLIC SECTOR
Union of India. ◆ He belongs to	_ (Himachal Pradesh, Leh &	UNDERTAKINGS/AUTONOMOUS BODIES I do hereby declare that I am informing my Head of Office/Department/Ministry in
Ladakh regions of Jammu & Kashmir and North Ea relaxation in height and Chest measurement for re		writing that I have applied for the post of Constable/Tradesmen as the case may be) in
Forces of the Union of India.		CISF. Place: Signature of Candidate
 He belongs toTribal community are in height and Chest measurement for recruitment 	nd is considered for relaxation in the Para Military Forces of	Date : Name:
the Union of India.		ANNEXURE -XII FORM OF CERTIFICATE TO BE SUBMITTED BY EMPLOYEES OF
District Magistrate/Sub-Div	Signature risional Magistrate/Tehsildar	GOVERNMENT DEPARTMENTS/UNDERTAKINGS
Date:		"Certified that the Department/Office has no objection in permitting Shri
Place : ◆ Delete whichever is not applicable		certified that Shri has not been awarded with any punishment
UNDERTAKING TO BE GIVEN BY CANDIDATES AP	ANNEXURE-VII PLYING FOR CIVIL POSTS	(Major/Minor) till date and that his performance throughout his service in this Department / Office has been above "AVERAGE".
UNDER EX-SERVICEMEN CATE	GORY	Signature
I understand that, if selected on the basis of the recruitn application relates, my appointment will be subject to		Date : Name & Rank of Head of Office/ Controlling Officer/Unit Commander
evidence to the satisfaction of the Appointing Author	ority that I have been duly	Annexure - 'XIII'
released/retired/discharged from the Armed Forces at benefits admissible to Ex-Servicemen in terms of the Ex-		Office of the Sarpanch / Numberdar / Naib Tehsildar
in Central Civil Services and Posts rules, 1979, as amen I also understand that I shall not be eligible to b		
reserved for Ex-Servicemen in regard to the re	cruitment covered by this	Photograph
examination, if I have at any time prior to such employment on the civil side (including Public Secto		
Bodies/Statutory Bodies, Nationalized Banks, etc.) by	y availing of the concession	IDENTITY CERTIFICATE FOR WEST PAKISTANI REFUGEE RESIDING IN THE STATE OF JAMMU AND KASHMIR
of reservation of vacancies admissible to Ex-Serviceme Place:	en. (Signature of the Candidate)	This is to certify that Shri/Ms/Smt, S/o D/o, W/o Shri
Date:	,	formerly a resident of Village Tehsil
Form of Certificate for serving Defend	ANNEXURE-VIII ce Personnel	District of undivided India (now Pakistan) presently residing at
I hereby certify that, according to the informatio (Rank) (Na	n available with me (No.)	House No Stree/Lane No Mohalia Village Tehsil
due to complete the specified term of his engagement v	,	District is a West Pakistani
(Date) Place: (Signate	ure of Commanding Officer)	Refugee after having migrated from Pakistan during the Indo-Pak Conflict of 1947. Sarpanch/Numberdar/Naib Tehsildar
Date:	Office Seal	CBC 19113/11/0013/2425 EN 47/96



केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल

सूचना

के औसुब में आरक्षक/ट्रेड्समैन की भर्ती-2024

ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने की तिथि : 05/03/2025 से 03/04/2025 अंतिम तिथि : 03.04.2025 (23:59 बजे तक)

केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में पात्र भारतीय पुरुष एवं महिला नागरिकों से पे लेवल-3, (रु. 21,700 से 69,100/-) में तथा केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को समय-समय पर देय सामान्य भत्तों सिंहत आरक्षक/ट्रेड्समैन के अस्थाई पदों को भरने के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं. उनकी नियुक्ति होने पर, वे केऔसुब अधिनियम एवं नियम के साथ-साथ समय-समय पर बल के अन्य सदस्यों पर लागू केन्द्रीय सिविल सेवा नियमावली द्वारा अधिशासित होंगे. वे 01 जनवरी, 2004 को अथवा बाद में केन्द्र सरकार की सेवा में कार्यभार ग्रहण करने वाले सभी कर्मचारियों के लिए लागू नेशनल पेंशन सिस्टम के रूप में ज्ञात ''परिभाषित अंशदायी पेंशन प्रणाली'' के अनुसार पेंशन संबंधी लाभ प्राप्त करने के पात्र होंगे. भर्ती प्रक्रिया में, शारीरिक दक्षता परीक्षण (पीइटी), शारीरिक मानक परीक्षण (पीएसटी), दस्तावेजीकरण, ट्रेड परीक्षण, ओएमआर/कम्प्यूटर आधारित परीक्षा (सीबीटी मोड) के तहत लिखित परीक्षा और चिकित्सा परीक्षण शामिल होंगे. भर्ती की मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार हैं :-

- 1.1 आवेदन पत्रों को केवल ''ऑनलाइन'' माध्यम से स्वीकार किया जाएगा.
- 1.2 शारीरिक दक्षता परीक्षण (पीईटी)/शारीरिक मानक परीक्षा (पीएसटी)/दस्तावेजीकरण/ट्रेड परीक्षा/लिखित परीक्षा/चिकित्सा परीक्षण निर्धारित और आयोजित की जाएंगी.
- 1.3 लिखित परीक्षा ओएमआर आधारित/कम्प्यूटर आधारित परीक्षा (सीबीटी) मोड के अंतर्गत केवल अंग्रेजी और हिंदी भाषाओं में आयोजित की जाएंगी.
- 1.4 अपेक्षित पात्रता प्रमाण-पत्रों/दस्तावेजों का सत्यापन मूल प्रतियों से पीईटी/ पीएसटी, दस्तावेजीकरण एवं ट्रेड परीक्षा के समय किया जाएगा.
- 1.5 आरक्षक (ट्रेड्समैन) की रिक्तियों को क्षेत्रीय आधार पर भरा जाएगा.
- 1.6 अभ्यर्थियों द्वारा शारीरिक दक्षता परीक्षण (पीईटी), शारीरिक मानक परीक्षा (पीएसटी), दस्तावेजीकरण, ट्रेड परीक्षा, चिकित्सा परीक्षण में अर्हता प्राप्त कर लेने पर और इस अधिसूचना में निर्धारित अन्य शर्तों के अधीन लिखित परीक्षा में उनके प्रदर्शन के आधार पर ऑतम परिणाम घोषित किया जाएगा.
- 1.7 परीक्षा के किसी भी चरण के लिए प्रवेश पत्र डाक से नहीं भेजे जाएंगे. केऔसुब की भर्ती वेबसाइट htttps://cisfrectt.cisf.gov.in पर प्रवेश प्त्रों को डाउनलोड करने की सुविधा प्रदान की जाएगी. अभ्यर्थियों को भर्ती प्रक्रिया पर किसी भी अपडेट के लिए और परीक्षा के प्रत्येक चरण के लिए प्रवेश पत्र समय पर डाउनलोड करने के लिए नियमित रूप से वेबसाइट विजिट करने की सलाह दी जाती है.
- 1.8 10 प्रतिशत रिक्तियों को वरीयता के आधार पर महिला अभ्यर्थियों से भरा जाएगा जिसके न होने पर उसे पुरुष अभ्यर्थियों द्वारा भरा जाएगा.

1.9 अभ्यर्थियों की पात्रता निर्धारित करने की कट-ऑफ तिथि निम्न प्रकार से होगी.

आयु	01/08/2025
शैक्षिक अर्हता/जाति प्रमाण-पत्र इत्यादि	03/04/2025

- 2. वेतनमानः पे-लेवल-3 (रु. 21,700-69,100/-)
- 3. राष्ट्रीयता/नागरिकता: अभ्यर्थी को भारत का नागरिक होना अनिवार्य है.
- 4. रिक्तियाः आरक्षक /ट्रेड्समैन-2024 के पद के लिए खंडवार/ट्रेडवार/श्रेणीवार रिक्तियां निम्नानुसार हैं:-

Ţ	ाद का नाम /ट्रेड		सीधी		भूतपूर्व	कुल
М	14 97 114 753	ПЕВ	महिला	-	मूरायूज सैनिक	योग योग
L		पुरुष	माहला	कुल	सानक	વાગ
3	आरक्षक/रसोइया	400	44	444	49	493
3	आरक्षक/मोची	07	01	08	01	09
3	आरक्षक/दर्जी	19	02	21	02	23
3	आरक्षक/नाई	163	17	180	19	199
13	आरक्षक/धोबी	212	24	236	26	262
3	आरक्षक/सफाईवाला	123	14	137	15	152
3	आरक्षक/पेंटर	02	00	02	00	02
3	आरक्षक/बढ़ई	07	01	08	01	09
3	आरक्षक/इलेक्ट्रिशयन	04	00	04	00	04
3	आरक्षक/माली	04	00	04	00	04
3	आरक्षक/वेल्डर	01	00	01	00	01
13	आरक्षक/चार्ज मैकेनिक	01	00	01	00	01
13	आरक्षक/एमपी अटेन्डेंट	02	00	02	00	02
٥	कुल	945	103	1048	113	1161

0.0		/	- C 5.	1	0	\sim .
साधा	भता	(पुरुष)	अभ्यर्थियों	क	ालए	रिशक्तया
		, 9				

पद का नाम / ट्रेड	भ्यथियों के लिए रिक्तिया श्रेणी	उत्तरी एनसीआर पश्चिमी			मध्य पूर्वी दक्षिणी			उत्तरी पूर्वी			
		खंड	खंड	खंड	खंड	खंड	खंड	खंड-॥	खंड	योग	
भारक्षक /रसोइया	अनारक्षित	19	30	23	11	18	33	17	6	157	
	अनुसूचित जाति	7	11	9	5	7	13	7	2	61	
	अनुसूचित जनजाति	4	6	4	3	3	7	4	2	33	
	अन्य पिछड़ा वर्ग	13	20	16	9	12	22	11	4	107	
	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	5	8	6	4	5	8	5	1	42	
	कुल	48	75	58	32	45	83	44	15	400	
आरक्षक/मोची	अनारक्षित	1	1	1	0	1	1	1	0	6	
	अनुसूचित जाति	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	अनुसूचित जनजाति	0	0	0	0	0	1	0	0	1	
	अन्य पिछड़ा वर्ग	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	कुल	1	1	1	0	1	2	1	0	7	
आरक्षक/दर्जी	अनारक्षित	1	1	1	1	1	2	1	1	9	
	अनुसूचित जाति	0	0	0	0	0	1	0	0	1	
	अनुसूचित जनजाति	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	अन्य पिछड़ा वर्ग	1	1	1	0	1	3	2	0	9	
	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	कुल	2	2	2	1	2	6	3	1	19	
आरक्षक/नाई	अनारक्षित	7	11	10	5	7	14	6	2	62	
	अनुसूचित जाति	3	4	3	2	3	11	4	1	31	
	अनुसूचित जनजाति	1	2	2	1	1	2	1	0	10	
	अन्य पिछड़ा वर्ग	5	8	6	4	5	9	5	2	44	
	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	2	3	2	1	2	3	2	1	16	
	कुल	18	28	23	13	18	39	18	6	163	
भारक्षक/ धोबी	अनारक्षित	9	15	13	5	9	16	10	3	80	
	अनुसूचित जाति	4	7	5	3	4	7	4	1	35	
	अनुसूचित जनजाति	2	3	2	2	3	3	2	1	18	
	अन्य पिछड़ा वर्ग	7	11	8	5	6	12	6	2	57	
	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	3	4	3	2	2	5	2	1	22	
	कुल	25	40	31	17	24	43	24	8	212	
भारक्षक/सफाईवाला	अनारक्षित	6	10	6	4	6	9	6	2	49	
	अनुसूचित जाति	2	3	3	2	2	4	2	1	19	
	अनुसूचित जनजाति	1	2	1	0	1	3	1	0	9	
	अन्य पिछड़ा वर्ग	4	6	5	3	4	7	4	1	34	
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		1								

(पृष्ठ 37 का शेष)										
पद का नाम / ट्रेड	श्रेणी	उत्तरी	एनसीआर	पश्चिमी	मध्य	पूर्वी	दक्षिणी	उत्तरी पूर्वी	उत्तरी पूर्वी	कुल
		खंड	खंड	खंड	खंड	खंड	खंड	खंड-॥	खंड	योग
	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	1	2	2	1	1	3	1	1	12
	कुल	14	23	17	10	14	26	14	5	123
आरक्षक/ पेंटर	अनारक्षित	0	1	0	0	0	1	0	0	2
	अनुसूचित जाति	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	अनुसूचित जनजाति	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	अन्य पिछड़ा वर्ग आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	कुल	0	1	0	0	0	1	0	0	2
आरक्षक/बर्व्ड	अनारक्षित	1	1 65	T 1.3T	1	1	1	1	0	7
-11141111111111111111111111111111111111	अनुसूचित जाति	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	अनुसूचित जनजाति	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	अन्य पिछड़ा वर्ग	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	कुल	1	1	1	1	1	1	1	0	7
आरक्षक/ इलेक्ट्रिशयन	अनारक्षित अनुसूचित जाति	0	0	0	0	0	0	0	0	0
इलाक्ट्राशयन	अनुसूचित जनजाति	0	0	1	0	0	0	0	0	1
	अन्य पिछड़ा वर्ग	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	0	0	0 /	0	0	0	0	0	0
A PO	कुल	0	1	1/	0	0	2	0	0	4
आरक्षक/माली	अनारक्षित	0	0	1	0	0	1	0	0	2
	अनुसूचित जाति	0	1	0	0	0	0	0	0	1
	अनुसूचित जनजाति	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127	अन्य पिछड़ा वर्ग आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	0	0	0	0	0	1	0	0	1
0	कुल	0	0	0	0	0	2	0	0	0 4
आरक्षक/वेल्डर	अनारक्षित	0	1	0	0	0	0	0	0	1
आरद्भक/परन्डर	अनुसूचित जाति	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	अनुसूचित जनजाति	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	अन्य पिछड़ा वर्ग	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	कुल	0	1	0	0	0	0	0	0	1
आरक्षक/चार्ज	अनारक्षित	0	0	0	1	0	0	0	0	1
मैकेनिक	अनुसूचित जाति	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	कुल	0	0	0	1	0	0	0	0	1
आरक्षक/एमपी	अनारक्षित	0	1	0	1	0	0	0	0	2
अटेन्डेंट	अनुसूचित जाति	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	अनुसूचित जनजाति	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	अन्य पिछड़ा वर्ग	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	कुल	0	1	0	1	0	0	0	0	2
	कुल योग	109	175	135	76	105	205	105	35	945
	अभ्यर्थियों के लिए रिक्तियाः-	D		ı		49	1			
पद का नाम / ट्रेड	श्रेणी	उत्तरी —-	एनसीआर 	पश्चिमी 	मध्य	पूर्वी	दक्षिणी	उत्तरी पूर्वी	उत्तरी पूर्वी 	कुल
		खंड	खंड	खंड	खंड	खंड	खंड	खंड-॥	खंड	योग
आरक्षक/रसोइया	अनारिक्षत	1	2	2	2	1	4	1	1	14
	अनुसूचित जाति	1	2	1	1	1	1	2	0	9
	अनुसूचित जनजाति	1	1	1	0	1	1 (0	0	5
	अन्य पिछड़ा वर्ग	1	2	1	1	1	2	1	0	9
	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	1	1	2	0	1	1	1	0	7
	कुल	5	8	7	4	5	9	5	1	44
आरक्षक/मोची	अनारक्षित	0	1	0	0	0	0	0	0	1
	अनुसूचित जाति	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	अनुसूचित जनजाति	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	अन्य पिछड़ा वर्ग	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	कुल	0	1	0	0	0	0	0	0	1
आरक्षक/दर्जी	अनारिक्षत	0	1	0	0	0	1	0	0	2
	अनुसूचित जाति	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	अनुसूचित जनजाति	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	अन्य पिछड़ा वर्ग									
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	कुल	0	1	0	0	0	1	0	0	2
आरक्षक/नाई	अनारिक्षत	1	2	1	1	1	2	0	1	9
	अनुसूचित जाति	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	अनुसूचित जनजाति	0	0	0	0	0	0	1	0	1
	अन्य पिछड़ा वर्ग	1	1	1	0	1	1	1	0	6
										(शेष पृष्ठ 39 प

(पृष्ठ 38 का शेष)										
पद का नाम / ट्रेड	श्रेणी	उत्तरी 	एनसीआर 	पश्चिमी 	मध्य 	पूर्वी	दक्षिणी	उत्तरी पूर्वी ————————————————————————————————————	उत्तरी पूर्वी	कुल
		खंड	खंड	खंड	खंड	खंड	खंड	खंड-॥	खंड	योग
	आर्थिक रुप से कमजोर वर्ग	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	कुल	2	3	2	1	2	4	2	1	17
आरक्षक/धोबी	अनारक्षित	2	1	2	1	2	2	1	0	11
	अनुसूचित जाति	0	1	1	0	1	1	0	0	4
	अनुसूचित जनजाति	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	अन्य पिछड़ा वर्ग	1	1	1	1	0	1	1	1	7
	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	0	1	0	0	0	1	0	0	2
	कुल	3	4	4	2	3	5	2	1	24
आरक्षक/बढ़ई	अनारिक्षत	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0
	अनुसूचित जाति	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	अनुसूचित जनजाति	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	अन्य पिछड़ा वर्ग	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	कुल	0	0	0	0	0	1	0 43	0	1
आरक्षक/सफाईवाला	अनारिक्षत	1	1	1	1	1	0	2	1	8
	अनुसूचित जाति	1	0	0	0	0	0	0	0	1
	अनुसूचित जनजाति	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A Do	अन्य पिछड़ा वर्ग	0	1	1	0	1	2	0	0	5
	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	कुल	2	2	2	1	2	2	2	1	14
	कुल योग	12	19	15	8	12	22	11	4	103

भूतपूर्व सैनिकों के लिए रिक्तियां

0		
क्रम सं.	पद का नाम /ट्रेड	रिक्तियों की कुल संख्या
10	आरक्षक/रसोइया	49
2	आरक्षक/मोची	7 / 1 / /
3	आरक्षक/दर्जी	2
4	आरक्षक/नाई	19
5	आरक्षक/धोबी	26
6	आरक्षक/सफाईवाला	15
70	आरक्षक/बढ़ई	1
	कुल	113

(प्रयुक्त किए गए संक्षिप्ताक्षर इस प्रकार है:- यूआर- अनारक्षित, ईडब्ल्यूएस- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अपिव-अन्य पिछड़ा वर्ग, अजा- अनुसूचित जाति, अजजा- अनुसूचित जनजाति, ईएसएम- भूतपूर्व सैनिक और कांस्टेबल-आरक्षक)

- 4.1 ऊपर दी गई रिक्तियां संभावित हैं और ये भर्ती प्रक्रिया के समय प्रशासिनक कारणों से किसी भी समय/अवस्था में बढ़ाई अथवा घटाई जा सकती हैं. यदि रिक्तियों में कोई संशोधन होता है तो इसे केऔसुब भर्ती वेबसाइट अर्थात htttps://cisfrectt.cisf.gov.in पर ऑतिम परिणाम की घोषणा से पहले किसी भी चरण में अधिसूचित किया जा सकता है.
- 4.2 अजा/अजजा/अपिव/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/भृतपूर्व सैनिक श्रेणियों के लिए आरक्षण प्रचलित सरकारी आदेशों के अनुसार उपलब्ध हैं. किसी आरक्षित श्रेणी (अजा/अजजा/अपिव/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) के अभ्यर्थी किसी विशेष ट्रेड में रिक्तियों की अनुपलब्धता या अन्य कारणों से एक अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी के रूप में आवेदन कर सकते हैं, बशतें वे अनारिक्षत श्रेणी के लिए लागू नियम एवं शर्तों जैसे आयु सीमा, कद आदि को पूरा करते हैं.
- 4.3 उपर्युक्त पदों पर भर्ती के लिए अधिवास की स्थिति का प्रतिबंध होगा. इस अधिसूचना के पैरा संख्या 8.2 के नीचे तालिका की कॉलम 2 में यथा उल्लिखित राज्यों से संबंध रखने वाले अभ्यर्थियों के नामों पर, राज्य द्वारा यथा प्राधिकृत सक्षम पदाधिकारियों द्वारा जारी वैध ''अधिवास प्रमाण-पत्र'' जो उनके अधिवासकी स्थिति को सिद्ध कर सके, के प्रस्तुत करने पर ही अभ्यर्थी को उनके संबंधित भर्ती खंड जैसा की कालम -3 में दर्शाया गया है, में भर्ती के लिए विचार किया जाएगा. ऐसा नहीं किए जाने पर उनकी अभ्यर्थिता तुरंत निरस्त कर दी जाएगी और उन्हें भर्ती की अगली प्रक्रिया में भाग लेने नहीं दिया जाएगा.
- 4.4 इस अधिसूचना को, संबंधित भर्ती खंड के क्षेत्राधिकार में आने वाले राज्यों की रिक्तियों को शामिल करते हुए जारी किया गया है. पुरुष/महिला अभ्यर्थी को केवल अपने गृह राज्य और भर्ती खंड जिससे वह संबंध रखता है, की विज्ञापित रिक्तियों के अधीन ही आवेदन करना होगा.
- 4.5 नियुक्ति के लिए चयन किए गए अभ्यर्थियों को भारतीय क्षेत्र और विदेश में सेवा प्रदान करने के लिए कहीं भी तैनात किया जा सकता है.
- 4.6 के औसुब बल सदस्यों के बच्चे जो उनके आवासीय राज्य/भर्ती खंड के अलावा अन्य राज्य में रह रहे हैं, भी आवेदन कर सकते हैं और उस भर्ती केन्द्र से आवेदन कर सकते हैं, जहां उनके पिता/माता तैनात हैं. तथापि, उन पर केवल भर्ती खंड के तहत दिए गए उनके वास्तिवक अधिवासी गृह राज्य की रिक्तियों के अधीन विचार किया जाएगा. इस छूट का लाभ उठाने के लिए, उन्हें इस अधिसूचना में संलग्न प्रपत्र (अनुलग्नक-X) के अनुसार इकाई प्रभारी से जारी प्रमाण पत्र की छाया प्रति प्रस्तुत करनी होगी. तथापि, वे उस राज्य/भर्ती खंड से, जहां से वे शामिल हो रहे हैं,यदि वे वास्तिवक रूप से ऐसे राज्य/भर्ती खंड में वास्तिवक रूप से नहीं रह रहे हैं, से छूट प्राप्त करने के हकदार नहीं होंगे. ऐसे अभ्यधियों को पात्रता/छूट पर विचार भर्ती खंड के तहत दिए गए उनके अधिवासी राज्य के अनुसार लागू समझा जाएगा.
- 4.7 अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे एक ट्रंड के लिए ही आवेदन पत्र प्रस्तुत करें. यदि अभ्यर्थी एक से अधिक ट्रंड के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत करता है तो केवल पहले आवेदन पत्र को आगे प्रक्रियाबद्ध किया जाएगा.
- 4.8 आवेदन पत्र भरते समय अभ्यर्थियों को अपने आवेदन पत्र में अपनी सही पहचान कार्ड संख्या (अर्थात् आधार नंबर, ड्राईविंग लाइसेंस, वोटर आई डी कार्ड, विश्वविद्यालय/महाविद्यालय द्वारा जारी किया गया पहचान पत्र अथवा आयकर पैन कार्ड नंबर) को सही तरीके से भरना सुनिश्चित करना चाहिए। अभ्यर्थी द्वारा उसे प्रत्येक प्रतिस्पर्धा के दौरान परीक्षा केन्द्र पर प्रस्तुत करना होगा। भर्ती के प्रथम चरण के दौरान अभ्यर्थियों का बायोमैट्रिक डाटा तैयार किया जाएगा और उसे अभ्यर्थियों की पहचान का सत्यापन करने के लिए भर्ती प्रकिया के तद्नुरूपी चरणों के दौरान उपयोग किया जाएगा.

- 4.9 अभ्यर्थियों को अपने सभी मूल शैक्षिक/अनुभव/जाति/अधिवास प्रमाण पत्रों और अन्य दस्तावेजों को पीईटी/पीएसटी, दस्तावेजीकरण और ट्रेड परीक्षा के समय समुचित जांच/छंटनी के लिए लाना होगा. यदि कोई अभ्यर्थी अपनी पात्रता के समर्थन में अपेक्षित दस्तावेजों को प्रस्तुत नहीं कर पाता है, तो उनकी अभ्यर्थिता सीधे ही निरस्त कर दी जाएगी और किसी अन्य दिन पर दस्तावेजीकरण के लिए कोई अपील स्वीकार नहीं की जाएगी और भर्ती की अगली प्रक्रिया में उन्हें भाग लेने के लिए अनुमित प्रदान नहीं की जाएगी.
- 4.10 पद कम्बेटाईज्ड और पूर्णतः अस्थायी हैं परंतु इन्हें स्थायी किया जा सकता है.
- 4.11 आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों के संबंध में निम्नलिखित विवरण वाला जाति प्रमाण पत्र निर्धारित प्रपत्र के अनुसार स्वीकार किया जा सकता है, और उम्मीदवारों को संबंधित आरक्षित वर्ग की रिक्ति के अधीन भर्ती प्रक्रिया में बने रहने की अनुमित दी जा सकती है:-
 - (क) अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम तथा उससे संबंधित स्थान/गांव/कस्बा जिससे वे संबंध रखते हैं.
 - (ख) उपयुक्त/निर्धारित प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाण-पत्र.
 - (ग) जाति प्रमाण पत्र में भारत सरकार के प्राधिकरण संकल्प को सही तरीके से उल्लिखित किया गया है जो यह सिद्ध कर सके कि आरक्षित श्रेणी के अधीन अभ्यर्थी का दावा वास्तविक है.
 - (घ) अभ्यर्थी के जाति प्रमाण पत्र में यथा उल्लिखित जाति उस श्रेणी के लिए केन्द्र सरकार द्वारा यथा अधिसूचित समेकित सूची में उपलब्ध है.
- 4.12 यदि उपयुक्त भूतपूर्व सैनिक उपलब्ध नहीं हैं तो भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित रिक्तियों को गैर भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थियों से भरा जाएगा.
- 4.13 भूतपूर्व सैनिक, 1984 के दंगों में मारे गए पीड़ितों और 2002 के गुजरात के सांप्रदायिक दंगों में मारे गए पीड़ितों के बच्चे/आश्रित किसी भी क्षेत्र में भर्ती के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं. तथापि,उन्हें उस जिले के जिलाधीश/जिला मजिस्ट्रेट जिसमें पीड़ित व्यक्ति मारा गया था से प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा
- 5. प्रमुख विशेषताएं:
- 5.1 अभ्यर्थियों को अपना आवेदन पत्र केऔसुब की आधिकारिक वेबसाइट अर्थात् htttps://cisfrectt. cisf.gov.in पर ऑनलाइन तरीके से ही प्रस्तुत करना चाहिए. आवेदन पत्र को प्रस्तुत करने का कोई अन्य तरीका अनुमत नहीं है.
- 5.2 शारीरिक दक्षता परीक्षण (पीईटी), शारीरिक मानक परीक्षण (पीएसटी), दस्तावेजीकरण, ट्रेड परीक्षा, लिखित परीक्षा और चिकित्सा परीक्षण का आयोजन केऔसुब द्वारा विभिन्न भर्ती केन्द्रों पर किया जाएगा.
- **5.3** सामान्य, अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों से 100/- रु. का आवेदन शुल्क लिया जाएगा. महिला अभ्यर्थियों और अ.जा., अ.ज.जा. और भूतपूर्व सैनिक श्रेणियों से संबंधित को शुल्क अदायगी से छूट प्राप्त है.
- 5.4 नीचे यथा उल्लिखित भर्ती के सभी चरणों के लिए बुलावा पत्र/प्रवेश पत्र अभ्यर्थियों को केवल के औसुब की भर्ती वेबसाइट अर्थात् htttps://cisfrectt.cisf.gov.in के माध्यम से जारी किए जाएंगे जिसे डाउनलोड करने की सुविधा होगी और डाक से नहीं भेजे जाएंगे.
 - क. पीईटी/पीएसटी, दस्तावेजीकरण और ट्रेड परीक्षा,
 - ख. लिखित परीक्षा,
 - ग. चिकित्सा परीक्षण,

अभ्यर्थियों को इसलिए यह सलाह दी जाती है कि वे केऔसुब की भर्ती वेबसाइट htttps://cisf rectt.cisf.gov.in को, भर्ती प्रक्रिया संबंधी अधतन जानकारी के लिए नियमित रूप से विजिट करें. अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र को परीक्षण/परीक्षा देते समय लाना अपेक्षित होगा.

- 5.5 भर्ती के चरण निम्नानुसार होंगे:-
 - (क) पीईटी/पीएसटी/दस्तावेजीकरण और ट्रेड परीक्षा.
 - (ख) ओएमआर आधारित/सी बी टी मोड आधारित लिखित परीक्षा जो द्विभाषी अर्थात् हिंदी और अंग्रेजी में होगी.

(ग) विस्तृत चिकित्सा परीक्षण (डीएमई)

टिप्पणी:- उपरोक्त चरणों का क्रम प्रशासनिक कारणों/मौजूदा परिस्थितियों के कारण केऔसुब के विवेक से आपस में परिवर्तित किया जा सकता है. यदि प्रथम चरण में लिखित प्ररीक्षा आयोजित की जाती है, तो दूसरे चरण के लिए बुलाए जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या पूर्णतया लिखित परीक्षा में मेरिट पर निर्भर करेगी जिसके लिए अर्हक अंक अनारिक्षत, ईडब्ल्यूएस और भूतपूर्व सैनिकों के लिए 35 प्रतिशत, और अजा/अजजा/ अ.पि.व. के लिए 33 प्रतिशत होंगे. तथापि, लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण सभी अभ्यर्थियों को दूसरे चरण अर्थात् पीईटी/पीएसटी/दस्तावेजीकरण और ट्रेड परीक्षा में बुलाना आवश्यक नहीं होगा. दूसरे चरण के लिए बुलाए जाने

(पृष्ठ 39 का शेष)

वाले अभ्यर्थियों की संख्या प्रत्येक पद और प्रत्येक श्रेणी के लिए रिक्तियों की संख्या के संदर्भ में लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण हुए कुल अभ्यर्थियों की संख्या पर निर्भर करेगी. तदनुसार, प्रत्येक श्रेणी के लिए कट-ऑफ अंक निर्धारित किए जाएंगे.

- 5.6 लिखित परीक्षा सह मैरिट सूची आदि का खंडवार, ट्रेडवार और श्रेणीवार परिणाम निकाला जाएगा.
- 5.7 वे अभ्यर्थी जो पीईटी/पीएसटी/दस्तावेजीकरण एवं ट्रेड परीक्षा और लिखित परीक्षा में अर्हता प्राप्त कर लेते हैं उन्हें विस्तृत चिकित्सा परीक्षण (डीएमई) में शामिल होने के लिए लिखित परीक्षा के उनके प्रदर्शन के आधार पर खण्डवार/ट्रेडवार और श्रेणीवार शार्टिलस्ट किया जाएगा. विस्तृत चिकित्सा परीक्षण (डीएमई) के लिए शॉर्टिलस्ट किए गए अभ्यर्थियों की संख्या अधिसूचित की गई रिक्तयों की संख्या की लगभग 02 (दो) गुणा होगी.
- 5.8 अर्नोतम रूप से चयनित अभ्यर्थियों की सूची केऔसुब भर्ती के वेबसाइट htttps://cisfrectt. cisf.gov.in पर अपलोड की जाएगी.
- 5.9 भर्ती के किसी चरण के लिए बुलावा-पत्र जारी करने को पद के लिए ॲतिम चयन नहीं माना जाएगा.
- 5.10 सुळ्यवस्थित, पारदर्शी और निष्पक्ष भर्ती प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए, बल विभिन्न चरणों में पर्याप्त उपायों और आधुनिक साधनों का उपयोग करेगा.
- 5.11 अयोग्यता: कोई व्यक्ति बल में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा- अ) (क) जिसने उस व्यक्ति से विवाह या अनुबंध किया हो जिसका पित या पत्नी जीवित है अथवा (ख) जिसका पित या पत्नी जीवित है और उसने किसी अन्य व्यक्ति के साथ विवाह या अनुबंध किया हो। परन्तु यदि केन्द्र सरकार इस बात से संतुष्ट हो कि, ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के दूसरे पक्षकार पर लागू होने वाली निजी विधि के अधीन मान्य है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है, तो उस व्यक्ति को इस नियम से छूट दी जा सकती है.
 - (ब) सरकारी सेवा से बर्खास्त किए जाने पर
- 6. पात्रता मानदंड:-
- 6.1 शैक्षिक अर्हताएं:

प्रशिक्षित ट्रेड्स (अर्थात् नाई, बूटमेकर/मोची, दर्जी, रसोईया, राजिमस्त्री, माली, पेंटर, चार्ज मैकेनिक, धोबी, वेल्डर, इलेक्ट्रिशयन और मोटर पंप सहायक) के लिए एक मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिक अथवा इसके समकक्ष. औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों से प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को वरीयता दी जाएगी.

अप्रशिक्षित ट्रेड्स (अर्थात सफाईवाला) के लिए ऑनलाइन आवे**दन पत्र की प्राप्ति की अंतिम तिथि** को अथवा उससे पहले मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिक अथवा इसके समकक्ष.

(राज्य बोर्ड/केन्द्रीय बोर्ड के अलावा शैक्षिक प्रमाण पत्र भारत सरकार की अधिसूचनाओं के साथ संलग्न होने चाहिए जिसमें यह घोषित किया गया हो कि ऐसी योग्यता केन्द्र सरकार के तहत मैट्रिक/दसवीं कक्षा पास के समकक्ष है.)

6.2 आयु सीमा: 01.08.2025 को 18 से 23 वर्ष के बीच. आवेदक का जन्म 02.08.2002 से पहले और 01.08.2007 के बाद का नहीं होना चाहिए.

6.2.1

विभिन्न श्रेणियों के लिए ऊपरी आयु सीमा में अनुमत छूट निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	श्रेणी	ऊपरी आयु सीमा से अधिक आयु में अनुमत छूट					
i)	अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति	ऊपरी आयु सीमा में 05 वर्ष तक.					
ii)	अन्य पिछड़ा वर्ग ऊपरी आयु सीमा में 03 वर्ष तक.						
iii)	भूतपूर्व सैनिक	गणना की तिथि अर्थात ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि को वास्तविक आयु से उनकी सैन्य सेवा की अविध घटाने के बाद 3 वर्ष.					
iv)	1984 के दंगों और गुजरात में 2002 के सांप्रदायिक दंगों में मारे गए मृतकों के आश्रित और बच्चे	अनारक्षित /आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए ऊपरी आयु सीमा में 05 वर्ष तक. अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए ऊपरी आयु सीमा में 08 वर्ष तक. अजा/अजजा के अभ्यर्थियों के लिए ऊपरी आयु सीमा में 10 वर्ष तक.					
	सिंहत) अथवा (ख) पुत्री (दत्तक पुत्री सिंहत). परिवार के अथवा (ख) बच्चे अथवा (ग) भाई अथवा बहन जहां दंगों में में मारे जाने के दौरान वे उस पर पूरी तरह आश्रित हो. ट पाने के लिए आवेदकों को इस आशय का प्रमाण पत्र से प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा जिसके क्षेत्र में पीड़ित						
৫ ২ গ্র	मारा गया था.	Service Service of the services district angle					

6.3 शारीरिक मानक

- पुरुष अभ्यर्थी :-
- (क) कद (पैरा संख्या 6.3.1 में उल्लिखित के अलावा सामान्य, अनु.जाति, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए) -170 सेमी.
- (ख) सीना (पैरा संख्या 6.3.1 में उल्लिखित के अलावा सामान्य, अनु.जाति, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए) -80-85 सेमी. (05 सेमी का न्यून्तम फुलाव)

महिला अभ्यर्थी :-

- (क) कद (पैरा संख्या 6.3.1 में उल्लिखित के अलावा सामान्य, अनु.जाति, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए) -157 सेमी।
- (ख) सीना- महिला अभ्यर्थियों के मामले में सीने की कोई न्यूनतम आवश्यकता नहीं है.
- 6.3.1 विभिन्न श्रेणियों में आने वाले अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक मानकों में अनुमत छूट निम्नानुसार है:-

क्रम	निम्न के लिए छूट	क	द	सीना	
सं.		पुरुष	महिला	पुरुष	महिला
i)	गढ़वाली, कुमाउंनी, गोरखा, डोगरा, मराठा तथा सिक्किम, नागालैण्ड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, असम, हिमाचल प्रदेश, कश्मीर , जम्मू और कश्मीर के लेह व लद्दाख क्षेत्र से संबंधित अभ्यर्थी अनुलग्लक-VI	165 सेमी	155 सेमी	78-83 सेमी (न्यूनतम फुलाव 5 सेमी)	लागू नहीं
	के अनुसार प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर. उपर्युक्त मानक सभी श्रेणियों (अर्थात सामान्य, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग और अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अनु.जाति के लिए लागू है. ** दार्जिलिंग जिले के तीन उप-प्रभागों नामतः दार्जिलिंग क्षेत्रीय प्रशासन (जीटीए) के अभ्यर्थी और इन जिलों के		~		

	क्रम	निम्न के लिए छूट	कद	सीन	ना							
	सं.		पुरुष	महिला	पुरुष	महिला						
		(1) लोहागढ़ चाय गार्डन (2) लोहागढ़ जंगल (3) रंगमोहन (4) बाराचेंगा (5) पनीघेटा (6) छोटा										
		अदालपुर (7) पहारू (8) सुकना जंगल (9) स्										
		जंगल (12) चंपासारी जंगल (13) सलबारी छट	: पार्ट-II (14) सितं	ोंग जंगल	(15) सिवो	क पहाड़ी						
		जंगल (16) सिवोक जंगल (17) छोटा चेंगा (²	18) नाईपेनिया.									
	ii)	अनुसूचित जनजातियों से संबंधित सभी अभ्यर्थी	162.5	150	76-81	लागू नहीं						
			सेमी	सेमी	सेमी							
					(न्यूनतम							
					फुलाव							
2					5 सेमी)							

- 4 वजनः चिकित्सा मानकों के अनुसार कद और आयु के समानुपाती. शारीरिक मापन के समय वजन को रिकॉर्ड किया जाएगा परंतु वजन की वजह से फिटनेस का निर्णय विस्तृत चिकित्सा परीक्षण के समय लिया जाएगा.
- 6.5 चिकित्सा मानक:- चयनित किए गए अभ्यर्थियों के शारीरिक एवं चिकित्सीय सौष्ठव की जांच का चिकित्सीय परीक्षण एक चिकित्सा बोर्ड द्वारा किया जाएगा. अभ्यर्थियों के चिकित्सा परीक्षण का आयोजन उनकी शारीरिक एवं चिकित्सीय फिटनेस की जांच करने के लिए गृह मंत्रालय के यूओ संख्या ए. VI-1/2014-भर्ती (एसएसबी) दिनांक 20.05.2015 और गृह मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन संख्या ई. 32012/एडीजी (मेडिकल)/डीएमई एण्ड आरएमई/डीए-1/2020 (पार्ट फाइल)/1166 दिनांक 31.05.2021 तथा सरकार द्वारा समय-समय पर यथा संशोधित सीएपीएफ और असम राइफल्स में राजपत्रित और अराजपत्रित अधिकारियों की भर्ती के लिए समरूप दिशा निर्देशों के अनुसरण में किया जाएगा. उसे उसमें वर्णित चिकित्सा मानकों को पूरा करना होगा.
- 6.5.1 आवेदक के घुटनों में टकराव न हों, समतल पैर, वेरीकोस वेन अथवा आंखों में भेंगापन न हो और उसकी उच्च रंग-भेद दृष्टि होनी चाहिए. अभ्यर्थी अच्छी मानसिक व शारीरिक दशा में हो और किसी भी प्रकार की भौतिक कमी जिससे उसके कार्य निष्पादन में बाधा पहुँचती हो, उससे मुक्त होना चाहिए.
- 6.5.2 टैटू : टैटू की अनुमेयता को स्थापित करने के लिए निम्नलिखित मापदंड निर्धारित किए गए हैं:-
- क) सामग्री: भारतीय सेना में पालन किए जाने वाले धार्मिक चिह्न अथवा आकृतियां अथवा नाम को दर्शाने वाले टैट, अनुमत होंगे.
- अं स्थान: शरीर के पारंपरिक स्थानों जैसे कि अग्रभुजाओं के अंदरूनी हिस्सों पर ऑकित टैटू, लेकिन केवल बाई भुजा के अग्रभाग, गैर सलामी अंग या हाथों के पृष्ठ पर होने के कारण अनुमित है.
- ग) आकार: शरीर के विशेष भाग (कोहनी या हाथ) से 1/4 से कम होना चाहिए.
 टिप्पणी -!:- वे अभ्यर्थी जिन्होंने 03.04.2025 को आवश्यक शैक्षिक अर्हताओं को प्राप्त नहीं किया है, पात्र नहीं होंगे और उन्हें आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है.

टिप्पणी-II:- अभ्यर्थियों को यह अवश्य नोट करना चाहिए कि आयु और नाम का निर्धारण करने के लिए केवल मैट्रिकुलेशन/सेकेन्डरी स्कूल परीक्षा प्रमाण पत्र अथवा एक समतुल्य प्रमाण पत्र में रिकॉर्ड की गई जन्मतिथि और नाम को स्वीकार किया जाएगा. जन्मतिथि में परिवर्तन संबंधी किसी तद्नुरूपी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा.

- 6.6 भूतपूर्व सैनिक जो थलसेना में सिपाही/लांस नायक हैं अथवा वायुसेना अथवा नौसेना में समतुल्य रैंक पर हैं, वे आरक्षक/ट्रेड्समैन के पद पर आवेदन करने के पात्र हैं. थलसेना/वायुसेना/नौसेना में सूबेदार, नायब सूबेदार, हवलदार, नायक अथवा समतुल्य रैंकधारी भी भूतपूर्व सैनिक निम्नतर पदों की भर्ती के लिए प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं बशर्ते वे पात्रता मानदंडों को पूरा करते हों और साथ में वे यह लिखित में स्वीकारोक्ति प्रदान करें कि उनके चयन होने की स्थिति में वे रक्षा बलों में उनके द्वारा धारित रैंक के समतुल्य पद का दावा नहीं करेंगे. एक ''भूतपूर्व सैनिक'' से तात्पर्य उस व्यक्ति से है
- (i) 'जिसने भारतीय संघ की नियमित थल, नौ सेना तथा वायु सेना के किसी भी रैंक (चाहे वर्दीधारी अथवा गैर वर्दीधारी) में सेवा की हो; और
 - (क) जो चाहे स्वयं के अनुरोध पर अथवा नियोक्ता से ऐसी सेवा से पेंशन लेने के पश्चात सेवानिवृत, कार्यभार मुक्त अथवा डिस्चार्ज कर दिए गए हों; अथवा
 - (ख) जो रक्षा सेवा पर आरोपणीय चिकित्सा आधार पर अथवा ऐसी परिस्थितयां जो उसके नियंत्रण से बाहर हों, के कारण सेवा मुक्त हुए हैं और जिन्हें चिकित्सा अथवा अन्य अशक्तता पेन्शन दी गई हों; अथवा
 - (ग) जो स्थापना में कमी होने के परिणामस्वरूप ऐसी सेवा से कार्यमुक्त किये गए हों; अथवा
- (ii) जो ऐसी सेवा से नियुक्ति की एक निश्चित अविध पूरी करने के बाद उनके स्वयं के अनुरोध करने के सिवाय ऐसी सेवा से कार्यमुक्त िकए गए हों अथवा कदाचार या अकुशलता के कारण बर्खास्त अथवा सेवामुक्त िकए गए हों और उनको उपदान दिया गया हो तथा इसके अंतर्गत क्षेत्रीय सेना के कार्मिक नामतः निरन्तर सेवा वाले अथवा सतत् अर्हक सेवा वाले पेंशनधारक भी शामिल हैं अथवा
- (iii) सेना डाक सेवा के कार्मिक जो नियमित सेना का हिस्सा हैं तथा जो पेंशन सहित अपनी मूल सेवा में बिना प्रत्यावर्तन के सेना डाक सेवा से सेवानिवृत्त हुए हैं अथवा रक्षा सेवा के कारण चिकित्सा आधार पर सेना डाक सेवा से सेवामुक्त हुए हों अथवा विकृति होने पर अथवा ऐसी परिस्थितियों जो उसके नियंत्रण से बाहर हों, के कारण तथा जिन्हें चिकित्सा अथवा अन्य अशक्तता पेंशन दी गई हो; अथवा
- (iv) ऐसे कार्मिक जो 14 अप्रैल 1987 से पहले 6 मा**ह से अधि**क **की अवधि के लिए** सेना डाक सेवा में प्रतिनियुक्ति पर रहे हों; अथवा
- (v) क्षेत्रीय सेना कार्मिकों सहित सशस्त्र बलों के शौर्य पुरस्कार विजेता; अथवा
- (vi) चिकित्सा आधार पर बाहर किए गए अथवा सेवामुक्त तथा चि<mark>कित्सा अशक्तता पेंशन प्राप्त पूर्व रंगरूट</mark>.
- 6.6.1 आयु: उन्हें अपनी वास्तविक आयु में से सेना सेवा की अवधि घटाने की अनुमित दी जाएगी, और परिणामी आयु पदों के लिए निर्धारित अधिकतम आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए.
- 6.6.2 चिकित्सा श्रेणी : सेवा मुक्ति के समय 'ए' (ए.वाई.ई.) अथवा ''शेप-1''. उन्हें केऔसुब में आरक्षक ट्रेड्समैन के पद के लिए सीधी भर्ती के लिए निर्धारित समान चिकित्सीय मानकों को धारण करना होगा.
- 6.6.3 सेवा मुक्ति के समय चिरित्र : आदर्श /बहुत अच्छा. सेवामुक्ति के प्रमाण पत्र की प्रति पीईटी/पीएसटी, दस्तावेजीकरण और ट्रेड परीक्षा के समय भी प्रस्तुत कर सकते हैं.
- 6.6.4 **शैक्षणिक योग्यता:** मैट्रिक अथवा समतुल्य अथवा सेना प्रथम श्रेणी प्रमाण पत्र अथवा वायु सेना अथवा नेवी के समतुल्य.

6.6.5 अन्य पात्रता शर्ते वही रहेंगी जो पात्रता मानदंड में यथा उल्लिखित अन्यों के लिए लागू हैं.

टिप्पणी-। भूतपूर्व सैनिक जो अपने पुनः रोज़गार के लिए भूतपूर्व सैनिकों को दिए गए आरक्षण का लाभ उठाने के बाद केन्द्र सरकार के तहत नियमित आधार पर सिविल में रोज़गार प्राप्त कर चुके हैं, वे भूतपूर्व सैनिक श्रेणी के तहत आरक्षण के लाभों अथवा शुल्क में छूट का दावा करने के पात्र नहीं होंगे. तथापि, वे तदनुरुपी रोज़गार के लिए भूतपूर्व सैनिक के रूप में आरक्षण का लाभ ले सकते हैं यदि उसने सिविल रोज़गार में कार्यभार ग्रहण करने के तुरंत पश्चात् संबंधित नियोक्ता को विभिन्न रिक्तियों के लिए आवेदन पत्रों के तिथिवार विवरण के बारे में संबंधित नियुक्ता का स्व-घोषणा/वचन दिया हो, जिसके लिए किया था जैसे कि उसने प्रारंभिक सिविल रोजगार में कार्य भार ग्रहण करने से पहले डीओपीटी द्वारा जारी कार्यालय ज्ञापन संख्या 36034/01/2014 प्रशासन (रेस) दिनांक 14.08.2014 में यथा उल्लेख किया है.

(शेष पृष्ठ ४१ पर)

(पृष्ठ 40 का शेष)

टिप्पणी-॥ सशस्त्र बलों में एक भूतपूर्व सैनिक के लिए 'कॉल अप सेवा' की अवधि को उम्र में छूट के प्रयोजन से सशस्त्र बलों में प्रदान की गई सेवा के रूप में माना जाएगा.

टिप्पणी-III संघ के तीनों सशस्त्र बलों के किसी कार्मिक को आरक्षण का लाभ प्रदान करने के प्रयोजन से एक भूतपूर्व सैनिक के रूप में माना जाना चाहिए, उसने पद/सेवा के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत करते समय उपयुक्त समय पर भूतपूर्व सैनिक का दर्जा प्राप्त कर लिया हो और/अथवा वह अपनी अर्जित हकदारी को सक्षम अधिकारी के समक्ष दस्तावेजीय प्रमाण के साथ प्रस्तुत कर सके कि वह सशस्त्र बलों के साथ काम करने की निश्चित शर्तों को ऑन लाईन आवेदन पत्र की समाप्ति की तिथि से एक वर्ष की निर्धारित अविध में पूरा कर लेगा.

टिप्पणी-IV भूतपूर्व सैनिकों के पुत्रों, पुत्रियों और आश्रितों के लिए आयु में छुट लागू नहीं है. इसलिए ऐसे अभ्यर्थियों को अपनी श्रेणी भूतपूर्व सैनिक के रूप में नहीं दर्शानी चाहिए.

टिप्पणी -V भूतपूर्व सैनिक (केन्द्रीय नागरिक सेवा और पदों में पुनः तैनाती) संशोधन नियमावली, 2012 में यथा उल्लिखित भूतपूर्व सैनिकों की पुनः तैनाती के लिए अन्य नियम और शर्तों के साथ-साथ समय-समय पर भारत सरकार द्वारा जारी अन्य दिशा-निर्देश भी लागू होंगे.

टिप्पणी -VI भूतपूर्व सैनिकों को पीएसटी के समय मौजूद रहना होगा ताकि वे अपने माप, दस्तावेजीकरण को रिकार्ड करला सकें और अपने शैक्षिक प्रमाण-पत्रों और अन्य दस्तावेजों को प्रस्तुत कर सकें. इन भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थियों के लिए पीईटी नहीं करवाई जाएगी. तथापि, उन्हें ट्रेड परीक्षा, लिखित परीक्षा और चिकित्सीय जांच में भी उपस्थित रहना होगा और उत्तीर्ण करना होगा. भूतपूर्व सैनिकों के चिकित्सा परीक्षण का आयोजन उनकी शारीरिक एवं चिकित्सीय फिटनेस की जांच करने के लिए गृह मंत्रालय के दिनांक 20.05.2015 के यूओ संख्या ए. VI-1/2014-भर्ती (एसएसबी) और गृह मंत्रालय के दिनांक 31.05.2021 के कार्यालय ज्ञापन संख्या ई.-32012/एडीजी(मेडिकल)/डीएमई एण्ड आरएमई/डीए-1/2020 (पार्ट फाइल)/1166 तथा सरकार द्वारा समय-समय पर यथा संशोधित के अनुसरण में किया जाएगा. उसे उसमें वर्णित चिकित्सा मानकों को पूरा करना होगा.

टिप्पणी VII संघ के सशस्त्र बलों में सेवा प्रदान करने वाले व्यक्ति, जो सेवा से सेवानिवृत होने पर 'भूतपूर्व सैनिक' की श्रेणी में आते हैं, वे सेवा की विशिष्ट शर्तों के पूरा होने से एक वर्ष पहले पुनः रोज़गार के लिए आवेदन कर सकते हैं और भूतपूर्व सैनिकों को मिलने वाली सभी छूटों का लाभ ले सकते हैं परंतु वे संघ के सशस्त्र बलों की सेवा की विशिष्ट शर्तों को जब तक पूरा न कर दें उन्हें वर्दी छोड़ने की अनुमित नहीं दी जाएगी. ऐसे अभ्यथियों को संबंधित कमान्डिंग अधिकारी से अनुलग्नक-'VIII' के अनुसार एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा

- 07 प्रमाणन की प्रक्रिया और प्रमाण-पत्रों का प्रपत्र:
- 7.1 वे अध्यर्थी जो आरक्षित रिक्तियों के अधीन आवेदन करना चाहते हैं/अथवा जो आयु में छूट चाहते हैं, उन्हें सक्षम प्राधिकारी से निर्धारित प्रपत्र में अपेक्षित प्रमाण-पत्रों को प्रस्तुत करना होगा अन्यथा अजा/अजजा/अपिव/भूतपूर्व सैनिक के उनके दावे पर विचार नहीं किया जाएगा और उनकी अध्यर्थिता/आवेदन पत्रों को रद्द कर दिया जाएगा. प्रमाण-पत्रों के प्रपत्र इस अधिसूचना के साथ संलग्न किए गए हैं.
- 7.2 अभ्यर्थियों केदस्तावेज सत्यापन के समय उनकी अधिवास की स्थिति प्रमाणित करने के लिए संबंधित राज्य / संघ शासित प्रदेश द्वारा यथा प्राधिकृत सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी वैध 'अधिवास/स्थायी आवासीय प्रमाण पत्र (पी आर सी)' प्रस्तुत करने पर उनके संबंधित राज्यों /संघ शासित प्रदेशों में भर्ती के लिए विचार किया जाएगा ऐसा नहीं किए जाने पर उस पुरुष /महिला अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता सीधे ही निरस्त कर दी जाएगी. अधिवास/ पी आर सी प्रमाण पत्र उसी राज्य / संघ शासित प्रदेश का होना चाहिए जो अभ्यर्थी ने अपने ऑनलाइन प्रपत्र में दर्शाया है ऐसा नहीं किए जाने पर उनकी अभ्यर्थिता सीधे ही निरस्त कर दी जाएगी.
- 7.3 अध्यर्थी के अधिवासी राज्य के अलावा अन्य राज्य से जारी जाति प्रमाण पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा. जाति एवं अधिवास दोनों प्रमाण पत्र एक ही राज्य के द्वारा जारी किए होने चाहिए.
- 7.4 अनुसूचित जाित, अनुसूचित जनजाित अथवा अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी की जाित से संबंधित अभ्यर्थी को एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरण करने पर यह सूचित विकल्प दर्शाना होगा कि क्या वह आरक्षण का लाभ अपने मूल राज्य में लेना चाहता है अथवा वह स्थानांतरित होने वाले राज्य में अनारिक्षत अभ्यर्थी के रूप में अपीयर होना चाहता है. अभ्यर्थी को यह विकल्प अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र में भरना होगा. ऐसे विकल्प को बदलने के किसी अनुरोध पर आयोग द्वारा ऑन लाईन आवेदन प्रपत्र को अंतिम रूप से प्रस्तुत करने/विंडो में सुधार किए जाने के पश्चात विचार नहीं किया जाएगा. यदि एक अभ्यर्थी अपने मूल राज्य से आरक्षण के लाभ लेने का विकल्प चुनता है तो उस पुरुष /महिला अभ्यर्थी को आवेदन प्रपत्र में अपनी मौजूदा अधिवास के राज्य के साथ-साथ उस अभ्यर्थी को अपनी मूल राज्य के बारे में सूचना प्रदान करनी होगी. ऐसे अभ्यर्थियों को अपने राज्य से अधिवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होगी. तथापी उन अभ्यर्थियों को मूल राज्य/संघ राज्य क्षेत्र से प्राप्त जाित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवष्यक होगा.
- 7.5 यदि कोई अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र में यह घोषित करता है कि वह अपने मूल राज्य/संघ राज्य क्षेत्र से दूसरे राज्य/संघ राज्य क्षेत्र (अर्थात अधिवास का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र) में चला गया है और अपने मूल राज्य/संघ राज्य क्षेत्र से आरक्षण का लाभ नहीं लेने का विकल्प चुनता है, तो ऐसे अभ्यर्थी को उसके अधिवास वाले राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में अनारक्षित श्रेणी का अभ्यर्थी माना जाएगा, भले ही उसके पास जाति प्रमाण पत्र हो या न हो.
- 7.6 यदि कोई अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र में यह घोषित करता है कि वह अपने मूल राज्य/संघ राज्य क्षेत्र से दूसरे राज्य/संघ राज्य क्षेत्र (अर्थात अधिवास का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र) में चला गया है और अपने मूल राज्य/संघ राज्य क्षेत्र से आरक्षण का लाभ लेने का विकल्प चुनता है, तो ऐसे अभ्यर्थी को मूल राज्य/संघ राज्य क्षेत्र से/उसके आधार पर जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा उसकी अभ्यर्थिता को प्रवास के राज्य/संघ राज्य क्षेत्र (अर्थात अधिवास का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र) से अनारिक्षत श्रेणी के अभ्यर्थी के रूप में माना जाएगा. तथापि, यदि अभ्यर्थी अधिवासित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र से अपेक्षित अधिवास प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने में विफल रहता है, तो उसकी अभ्यर्थिता तत्काल अस्वीकृत कर दी जाएगी.
- 7.7 अपिव के आरक्षण के आधार पर नियुक्ति चाह रहे अभ्यर्थी को यह अवश्य ही सुनिश्चित करना चाहिए कि उसके पास जाति/समुदाय प्रमाण-पत्र है और वह निर्णायक तिथि अर्थात् ऑनलाइन आवेदन पत्र के प्राप्त होने की अंतिम तिथि को क्रीमी लेयर में नहीं आता है.
- 7.8 ईडब्ल्यूएस के तहत आरक्षण के लाभ एक सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी आय और परिसंपत्ति के प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर लिया जा सकता है। आय एवं परिसंपत्ति के प्रमाण-पत्रों को प्रस्तुत करने की निर्णायक तिथि ऑनलाइन आवेदन-पत्रों की प्राप्ति की ऑतिम तिथि होगी।
- 7.9 उपरोक्त के संबंध में, अभ्यर्थियों को यह भी नोट करना चाहिए कि संबंधित दस्तावेज की सत्यता नियुक्त करने वाले प्राधिकारी से जांच किए जाने तक उनकी अभ्यर्थिता अनंतिम रहेगी. अभ्यर्थियों को यह चेतावनी दी जाती है कि उनकी अभ्यर्थिता सीधे ही निरस्त कर दी जाएगी यदि वे धोखे से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग/ईडब्ल्यूएस का दावा करते हैं अथवा अन्य लाभ उठाते हैं. अभ्यर्थियों को यह भी चेतावनी दी जाती है कि उन्हें परीक्षा से स्थाई रूप से वंचित कर दिया जाएगा यदि वे धोखे से अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग/ईडब्ल्यूएस/भृतपूर्व सैनिक का दावा करते हैं.
- 7.10 चूकि आसाम राज्य अधिवास प्रमाण-पत्र/स्थायी आवास प्रमाण पत्र (पीआरसी) जारी नहीं करता है, आसाम राज्य से संबंध रखने वाले अभ्यर्थियों को उन्हें प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है. तथापि, उनका चयन संबंधित जिला प्राधिकारियों से उनकी आवासीय स्थिति के सत्यापन के अधीन होगा.

- 7.11 पश्चिमी पाकिस्तान के शरणार्थी (डब्ल्यूपीआर) जो कि जम्मू एवं कश्मीर में रह रहे हैं परंतु जिन्हें राज्य के नागरिक का दर्जा नहीं दिया गया है, को जम्मू एवं कश्मीर राज्य के नामित प्राधिकारी से अधिवास प्रमाण-पत्र प्राप्त करने की शर्त के बगैर भर्ती किया जाएगा. अभ्यर्थी के गांव के सरपंच/नंबरदार द्वारा अनुलग्नक -XII के अनुसार जारी किया गया इस आशय का प्रमाण पत्र कि व्यक्ति पश्चिमी पाकिस्तान शरणार्थी श्रेणी से संबंध रखता है, संसदीय निर्वाचन क्षेत्र (चूंकि वे राज्य विधान सभा में वोट देने का अधिकार नहीं रखते हैं) में चुनाव के लिए मतदाता सूची में अभ्यर्थी का नाम दर्शाने वाली मतदाता सूची की एक प्रति के साथ को भर्ती के लिए उसके पश्चिमी पाकिस्तानी शरणार्थी के प्रमाण के रूप में माना जाएगा. जहां तक उपरोक्त शरणार्थियों से उनके अनुसूचित जनजातियों के होने का संबंध है, राज्य सरकार ने पहले ही उनके अनुसूचित जाति की स्थिति को दर्शाते हुए और विशिष्ट रूप से यह दर्शाते हुए कि अभ्यर्थी राज्य का स्थायी नागरिक नहीं है, परंतु साधारणतः गांव में रह रहा है, के प्रमाण-पत्र जारी कर दिए हैं. इन प्रमाण-पत्रों को तदनुसार उनकी अनुसूचित जाति के पश्चिमी पाकिस्तानी शरणार्थी के प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जा सकता है.
- 8. आवेदन कैसे करें:-
- 8.1 आवेदन पत्रों को केऔसुब की वेबसाइट अर्थात् https://cisfrectt.cisf.gov.in पर ही ऑनलाइन तरीके से प्रस्तुत करना होगा. विस्तृत दिशा-निर्देशों के लिए, कृपया इस अधिसूचना के अनुलगनक-। को देखें. आवेदन प्रस्तुत करने का कोई अन्य तरीका अनुमत नहीं है.
- 8.2 प्रत्येक भर्ती खंड के तहत आने वाले राज्य/संघ क्षेत्र के नाम के विवरण निम्नानसार हैं:-

क्र. सं.	राज्य/संघ क्षेत्र का नाम	भर्ती खंड का नाम	आवेदन प्राप्त करने वाले केन्द्र के नाम पते सहित
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	चंडीगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, लद्दाख, पंजाब एवं राजस्थान	उत्तरी खंड	उप महानिरीक्षक, के औसुब (उत्तरी क्षेत्र) मुख्यालय, के औसुब परिसर, पोस्ट-महिपालपुर, नई दिल्ली-110037 (ई मेल आई डी: dignz@cisf.gov.in)
2.	दिल्ली, उत्तर प्रदेश एवं उत्तरखंड	एनसीआर खंड	उप महानिरीक्षक, केऔसुब आरआरसी एनसीआर क्षेत्र मुख्यालय, केऔसुब 5वीं आरक्षित वाहिनी, पोस्ट-शिप्रा सन सिटी, जिला-गाजियाबाद, राज्य- उत्तर प्रदेश-201014 (ईमेल आईडी: rrc-ncrzone@cisf.gov.in)
3.	दादरा व नगर हवेली एवं दमण व दीव, गोवा, गुजरात और महाराष्ट्र	पश्चिमी खंड	उप महानिरीक्षक, केऔसुब (पिष्चिमी क्षेत्र) मुख्यालय, केऔसुब पिरसर, सेक्टर-35, खारघर, नवी मुंबई - 410210 (ई मेल आई डी: digwz@cisf.gov.in)
4.	छत्तीसगढ़ एवं मध्य प्रदेश	मध्य खं ड	उप महानिरीक्षक, के औसुब (मध्य क्षेत्र) मुख्यालय, भिलाई, तीसरी आरक्षित वाहिनी परिसर, पोस्ट-उतई, जिला-दुर्ग, राज्य-छत्तीसगढ़ - 491107 (ई मेल आई डी: digcz@cisf.gov.in)
5.	बिहार एवं झारखंड	पूर्वी खंड	वरिष्ठ कमाण्डेन्ट, केऔसुब द्वितीय आरक्षित वाहिनी, पोस्टः धुर्वा, जिलाः रांची, राज्यः झारखंड -834004 (ई मेल आई डी: rb-2nd@cisf.gov.in)
6.	आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, लक्षद्वीप, पुद्दुचेरी, तमिलनाडु एवं तेलंगाना.	दक्षिणी खंड	उप महानिरीक्षक, के औसुब (दक्षिणी क्षेत्र) मुख्यालय, 'डी' ब्लॉक, राजाजी भवन, बेसन्त नगर, चन्नै, तमिलनाडु - 600090 (ई मेल आई डी: digsz@cisf.gov.in)
7.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह, सिक्किम, ओडिशा एवं पश्चिम बंगाल	उत्तरी पूर्वी खंड-॥	उप महानिरीक्षक, के औसुब (उत्तरी पूर्वी क्षेत्र-2) मुख्यालय, परिसर संख्या 553, पूर्वी कोलकाता टाउनशिप (कस्बा), कोलकाता - 107 (ईमेल आईडी: dig-sez@cisf.gov.in)
8.	अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड एवं त्रिपुरा ऑनलाइन आवेदन पत्र मे अभ्या	उत्तरी पूर्वी खंड	उप महानिरीक्षक, के औसुब (पूर्वोत्तर क्षेत्र) मुख्यालय, बेहरबारी, ए. जी. कॉलोनी के नजदीक, हॉकी स्टेडिय रोड, पोस्ट-बसिस्टा, जिला-कामरूप, असम-78102 (ई मेल आई डी: dignez@cisf.gov.in)

श्रांनलाइन आवेदन पत्र में अभ्यश्रियों को निम्नलिखित दस्तावेजों को अपलोड करना अपेक्षित है: फोटोग्राफ को अपलोड करना- जेपीईजी प्रारूप (20 केबी से 50 केबी) में हाल ही का स्कैन किया

गया रंगीन पासपोर्ट आकार का फोटो जिस पर फोटो खींचने की तिथि छपी हो (अर्थात इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन माह से अधिक पुराना नहीं हो). फोटो की छवि आयाम लगभग 3.5 सेमी (चौड़ाई) x 4.5 सेमी (ऊंचाई) होना चाहिए. फोटोग्राफ बिना टोपी, चश्मे के होना चाहिए और दोनों कान दिखाई देने चाहिए. फोटो पर फोटो लेने की तिथि स्पष्ट रूप से छपी होनी चाहिए. फोटो पर छपी तारीख के बिना आवेदन पत्र अस्वीकार कर दिए जाएंगे. धुंधली तस्वीर वाले आवेदन भी अस्वीकार कर दिए जाएंगे.

• हस्ताक्षर को अपलोड करना- जेपीईजी प्रारूप में स्कैन किए हुए हस्ताक्षर (10 केबी से 20 केबी)। हस्ताक्षर का छवि आयाम लगभग 4.0 सेमी (चौड़ाई) x 2.0 सेमी (ऊंचाई) होना चाहिए. अस्पष्ट हस्ताक्षर वाले आवेदनों को अस्वीकार कर दिया जाएगा.

- दस्तावेजों को अपलोड करना- अभ्यर्थी को अपनी आयु, शैक्षिक अर्हता और अधिवास प्रमाणपत्र के संबंध में सभी संबंधित दस्तावेजों को पीडीएफ प्रारूप में स्कैन की गई प्रतियों (1 एमबी से अधिक न हो) को अपलोड करना अपेक्षित होगा.
- 8.4 ऑनलाइन आवेदन पत्रों को प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तथा समय 03.04.2025 (23:59 बजे) है.
 - .5 अभ्यर्थियों को उनके हित में सलाह दी जाती है कि वे अंतिम तिथि से काफी पहले ऑनलाइन आवेदन करें और वे अंतिम दिनों के दौरान वेबसाइट पर अत्यधिक लोड के कारण इंटरनेट की संभावित विच्छेदता/लॉग-इन न होना अथवा लॉग-इन में असफलता से बचने के लिए अंतिम तिथि का इंतजार न करें.
- 8.6 ऑनलाइन आवेदन पत्र प्रस्तुत करने से पहले अभ्यर्थियों को यह अवष्य जांच कर लेना चाहिए कि उन्होंने प्रपत्र के प्रत्येक कॉलम में सही विवरण भरे हैं. ऑनलाइन आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात, किसी भी पिरिस्थिति में कोई पिरवर्तन/पिरिशुद्धि/संबोधन अनुमत नहीं किया जाएगा. इस संबंध में डाक, फैक्स, ईमेल, हाथों-हाथ आदि किसी भी रूप में प्राप्त हुए अनुरोधों पर विचार नहीं किया जाएगा.
- 8.7 अभ्यर्थियों को ऑन लाईन आवेदन में स्वयं का सही एवं सिक्रिय ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर भरने की सलाह दी जाती है। क्योंिक भर्ती से संबंधित महत्वपूर्ण सूचना उन्हें एसएमएस अथवा ईमेल के माध्यम से दी जाएगी.

(पृष्ठ 41 का शेष)

- 09. आवेदन शुल्कः
- 9.1 देय शुल्कः रुपए 100/- (रुपए एक सौ केवल)
- 9.2 महिला अभ्यर्थियों और अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी), और आरक्षण के योग्य भूतपूर्व सैनिक (ईएसएम) से संबंधित अभ्यर्थियों को शुल्क के भुगतान से छूट प्राप्त है.
- 9.3 शुल्क का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से नेट बैंकिंग, क्रेडिट अथवा डेबिट कार्ड अथवा रूपे कार्ड और यूपीआई अथवा एसबीआई की शाखाओं में एसबीआई चालान जेनरेट करते हुए नकद के माध्यम से अदा किया जा सकता है. उपर बताए गए तरीके के अतिरिक्त अन्य किसी तरीके से भुगतान किया गया शुल्क स्वीकार नहीं किया जाएगा.
- 9.4 अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन शुल्क का भुगतान 03.04.2025 (23:59 बजे) तक किया जा सकता है. तथापि, ऐसे अभ्यर्थी जो एसबीआई के चालान के माध्यम से नकद भुगतान करना चाहते हैं, वे इसका भुगतान एसबीआई की शाखाओं में कार्य घंटों के दौरान बैंक में 05.04.2025 तक नकद रूप में कर सकते है, बशर्ते उनके द्वारा चालान 03.04.2025 (23:59 बजे) से पहले जेनरेट कर दिया गया हो.
- 9.5 एक बार भुगतान किए गए शुल्क को किसी भी परिस्थित में वापस नहीं किया जाएगा और न ही उसे किसी अन्य परीक्षा अथवा चयन के लिए समायोजित किया जाएगा.
- 9.6 अभ्यर्थियों से अपेक्षित आवेदन शुल्क प्राप्त न होने की स्थिति में (छूट प्राप्त श्रेणी को छोड़कर) उनके आवेदन को सीधे तौर पर रद्द कर दिया जाएगा.
- 9.7 बैंक के लिए यथालागू शुल्क के अलावा प्रशुल्क/कर प्रभार को उम्मीदवार द्वारा वहन किया जाएगा.
- 9.8 आवेदन पत्र की **शुरुआती तिथि अर्थात 05.03.2025** से पहले भुगतान किया गया शुल्क भी स्वीकार्य नहीं
- 10. परीक्षा में प्रवेश:
- 10.1 वे सभी अभ्यर्थी जो इस विज्ञापन के प्रत्युत्तर में ॲतिम तिथि और समय तक स्वयं का पंजीकरण करते हैं और जिनके आवेदन पत्र अनितम रूप से स्वीकार कर लिए जाते हैं और वे इस अधिसूचना के नियमों और शर्तों के अनुसार सही पाए जाते हैं, उन्हें अनुक्रमांक प्रदान किए जाएंगे और उन्हें पीईटी/पीएसटी/दस्तावेजीकरण/ ट्रेड परीक्षा में बुलाने के लिए प्रवेष पत्र जारी किए जाएंगे. तद्नुसार, अर्हता प्राप्त अभ्यर्थियों को परीक्षा के अगले चरणों के लिए प्रवेश पत्र जारी किए जाएंगे.
- 10.2 विभाग पीईटी/पीएसटी/दस्तावेजीकरण/ट्रेड परीक्षा के समय पात्रता एवं अन्य पहलुओं के लिए आवेदनों की विस्तृत जांच करेगा. इसलिए, अभ्यर्थिता को केवल अनंतिम रूप से स्वीकार किया जाएगा. अभ्यर्थियों को शैक्षिक अर्हताओं, आयु, शारीरिक और चिकित्सीय मानकों आदि की अपेक्षाओं के बारे में पता होना चाहिए और उन्हें यह स्वयं सुनिष्चित करना चाहिए कि वे पद के लिए पात्र हैं. यदि अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र में किए गए किसी दावे की पुष्टि भर्ती की समग्र प्रक्रिया के दौरान नहीं होती है तो उसकी अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी.
- 10.3 अभ्यर्थियों को कोई भी पत्र भेजते समय अपना नाम, जन्म तिथि और परीक्षा के नाम के साथ अपनी पंजीकरण संख्या, पंजीकृत ईमेल आईडी और मोबाईल संख्या अवश्य लिखना चाहिए. इन विवरणों के बिना अभ्यर्थियों के पत्र व्यवहार पर विचार नहीं किया जाएगा.
- 10.4 पीईटी/पीएसटी/दस्तावेजीकरण/ट्रेड परीक्षा, लिखित परीक्षा, और चिकित्सा परीक्षण के लिए प्रवेश पत्र डाउनलोड करने की सुविधा को केऔसुब की वेबसाइट https://cisfrectt.cisf.gov.in पर परीक्षा से पहले उपलब्ध करा दी जाएगी. अभ्यर्थियों को परीक्षा हॉल/केंद्र पर प्रवेश पत्र का प्रिंट आउट अवश्य लेकर आना होगा.
- 10.5 वेबसाइट से प्रवेश पत्र डाउनलोड न हो पाने के मामले में, अभ्यर्थियों को पीईटी/पीएसटी/दस्तावेजीकरण/ट्रेड परीक्षा, लिखित परीक्षा, अथवा डीएमई/आरएमई से कम से कम एक सप्ताह पहले केऔसुब से संपर्क करना चाहिए.
- 10.6 प्रवेश पत्र के अलावा, चार नवीनतम पासपोर्ट आकार के रंगीन फोटो जिस पर फोटो लेने की तिथि विधिवत रूप से उल्लिखित (अर्थात इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन महीने से अधिक पुरानी नहीं) हो और एक मूल वैध फोटो आईडी प्रमाण जिस पर जन्म तिथि भली-भांति प्रिन्ट की हुई हो जैसे आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, विश्वविद्यालय/कॉलेज/स्कूल द्वारा जारी पहचान पत्र, नियोक्ता आईडी कार्ड, (सरकारी/पीएसयू) रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी भूतपूर्व सैनिक (ईएसएम) डिस्चार्ज बुक या केंद्र/राज्य सरकार द्वारा जारी कोई भी फोटो वाला अन्य पहचान पत्र लाना अनिवार्य है.
- 10.7 यदि फोटो पहचान पत्र में जन्म तिथि लिखी हुई नहीं है, तो अभ्यर्थी को अपनी जन्म तिथि के प्रमाण में एक अतिरिक्त मूल प्रमाण पत्र (उदाहरणतया मैट्रिकुलेषन प्रमाण पत्र, केवल सीबीएसई/आईसीएसई/राज्य बोर्डो द्वारा जारी अंक तालिकाएं, जन्म प्रमाण पत्र) लाना होगा. प्रवेश पत्र में उल्लिखित जन्म तिथि और जन्म तिथि के समर्थन में लाए गए फोटो आईडी/प्रमाण पत्र में मेल नहीं होने की स्थिति में, अभ्यर्थी को भर्ती प्रकिया में भाग लेने की अनुमित नहीं दी जाएगी.
- 10.8 प्रवेश पत्र में उल्लिखित अन्य कोई दस्तावेज भी अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठते समय लाना होगा.
- 10.9 धुंधले फोटोग्राफ और/अथवा धुंधले हस्ताक्षर वाले आवेदन प्रपत्रों को निरस्त कर दिया जाएगा.
- 11. भर्ती प्रक्रिया :
- 11.1 हाईट बार टेस्ट (एचबीटी)/पीईटी/पीएसटी/दस्तावेजीकरण और ट्रेड परीक्षाः
- 11.1.1 हाईट बार टेस्ट (एचबीटी): जिन अर्ध्यर्थयों के आवेदन अर्नोतम रूप से स्वीकार किए जाते हैं और क्रम में पाए जाते हैं उन्हें रॉल नम्बर दिया जाएगा और उन्हें विभिन्न केन्द्रों पर आयोजित भर्ती के प्रथम चरण अर्थात पीईटी/पीएसटी/दस्तावेजीकरण/ट्रेड परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा,भर्ती केन्द्र पर अभ्यर्थी को हाईट-बार टेस्ट (एचबीटी) से गुजरना होगा.
- 11.1.2 जो अभ्यर्थी हाईट-बार टेस्ट में योग्य पाए जाते हैं उन्हें शारीरिक दक्षता परीक्षा (पीईटी) से गुजरना होगा.
- 11.1.3 शारीरिक दक्षता परीक्षा (पीईटी)
- 11.1.4 जो अभ्यर्थी हाईट-बार टेस्ट में योग्य पाए जाते हैं उन्हें शारीरिक दक्षता परीक्षा (पीईटी) से गुजरना होगा.

पुरुष अभ्यर्थियों के लिए	महिला अभ्यर्थियों के लिए	
1.6 किलोमीटर दौड़ 6 मिनट 30 सेकंड में	800 मीटर दौड़ 4 मिनट में	

- 11.1.5 भूतपूर्व सैनिकों को केवल कद, सीना और वजन की माप दर्ज कराने के लिए पीईटी/पीएसटी/दस्तावेजीकरण/ ट्रेड परीक्षा में उपस्थित होना होगा. इन भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थियों के लिए पीईटी आयोजित नही की जाएगी. तथापि, उन्हें ट्रेड परीक्षा, लिखित परीक्षा और चिकित्सा परीक्षा पास करनी होगी.
- 11.1.6 यह परीक्षा अर्हक प्रकृति की होगी. जो अभ्यर्थी दौड़ में उत्तीर्ण नहीं होते हैं उन्हें पीईटी/पीएसटी बोर्ड द्वारा कारण बताते हुए रिजेक्सन पर्ची देकर भर्ती प्रक्रिया से हटा दिया जाएगा और भर्ती की आगे की प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमित नहीं दी जाएगी। पीईटी (रेस/दौड़) में कोई अपील मान्य नहीं है.
- 11.1.**7 शारीरिक मानक परीक्षा (पीएसटी)** वे अभ्यर्थी जो हाईट-बार टेस्ट और शारीरिक दक्षता परीक्षा में अर्हता प्राप्त कर लेते हैं उनकी अधिकारियों के बोर्ड द्वारा कद, सीना और वजन के लिए स्क्रीनिंग की जाएगी. आरक्षक (ट्रेडमैन) के पद के लिए शारीरिक मानक उपर पैरा 6.3 में विस्तारित किया गया है और छूट भी समय-समय पर भारत सरकार के आदेशों के अनुसार लागू होगीं.
- 11.1.8 ऊपर उल्लिखितानुसार कद और सीना (जैसा भी मामला हो) में छूट जहां वह आमतौर पर रहते है, केवल उन सक्षम प्राधिकारियों से अनुलग्नक-VI में निर्धारित प्रोफ्मर्मा में पीईटी/पीसटी/दस्तावेजीकरण और ट्रेड परीक्षा के समय अपेक्षित प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने पर ही स्वीकार्य होगी. अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी वैध मूल अनुसूचित जनजाति प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने पर छूट का लाभ उठा सकते हैं.
- 11.1.9 जिन अभ्यार्थियों को शारीरिक मानक अर्थात कद और सीने में अयोग्य घोषित किया जाता है, वे उसी दिन, यदि वे चाहें तो, पीठासीन अधिकारी (पीओ) के माध्यम से केंद्र के लिए नामित अपीलीय प्राधिकारी को अपील

- कर सकते हैं. अपीलीय प्राधिकारी का निर्णय ऑतिम होगा और इसके बाद इस संबंध में किसी भी अपील या अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा.
- 11.1.10 निर्धारित शारीरिक मानकों को पूरा नहीं करने वाले अभ्यर्थियों को उनकी रिजेक्सन पर्ची देकर भर्ती प्रक्रिया से हटा दिया जाएगा. हालांकि, वजन के आधार पर हटाने की प्रक्रिया चिकित्सा परीक्षण के समय की जाएगी. शारीरिक मानक की आवष्यकताओं को पूरा करने वाले अभ्यर्थियों को ही दस्तावेजीकरण में भाग लेने की अनुमित दी जाएगी.

11.1.11 दस्तावेजीकरण:-

पीईटी/पीएसटी उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों के निम्निलिखत मूल दस्तावेजों/प्रमाणपत्रों की जांच की जाएगी। वे अभ्यर्थी जो अपेक्षित मूल दस्तावेजों/प्रमाणपत्रों को प्रस्तुत नहीं कर पाएंगे, उन्हें पीठासीन अधिकारी द्वारा कारण बताते हुए निरस्त करने संबंधी स्लिप देते हुए भर्ती संबंधी प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाएगा और किसी भी अभ्यर्थी को अनुतिम रूप से अनुमत नहीं किया जाएगा।

- (i) शैक्षिक प्रमाण पत्र
- (ii) जन्म तिथि प्रमाण पत्र (मैट्रिक अथवा दसवीं पास होने का प्रमाण पत्र)
- (iii) सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी अधिवास प्रमाण पत्र जो उनकी अधिवास संबंधी स्थिति सिद्ध कर सकेप्त
- (iv) अजा/अजजा और अपिव और ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र, यदि लागू होत यह क्रमशः अनुलग्नक III, IV और V में यथानिधारित प्रपत्र में होने चाहिए. जाति प्रमाण पत्र जो विज्ञापन सूचना में दर्शाए गए अनुसार नहीं हैं उन्हें स्वीकार नहीं किया जाएगा.
- (v) अभ्यर्थी के अधिवास निवास राज्य से भिन्न राज्य से जारी जाति प्रमाण पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा अर्थात् दोनों प्रमाण पत्र (जाति और निवास) उसी राज्य के द्वारा जारी किए हुए होने चाहिए.
- (vi) गढ़वाली, कुमाउंनी, गोरखा, डोगरा, मराठा श्रेणी में आने वाले अभ्यर्थी और सिक्किम, नगालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिणपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, आसाम, हिमाचल प्रदेश, कश्मीर और जम्मू एवं कश्मीर के लेह और लद्दाख क्षेत्र गोरखा क्षेत्रीय प्रबंधन (जीटीए) राज्यों से संबंधित अभ्यर्थी जिन्होंने कद और छाती में छूट देने के लिए अनुरोध किया है उन्हें अनुलग्नक-VI में दिए गए परिपत्र/प्रारूप में प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना चाहिए.
- (vii) सेवारत रक्षा कार्मिकों के लिए कार्यभार मुक्ति प्रमाण पत्र/प्रमाण पत्र अनुलग्नक-VII- VIII के रूप में तथा भूतपूर्व सैनिकों के मामले में अनुलग्नक IX में निर्धारित प्रपत्र में वचनबद्धता.
- (viii) अनुलग्नक XI-XIII में दिए गए प्रपत्र के अनुसार सरकारी, अर्द्धसरकारी विभागों में काम करने वाले व्यक्तियों के मामले में उनके कार्यालय प्रमुख से अनापत्ति प्रमाण पत्र/वचनबद्धता.
- (ix) केऔसुब में सेवारत कार्मिकों के बच्चों के मामले में जो अपने गृह राज्य के अलावा दूसरे राज्य में आवेदन कर रहे हैं, उन्हें अनुलग्नक-X में दिए गए प्रारूप के अनुसार प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना चाहिए.
- (x) डब्ल्यूपीआर (पश्चिमी पाकिस्तानी शरणार्थी) जो जम्मू एवं कश्मीर राज्य में रह रहे हैं, के लिए पहचान पत्र अनुलग्नक XIII के अनुसार.
- (xi) अभ्यर्थी की हाल की चार नवीनतम पासपोर्ट आकार की फोटो जिस पर फोटो खीचने की तिथि छपी हो (अर्थात इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन माह से अधिक पुराना नहीं हो).
- (xii) अभ्यर्थियों को एक फोटोयुक्त पहचान पत्र मूल रूप में जैसे ड्राईविंग लाईसेंस, वोटर कार्ड, आधार कार्ड, विश्वविद्यालय/ महाविद्यालय से जारी पहचान पत्र, आयकर पैनकार्ड अपने पास रखने चाहिए जिसके बारे में उन्होंने अपने आवेदन पत्र में उल्लेख किया है/भरा है.
- (xiii) अध्यर्थी की पहचान की जांच अधिकारियों के बोर्ड द्वारा पीईटी/पीएसटी/दस्तावेजीकरण और ट्रेड टेस्ट, लिखित परीक्षा और चिकित्सा परीक्षा के समय उनके द्वारा प्रस्तुत किए गए पहचान पत्रों से की जाएगी. सभी अध्यर्थियों के बायोमेट्रिक क्रेडेंशियल (एलटीआई/आरटीआई/फिंगर्स इंग्रेशन) को पीएसटी/दस्तावेजीकरण और ट्रेड टेस्ट आयोजित करने से पहले पंजीकृत किया जाएगा जिसका उपयोग भर्ती के सभी आगामी चरणों में किया जाएगा.

11.1.12 ट्रेड परीक्षाः

- क) एचबीटी, पीईटी, पीएसटी और दस्तावेजीकरण में उत्तीर्ण घोषित किए गए सभी अभ्यर्थियों को ट्रेड परीक्षा देनी होगी. ट्रेड परीक्षा अर्हक प्रकार की होगी.
- ख.) ट्रेड टेस्ट/प्रेक्टिकल आकलन किया जाएगा जिसका स्वरूप अईक प्रकार का होगा.
- 1. रसोईया (कुक)
 - क) रोटी और चावल बनाना
 - ख) सब्जी/दाल/सांबर/इडली आदि बनाना
 - ग) मांस/मछली/अंडा/खीर बनाना
- 2. मोची
 - क) जूते पॉलिश करना
 - ख) औजारों का संचालन
 - ग) चमड़ा काटना, जूतों की मरम्मत व सिलाई करना
- 3. दर्जी
 - क) कार्मिकों का माप लेना
 - ख) कपड़ों की कटाई
 - ग) वर्दी सिलना
- 4. नाई
 - क) औजारों का संचालन
 - ख) बाल काटना
 - ग) दाढ़ी बनाना
- धोबी
 - क) कपड़ो की धुलाई
 - ख) सूती खाकी वर्दी पर प्रेस
 - ग) ऊनी, टेरीकॉट वर्दी पर प्रेस
- सफाईवाला
 - क) झाडू लगाना
 - ख)शौचालय की सफाई
 - ग) स्नानागार इत्यादि की सफाई
- . पेंटर
 - क)रंग, पेंट और शेड्स का ज्ञान
 - ख) साईन बोर्ड की पेंटिग
 - ग) रंगाई/चित्रांकन
- 8. बढ़ई
 - क) औजारों का संचालन
 - ख)लकड़ी काटना
 - ग) फिटिंग, पौलिस और सामग्री की फिनिशिंग
- 9. इलेक्ट्रीशियन :
 - क)एसी/डीसी करंट का ज्ञान
 - ख)नई इलेक्ट्रीक फिटिंग करना

(पृष्ठ 42 का शेष)

- ग) इलेक्ट्रीक फाल्ट का सुधार
- 10. माली
 - क) बागवानी व कलम बनाना
 - ख) पौधों का रख-रखाव
 - ग) बीज और उनकी बुआई के मौसम का ज्ञान, उर्वरक की सेती देसेती.
 - घ) स्वदेशी खाद की जानकारी
- 11. वेल्डर
 - क) वेल्डिंग औजारों की जानकारी
 - ख) ए आर सी वेल्डिंग-प्रेक्टिकल
 - ग) गैस वेल्डिंग-प्रेक्टिकल
- 12. चार्ज मैकः
 - क) एसी और डीसी करंट का ज्ञान
 - ख) वोल्टेज प्राप्ति/वितरण /उपभोग का ज्ञान
 - ग) स्वीचबोर्ड और फाल्ट अटेंडेंस का ज्ञान
- 13. मोटर पम्प अटैंड (एमपी अटैंड):
 - क) पम्प का ज्ञान
 - ख) मोटर का ज्ञान
 - ग) मरम्मत का ज्ञान
- 11.2 लिखित परीक्षाः
 - जो अभ्यर्थी पीईटी/पीएसटी/दस्तावेजीकरण और ट्रेड परीक्षा में पास होंगे वे ही ओएमआर/कंप्यूटर आधारित टेस्ट (सीबीटी) मोड के तहत लिखित परीक्षा में बुलाएं जाएंगे.
- 11.2.1 वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्नपत्र, जिसे ओएमआर शीट/सीबीटी पर हल करना होगा, 100 अंकों का होगा और इसकी अविध 2 घंटे होगी. इसमें 100 प्रश्न होंगे, जो सामान्य जागरूकता/सामान्य ज्ञान, प्राथमिक गणित का ज्ञान, विश्लेषणात्मक योग्यता, पैटर्न को पहचानने और भेद करने की क्षमता तथा हिंदी/अंग्रेजी में अभ्यर्थी के मूलभूत ज्ञान की जांच पर आधारित होंगे. प्रश्नपत्र द्विभाषी (अंग्रेजी/हिंदी) में होगा. इसमें नकारात्मक अंकन नहीं होगा.
- 11.2.2 अगले चरण के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए न्यूनतम अंक प्रतिशत निम्नानुसार होंगे:-

अनारक्षित/ईडब्ल्यूएस/भृतपूर्व सैनिक : 35 प्रतिशत अ.जा/अ.ज.जा/अ.पि.व. : 33 प्रतिशत

टिप्पणी- सामान्य/ईडब्ल्यूएस/ईएसएम के लिए 35 प्रतिशत और अजा/अजजा/अपिव के लिए 33 प्रतिशत अर्हक अंक से यह तात्पर्य नहीं है कि जिन अध्यर्थियों ने क्रमशः 35 प्रतिशत और 33 प्रतिशत अंक प्राप्त कर लिए होंगे, जैसा मामला होगा, उन्हें अगले चरण के लिए बुलाया जाएगा. अगले चरण के लिए अध्यर्थियों को पूर्णतया लिखित परीक्षा में उनके प्रदर्शन/अर्जित किए गए अंकों के आधार पर और कट-ऑफ अंक (भर्ती सेक्टर/ट्रेड/श्रेणीवार) जो कि लिखित परीक्षा के पूरा होने के पश्चात निर्धारित किए जाएंगे, बुलाया जाएगा.

- 11.2.3 परीक्षा की तिथि की सूचना अभ्यर्थियों को केवल केऔसुब की भर्ती वेबसाइट https://cisf rectt.cisf.gov.in के माध्यम से दी जाएगी। लिखित परीक्षा का केंद्र/दिनांक बदलने के अनुरोध पर किसी भी परिस्थित में विचार नहीं किया जाएगा.
- 11.2.4 लिखित परीक्षा की संभावित उत्तर कुंजी परीक्षा के बाद केऔसुब की भर्ती वेबसाइट https://cisfrectt.cisf.gov.in पर उपलब्ध कराई जाएगी. अभ्यर्थी उत्तर कुंजी को देखकर ऑनलाइन अभ्यावेदन यदि कोई हो, निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रत्येक प्रश्न के लिए रु. 100 शुल्क का भुगतान कर दर्ज करा सकते हैं. किसी अन्य माध्यम, जैसे पत्र, आवेदन आदि के माध्यम से प्राप्त अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किये जायेगें. उत्तर कुंजी को अंतिम रूप देने से पूर्व उत्तर कुंजी से संबंधित अभ्यावेदन की समीक्षा विशेषज्ञों के पैनल द्वारा की जाएगी, और इस संबंध में विशेषज्ञों का निर्णय ही अंतिम होगा.
- 11.2.5 अंकों के पुनर्मूल्यांकन/पुनः जाँच का कोई प्रावधान नहीं होगा. इस संबंध में किसी पत्राचार पर विचार नहीं
- 11.2.6 यदि लिखित परीक्षा (ओएमआर/सीबीटी) दो या अधिक पालियों में आयोजित की जाती है तो अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त अंकों को सामान्यीकृत किया जाएगा तथा ऐसे सामान्यीकृत अंकों का उपयोग भर्ती के अगले चरण अर्थात चिकित्सा परीक्षा (डीएमई/आरएमई) के लिए योग्यता हेतु मैरिट सूची तथा कट ऑफ अंक निर्धारित करने के लिए किया जाएगा.
- 12. चिकित्सा परीक्षाः
- 12.1 केवल वे अभ्यर्थी जिन्होंने पीईटी/पीएसटी, दस्तावेजीकरण, ट्रेड परीक्षा और लिखित परीक्षा उतीर्ण की है, उन्हें चिकित्सा परीक्षण में उपस्थित होने के लिए लिखित परीक्षा (ओएमआर/सीबीटी) में उनके प्रदर्षन के आधार पर सेक्टर वार (प्रत्येक श्रेणी में ट्रेड) और श्रेणीवार शार्टिलस्ट किया जाएगा. चिकित्सा परीक्षण के लिए शॉर्टिलस्ट किए गए अभ्यर्थियों की संख्या अधिसूचित रिक्तियों की संख्या से लगभग 02 (दो) गुणा होगी. अभ्यर्थियों की चिकित्सा परीक्षा, गृह मंत्रालय के यूओ संख्या ए. VI-1/2014-भर्ती (एसएसबी) दिनांक 20.05.2015 और गृह मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन संख्या ई. 32012/एडीजी(मेडि)/डीएमई एण्ड आरएमई/ डीए-1/2020 (पार्ट फाईल)/1/1166 दिनांक 31.05.2021 तथा सरकार द्वारा समय-समय पर यथा संशोधित सीएपीएफ और असम राइफल्स में राजपत्रित और अराजपत्रित अधिकारियों हेतु भर्ती के लिए एक समान दिशानिर्देशों के अनुसार, आयोजित की जाएगी.
- 12.2 अभ्यर्थी या तो **फिट या अनफिट** घोषित किए जाएंगे. कोई भी अभ्यर्थी अस्थायी रूप से अनफिट घोषित नहीं
- 12.3 सभी मामलों में, एक अभ्यर्थी जिसे चिकित्सा परीक्षा में नियुक्ति के लिए चिकित्सकीय रूप से अनिफट घोषित किया गया है, को जांच चिकित्सा अधिकारी द्वारा लिखित रूप में व्यापक रूप से अस्वीकृति के आधार के बारे में सूचित किया जाएगा. विस्तृत चिकित्सा परीक्षा (डीएमई) के दौरान अयोग्य घोषित किए गए सभी अभ्यर्थियों को समीक्षा चिकित्सा परीक्षा (आरएमई) से गुजरने की अनुमित दी जाएगी, बशर्ते वे अनिफट होने के कारणों का संकेत देते हुए अपने हस्ताक्षर करके अपनी लिखित सहमित दें. अभ्यर्थियों का आरएमई डीएमई के अगले दिन अधिमानतः डीएमई की निरंतरता में आयोजित किया जाएगा. अभ्यर्थी द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित आरएमई के लिए सहमित, अभ्यर्थी द्वारा डीएमई में अपनी अयोग्यता के बारे में सूचित किए जाने के 24 घंटे के भीतर प्रस्तुत की जानी चाहिए.

टिप्पणीः वर्णांधता परीक्षण एक बार भर्ती के दौरान और बाद में पुनः बुनियादी प्रशिक्षण के दौरान किया जाएगा.

- 13. चयन का तरीका/अंतिम चयन सूची तैयार करनाः
- 13.1 पीईटी/ पीएसटी, दस्तावेजीकरण, ट्रेंड परीक्षण, लिखित परीक्षा और चिकित्सा परीक्षा के पूरा होने के पश्चात, लिखित परीक्षा में प्राप्त कुल अंकों और भर्ती सेक्टर को आवंटित रिक्तियों की संख्या के आधार पर खण्डवार, ट्रेंडवार और श्रेणीवार वरीयता सूची सामान्य, अजा, अजजा, अपिव, ईडब्ल्यूएस और भूतपूर्व सैनिकों के लिए अलग से तैयार की जाएगी.
- 13.2 टाई मामलों का समाधानः लिखित परीक्षा में अभ्यर्थियों के अंकों के बराबर होने की स्थिति में, ऐसे मामलों का समाधान दिए गए क्रम में एक के बाद एक, निम्नलिखित मानदंडों को लागू करके हल किया जाएगा, जब तक कि टाई का समाधान नहीं हो जाताः

- i) अभ्यर्थियों की उम्र का हवाला देकर अंकों में टाई को हल किया जाएगा अर्थात् ज्यादा उम्र वाले अभ्यर्थी को वरीयता दी जाएगी;
- ii) यदि फिर भी टाई का समाधान नहीं होता है तो अभ्यर्थियों की लम्बाई की तुलना करके समाधान किया जाएगा अर्थात् जिस अभ्यर्थी की लम्बाई अधिक होगी उसको वरीयता दी जाएगी;
- iii) यदि फिर भी बराबरी रहती है तो इसका समाधान अभ्यर्थियों की शैक्षिक योग्यता के द्वारा किया जाएगा अर्थात् उच्च योग्यता वाले अभ्यर्थी को वरीयता दी जाएगी.
- iv) यदि फिर भी टाई का समाधान नहीं होता है तो अंततः नाम के वर्णानुक्रम के अनुसार समाधान किया जाएगा अर्थातः वर्णानुक्रम (अंग्रेजी) के अनुसार जिस अभ्यर्थी के नाम का पहला अक्षर दूसरे अभ्यर्थी के नाम के पहले अक्षर से पहले आएगा उसे वरीयता दी जाएगी.
- 13.3 बशतें अ.जा., अ.ज.जा. अ.पि.व. और ईडब्ल्यूएस के अभ्यर्थी जो बिना छूट के अपनी मैरिट सूची मे चयिनत होता है, वह रिक्तियों के आरिश्वत हिस्से के तहत समायोजित नहीं किया जाएगा. ऐसे अ.जा./अ.ज.जा/ अ.पि.व. और ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थियों को समस्त मैरिट सूची में उनकी स्थिति के अनुसार सामान्य/अनारिश्वत रिक्तियों के विरुद्ध समायोजित किया जाएगा. आरिश्वत रिक्तियों को योग्य अजा/अजजा, अ.पि.व और ईडब्लूएस. के अभ्यर्थियों में से अलग से भरा जाएगा, जो कि इस प्रकार अजा, अजजा, अ.पि.व और ईडब्लूएस. के अभ्यर्थी जिनकी मैरिट अनारिश्वत वर्ग की मैरिट सूची के ॲतिम सामान्य अभ्यर्थी से कम होगी लेकिन वह आरिश्वत मानकों द्वारा नियुक्ति के लिए उपयुक्त पाया जाता हो.
- 13.4 परीक्षा में सफलता नियुक्ति का अधिकार प्रदान नहीं करती है, जब तक कि सरकार इस तरह की जांच के बाद संतुष्ट नहीं हो जाती है कि अध्यर्थी सेवा में नियुक्ति के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त है.
- 13.5 ॲतिम परिणाम केऔसुब की भती वेबसाइट अर्थात https://cisfrectt.cisf.gov.in पर प्रदर्शित किया जाएगा.
- टिप्पणी-। परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे परीक्षा में प्रवेश के लिए सभी पात्रता शर्तें पूरी करते हैं. उनका परीक्षा के प्रत्येक स्तर पर प्रवेश पूर्णतः अनंतिम और निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करने के अध्याधीन होगा. यदि शारीरिक दक्षता परीक्षा/शारीरिक मानक परीक्षा और दस्तावेजीकरण, ट्रेड परीक्षा, लिखित परीक्षा और चिकित्सा जांच से पहले या बाद में किसी भी समय जांच में यह पाया जाता है कि वे किसी एक भी शर्त को पूरा नहीं करते है तो उनकी परीक्षा के लिए अभ्यर्थिता विभाग द्वारा निरस्त कर दी जाएगी.

टिप्पणी-II यदि भर्ती प्रक्रिया के दौरान किसी भी समय कि**सी भी कारण से को**ई अभ्यर्थी अयोग्य पाया जाता है अथवा तथ्य छुपाने के मामले में, उसकी अभ्य**र्थिता /चयन/नियु**क्ति तदनुसार निरस्त की जा सकती है.

टिप्पणीप-III यदि भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित रिक्तियां योग्य अथवा पात्र अभ्यर्थियों की अनुपलब्धता के कारण शेष रह गई हैं तो उन्हें गैर भूतपूर्व सैनिक (केन्द्रीय सिविल सेवाएं तथा पदों में पुनः रोज़गार) नियम 2012 की अधिसूचना के अनुसरण में संबंधित ट्रेड/श्रेणी के अभ्यर्थियों द्वारा भरा जाएगा.

टिप्पणी-IV यदि पात्र या योग्य महिला अभ्यर्थियों की अनुपलब्धता के कारण महिला रिक्तियां रिक्त रहती हैं, तो इसे संबंधित ट्रेड के पात्र पुरुष अभ्यर्थियों द्वारा भरा जाएगा.

टिप्पणी-V कोई आरक्षित/प्रतीक्षा सूची नहीं रखी/बनाई जाएगी.

- 14. निर्णयः पात्रता, आवेदनों की स्वीकृति अथवा अस्वीकृति, गलत सूचना के लिए जुर्माना, चयन प्रक्रिया, परीक्षा का आयोजन, परीक्षा केन्द्रों का आबंटन और मैरिट सूची तैयार करने से संबंधित सभी मामलों में बोर्ड/विभाग के निर्णय अंतिम होंगे और अभ्यर्थियों पर बाध्यकारी होंगे तथा इस संबंध में कोई जांच पड़ताल/पत्राचार स्वीकार्य नहीं होगा.
- 15. न्यायालय निर्णय: इस भर्ती के संबंध में कोई विवाद उस न्यायालय /अधिकरण के अधीन होगा जिसका अधिकार क्षेत्र केऔसुब का भर्ती केन्द्र उस शहर/कस्बे में स्थापित हो अथवा जहां अभ्यर्थी ने अपना आवेदन जमा करवाया है.
- 16. अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश:
- 16.1 आवेदन करने से पहले, अभ्यर्थी परीक्षा की सूचना में दिएनिर्देशों अर्थातः अपनी शैक्षिक योग्यता, आयु, शारीरिक मानकों आदि की आवश्यकताओं की सावधानीपूर्वक जांच कर लें और खुद को संतुष्ट कर लें कि वे पद के लिए पात्र हैं.
- 16.2 इस परीक्षा के नोटिस के प्रावधानों के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/ ईडब्ल्यूएस/ईएसएम या अन्य छूट जैसे आरक्षण का लाभ चाहने वाले अभ्यर्थियों को यह अवश्य सुनिश्चित करना होगा कि वे इस तरह के आरक्षण/छूट के हकदार हैं। जब प्रमाण पत्रों की प्रतियां मांगी जाएंगी, तो उनके पास अपने दावे के समर्थन में निर्धारित प्रारूप में संबंधित मूल प्रमाण पत्र होने चाहिए.
- 16.3 मूल दस्तावेजों के साथ दस्तावेजों का सत्यापन दस्तावेजीकरण के समय किया जाएगा. इसलिए, अभ्यर्थिता केवल अनंतिम रूप से स्वीकार की जाएगी. जब दस्तावेजीकरण के समय दस्तावेज की जांच की जाती है, और यदि आवेदन में किए गए किसी भी दावे को प्रमाणित नहीं पाया जाता है, तो अभ्यर्थिता खूद कर दी जाएगी.
- 16.4 दिव्यांग व्यक्ति (पी.डब्ल्यू.डी) इस परीक्षा के लिए आवेदन करने के पात्र नहीं हैं.
- 16.5 अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वह ऑनलाइन आवेदन में अपने सही और सक्रिय ई-मेल पता और मोबाइल नंबर भेरें क्योंकि महत्वपूर्ण पत्राचार ई-मेल/ एसएमएस के माध्यम से किया जा सकता है.
- 16.6 देय शुल्क 100/ रुपए (केवल एक सौ रुपए). महिला अभ्यर्थी एवं आरक्षण के लिए योग्य अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एससी), भूतपूर्व सैनिकों (ईएसएम) के पात्र अभ्यर्थियों को शुल्क के भुगतान में छूट दी गई है.
- 16.7 अभ्यर्थियों को अपना नाम, जन्म तिथि, पिता का नाम और माता का नाम अपने दसवीं के प्रमाण पत्र में दिए गए अनुसार लिखना चाहिए अन्यथा उनकी अभ्यर्थिता दस्तावेजों की जांच के बाद या फिर जब कभी नोटिस में आएगा तो रद्द कर दी जाएगी.
- 16.8 ऑनलाइन आवेदन पत्र में, अभ्यर्थियों को अपना रंगीन पासपोर्ट आकार का फोटो जिस पर विधिवत रूप से वह तिथि उल्लिखित हो जिस तिथि को फोटो लिया गया हो, (अर्थात् इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से तीन माह से अधिक पुरानी न हो) आयु, शैक्षणिक योग्यता तथा अधिवास प्रमाण पत्र के संबंध में सभी संबंधित दस्तावेजों की हस्ताक्षरित और स्कैन की गई प्रतियां अपलोड करने की आवश्यकता है.
- 16.9 अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन पत्र में अधिवासी राज्य और जिले के बारे में जानकारी प्रदान करते समय बहुत सावधान रहना चाहिए. आवेदन पत्र जमा करने के बाद अधिवासी राज्य और जिले के परिवर्तन के किसी भी अनुरोध पर किसी भी परिस्थित में विचार नहीं किया जाएगा. यदि ऑनलाइन आवेदन पत्र और दस्तावेज सत्यापन के समय उनके द्वारा जमा किए गए अधिवासी प्रमाण पत्र में अभ्यर्थी द्वारा उल्लिखित जिले और/या राज्य में कोई भिन्नता पाई जाती है तो उनकी अभ्यर्थिता तुरंत रद्द कर दी जाएगी और उन्हें दस्तावेजीकरण में भाग लेने की अनुमित नहीं दी जाएगी.

(शेष पृष्ठ ४४ पर)

- 16.10परीक्षा के लिए एक अभ्यर्थी द्वारा केवल एक ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अनुमित है। इसिलए, अभ्यर्थियों को अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के समय उचित अभ्यास करना चाहिए। यदि किसी अभ्यर्थी के एक से अधिक आवेदन पाए जाते हैं तो सभी आवेदन खारिज कर दिए जाएंगे.
- 16.11 धुंधली/अस्पष्ट फोटो/हस्ताक्षर अथवा तिथि रहित फोटो वाले आवेदनों को सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा.
- 16.12 अपूर्ण सूचना/गलत सूचना/अधूरे अपेक्षित प्रमाण पत्र/तथ्यों को गलत तरीके से प्रस्तुत करने/अहस्ताक्षरित छोड़ देने/ देय शुल्क के बिना जमा करने के कारण आवेदन को भर्ती प्रक्रिया के किसी भी चरण में सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा.
- 16.13 किसी भी परिस्थिति, में एक बार जमा किए गए आवेदन पत्र में परिवर्तन/सुधार के अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा. डाक/फैक्स/ईमेल/हाथ आदि के माध्यम से प्राप्त ऐसे अनुरोधों पर विचार नहीं किया जाएगा.
- 16.14 जब आवेदन सफ्लतापूर्वक सबिमट हो जाए तो इसे ''अनंतिम रूप से'' स्वीकार कर लिया जाएगा. अध्यर्थियों को अपने रिकॉर्ड के लिए आवेदन का प्रिंट आउट ले लेना चाहिए. ''आवेदन प्रपन्न'' का प्रिंट आउट जमा करने की आवश्यकता नहीं है.
- 16.15 किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति के नाम/फोटो का दुरुपयोग करके फर्जी/मनगढ़ंत आवेदन/पंजीकरण के मामले में, ऐसे अभ्यर्थी/साइबर कैफे को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा और वह साइबर/आईटी अधिनियम के तहत उपयुक्त कानूनी कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होगा.
- 16.16 अभ्यर्थी ध्यान दें कि वे एक वर्दीधारी बल के लिए आवेदन कर रहे हैं और उन्हें उचित शारीरिक/मानिसक तैयारी के साथ भर्ती प्रक्रिया में भाग लेना होगा और वे भर्ती के किसी भी चरण के दौरान होने वाली किसी भी घटना/दुर्घटना के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होंगे. ऐसी किसी भी अप्रत्याशित घटना/दुर्घटना के लिए भर्ती एजेंसी/केंद्र जिम्मेदार नहीं होगा. अभ्यर्थी अपने जोखिम पर भर्ती में भाग लेंगे.
- 16.17 यदि कोई अभ्यर्थी पीईटी के दौरान किसी ऊर्जावान दवाई/औषधि आदि के प्रभाव में पाया जाता है, तो उसकी अभ्यर्थिता तत्काल रद्द कर दी जाएगी.
- 16.18 अभ्यर्थी आवेदन भरने और पीईटी/पीएसटी/दस्तावेजीकरण और ट्रेड टेस्ट, लिखित परीक्षा और चिकित्सा परीक्षा आदि के संबंध में स्पष्टीकरण, यदि कोई हो, के लिए हेल्प लाइन नंबर पर 011-24366431/24307933 (केवल कार्य दिवस पर 1000 से 1800 बजे तक) संपर्क कर सकते हैं.
- 16.19 भर्ती प्रक्रिया के विभिन्न चरणों के लिए अभ्यर्थियों को अपनी व्यवस्था के तहत 2-3 दिनों तक उहरने के लिए विधिवत तैयार होना चाहिए. यात्रा और उहरने के लिए कोई टीए/डीए स्वीकार्य नहीं होगा.
- 16.20 यदि कोई भी अभ्यर्थी पूरी भर्ती प्रक्रिया के दौरान किसी भी चरण में या उसके बाद कदाचार के किसी भी कार्य में सॉलिप्त पाया जाता हैं तो उसकी अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी और वह उपयुक्त कानूनी कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होगा.
- 16.21 हिंदी अथवा अंग्रेजी के अलावा, किसी भी प्रमाण पत्र का अनुवाद (हिंदी अथवा अंग्रेजी में) करके ही संलग्न करें अन्यथा इन्हें स्वीकार नहीं किया जाएगा.
- 16.22 किसी भी प्रकार का अनुयाचन अथवा किसी भी प्रकार का बाहरी प्रभाव डालने पर अभ्यर्थियों को स्वतः ही बिना किसी सूचना के परीक्षा में बैठने से अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा.
- 16.23 संबंधित ट्रेड की सही योग्यता, क्षमता, फिटनेस और ज्ञान रखने वाले अभ्यर्थी पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं
- 16.24 अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि भर्ती के लिए आने से पहले दौड़/पीईटी के लिए पर्याप्त अभ्यास करें. उन्हें आगे सलाह दी जाती है कि वे दिए गए समय में निर्दिष्ट दूरी को दौड़ने के लिए अपनी उपयुक्तता के संबंध में अपना चिकित्सकीय परीक्षण करवाएं. भर्ती प्रक्रिया/परीक्षा के दौरान किसी भी चोट/दुर्घटना या चिकित्सा समस्या के लिए केऔसुब या भारत सरकार जिम्मेदार नहीं होगी.
- 16.25 कोई भी अभ्यर्थी किसी भी अनुचित साधनों का उपयोग करते हुए या प्रतिरूपण का सहारा लेते हुए पाया जाता है तो उसे अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा और कानून के अनुसार कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होगा. अभ्यर्थी का रूप धारण करने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाएगा और उसके खिलाफआईपीसी/बीएनएस (भारतीय न्याय संहिता) के तहत आपराधिक मामला दर्ज किया जाएगा. ऐसे अभ्यर्थियों को केऔसुब में भविष्य की भर्ती के लिए आवेदन करने से वर्जित कर दिया जाएगा.
- 16.26 दलाल के रूप में काम करने वाले या दलाल की मदद लेने वाले किसी भी व्यक्ति पर कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी और उसके खिलाफ आईपीसी/बीएनएस (भारतीय न्याय सींहता) के तहत आपराधिक मामला दर्ज किया जाएगा.
- 16.27 अभ्यर्थियों को भर्ती के प्रत्येक चरण में उपस्थित होना आवश्यक है. यदि कोई अभ्यर्थी किसी चरण/इवेंट में उपस्थित नहीं होता है जिसके लिए उस अभ्यर्थी ने अर्हता प्राप्त की है तो उस अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी.
- 16.28 यदि कोई अभ्यर्थी अपने चयन/नियुक्ति के बाद किसी भी आधार पर सेवा के लिए अयोग्य/अपात्र पाया जाता है, तो उसकी सेवा बिना कोई कारण बताए समाप्त कर दी जाएगी.
- 16.29 के औसुब के महानिदेशक बिना कोई कारण बताए भर्ती में बदलाव करने या रद्द करने या स्थिगत करने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं:
- 16.30 विभाग को विज्ञापन में कोई भी परिवर्तन करने या बिना कोई कारण बताए उसे रद्द करने का अधिकार है. इसके अलावा, यहां उल्लिखित सभी शर्तें भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार भिन्न हो सकती हैं.
- 16.31 चयनित अभ्यर्थियों को केऔसुब के क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्र में बुनियादी प्रिषिक्षण हेतु उपस्थित होना होगा जिसके लिए उन्हें अलग से नियुक्ति पत्र के माध्यम से सूचित किया जाएगा. यदि कोई अभ्यर्थी निर्धारित प्रशिक्षण में अर्हता प्राप्त नहीं करता है, तो उसकी सेवाएं समाप्त की जा सकती हैं. वे 2 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर होंगे जिसे बढ़ाया जा सकता है. परिवीक्षा अवधि के दौरान, यदि वे किसी कारण से अनिफट पाए जाते हैं, तो उनकी सेवाएं समाप्त कर दी जाएंगी.
- 16.32 के औसुब पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ फिट, प्रतिबद्ध, ईमानदार और सर्वश्रष्ट अभ्यर्थियों की भर्ती करने का प्रयास करता है. इसलिए, अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे ''दलालों से सावधान रहें''.
- 16.33 नियुक्ति की पेशकश भर्ती प्रक्रिया का अंतिम चरण है. इस प्रकार, भर्ती प्रक्रिया के किसी भी पिछले चरण (चिकित्सा परीक्षा सिहत) में अर्हता प्राप्त करने से किसी भी अभ्यर्थी को पद पर चयन या नियुक्ति का कोई अधिकार नहीं मिलता है.
- 16.34 इस नोटिस में रेखांकित निर्देषों के संबंध में किसी भी विवाद की स्थिति में अंग्रेजी संस्करण मान्य होगा. अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण सूचना

दलालों से सावधान रहें. केऔसुब में भर्ती के लिए कोई पैसा नहीं लिया जाता है. यदि आपने भुगतान किया है या किसी को पैसे देने का वादा किया है तो आपको धोखा दिया जा रहा है और आप पैसे खो रहे हैं. यदि कोई आपके चयन के लिए पैसे की मांग करता है, तो तुरंत भर्ती बोर्ड के पीठासीन अधिकारी और संबंधित भर्ती केन्द्र के उप महानिरीक्षक को सूचित करें या ई-मेल के माध्यम से उस व्यक्ति का नाम ac-rectt@cisf.gov.in पर सूचित करें.

(ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रक्रिया)

गरीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया के दो भाग हैं:

नराद्या क	ालए जानलाइन जायदन करन का प्राक्रया के दा मार्ग है:
I.	वन टाइम र्गजस्ट्रेशन
II.	परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन करना
	भाग -1 (वन टाइम रजिस्ट्रेशन)
	अभ्यर्थी के लिए वन टाइम र्गजस्ट्रेशन एक स्थायी डेटाबेस होगा, केऔसब टाग आयोजित की जाने वार्ल

अभ्यर्थी के लिए वन टाइम रिजस्ट्रेशन एक स्थायी डेटाबेस होगा. केऔसुब द्वारा आयोजित की जाने वार्ल सभी परीक्षाओं के लिए अभ्यर्थियों द्वारा विशिष्ट पंजीकरण आईडी और पासवर्ड का ही उपयोग किया जाएगा. ऑनलाइन 'पंजीकरण फॉर्म' और 'आवेदन पत्र' भरने से पहले परीक्षा की सूचना में दिए गए निर्देशों को ध्यान से पढ़ें. वन टाइम रिजस्ट्रेशन करने से पहले निम्न सूचना/दस्तावेजों को तैयार रखें- (क) मोबाइल न. (ख) ई-मेल आईडी

पहली बार रजिस्ट्रेशन कैसे करें :-

- ı. केऔसुब की आधिकारिक वेबसाइट https://cisfrectt.cisf.gov.in पर लॉग ऑन करें.
- 2. होम पेज प्रदर्शित हो जाएगा. ''लॉगिन'' बटन पर क्लिक करें.
- 3. नया पेज प्रदर्शित होगा. ''नया पंजीकरण'' बटन पर क्लिक करें.
- 4. वन टाइम रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया में निम्नलिखित जानकारी भरना अपेक्षित है:
 - क. मूल विवरण
 - ख. अतिरिक्त और संपर्क विवरण
 - ग घोषणा
- 'वन टाइम रिजस्ट्रेशन फॉर्म' भरने के लिए, कृपया निम्निलिखित चरणों का पालन करें:
- क. व्यक्तिगत विवरण (जैसे नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि, लिंग, आधार संख्या आदि) को पंजीकरण फॉर्म के संबंधित कॉलम में दो बार दर्ज करने की आवश्यकता होती है तािक फॉर्म भरने में अनजाने में हुई गलितयों से बचा जा सके. यदि मूल और सत्यापित डाटा कॉलम के आंकड़ों सें मेल नहीं है, तो इसे स्वीकार नहीं किया जाएगा और इस आशय का एक अलग संकेत बॉक्स दिया जाएगा.
- ख. अपना नाम ठीक वैसे ही भरें, जैसे मैट्रिकुलेशन (10 वीं कक्षा) के प्रमाण पत्र में हैं . यदि, मैट्रिकुलेशन के बाद आपने अपने नाम में कोई परिवर्तन किया है तो उसका उल्लेख करें.
- ग. अपने पिता का नाम ठीक से भरें.
- घ. अपनी माता का नाम ठीक से भरें.
- ङ. अपनी जन्मतिथि ठीक वैसे ही भरें जैसे मैट्रिकुलेशन (10 वीं कक्षा) प्रमाणपत्र में दी गई है.
- च. अपने लिंग के बारे में जानकारी प्रदान करें.
- छ. सबमिट बटन पर क्लिक करें. नया पृष्ठ प्रदर्शित हो जाएगा.
- ज. अपना व्यक्तिगत विवरण जांचें और मूल विवरण भरें.
- अपना क्रियाशील मोबाइल नंबर और ईमेल-आईडी भरें. यह भी नोट कर ले कि कोई भी सूचना जिसे विभाग ईमेल के माध्यम से आपको संप्रेषित करेगा, वह केवल आपके द्वारा प्रदान की गई ईमेल-आईडी पर ही भेजी जाएगी. यदि आवश्यक हुआ तो पासवर्ड/पंजीकरण संख्या की पुनः प्राप्ति के लिए भी उसी ईमेल आईडी का उपयोग किया जाएगा.
- . 'घोषणापत्र' को ध्यान से पढ़ें, अगर आप <mark>घोषणा</mark>पत्र से सहमत हैं तो 'फाइनल सबमिट' बटन पर क्लिक करें.
- ट पुष्टि होने पर, आपका डाटा सहेज लिया जाएगा और आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आपकी ईमेल आईडी और मोबाइल पर भी भेज दिया जाएगा.
- अपनी पंजीकरण-संख्या का ''यूजरनेम'' के रूप में और आपके ईमेल पर प्रदान किए गए ''ऑटो-जेनरेटेड पासवर्ड'' का उपयोग करके लॉगिन करें.

प्पणी आपको पुनः सावधान किया जाता है कि नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि, मैट्रिकुलेशन परीक्षा का विवरण ठीक वैसा ही भरा जाना चाहिए जैसा कि मैट्रिकुलेशन प्रमाणपत्र में दर्ज किया गया है. त्रुटिपूर्ण/गलत जानकारी के मामले में आपकी अभ्यर्थिता रद्द की जा सकती है.

अनुलग्नक-II

भाग-॥ (ऑनलाइन आवेदन पत्र)

- ऑनलाइन आवेदन भरने से पहले, निम्नलिखित डेटा तैयार रखें:
- क) जेपीईजी प्रारूप (20 केबी से 50 केबी) में हाल ही में स्कैन किया गया रंगीन पासपोर्ट आकार का फोटो (अर्थात् इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन माह से अधिक पुराना नहीं हो). फोटो का छिंव आयाम लगभग 3.5 सेमी (चौड़ाई) x 4.5 सेमी (ऊंचाई) होना चाहिए. फोटोग्राफ बिना टोपी, चश्में के होना चाहिए और दोनों कान दिखाई देने चाहिए. जिस तारीख को फोटो खींची गई है वह फोटो पर स्पष्ट रूप से छपी होनी चाहिए. फोटो पर छपी तारीख के बिना आवेदन खारिज कर दिए जाएंगे. धुंधली तस्वीर वाले आवेदन भी खारिज कर दिए जाएंगे.
- ख) जेपीईजी प्रारूप में स्कैन किए हुए हस्ताक्षर (10 से 20 केबी). हस्ताक्षर का छवि आयाम लगभग 4.0 सेमी (चौड़ाई) x 2.0 सेमी (ऊंचाई) होना चाहिए. अपठनीय हस्ताक्षर वाले आवेदनों को अस्वीकार कर दिया जाएगा.
- ग) पीडीएफ प्रारूप में सभी संबंधित दस्तावेजों की स्कैन की गई प्रतियां (01 एमबी से अधिक नहीं), उम्र के संबंध में (अर्थात जन्म प्रमाण पत्र या मैट्रिक / एसएसएलसी/10 वीं प्रमाण पत्र, मूल निवास और अन्य शैक्षणिक योग्यता की तारीख) अपलोड करें.
- 2. केऔसुब की आधिकारिक वेबसाइट https://cisfrectt.cisf.gov.in पर लॉग ऑन करें और अप्लाई पार्ट टैब पर क्लिक करें.
- नया पृष्ठ खुलेगा और आवश्यक विवरण जैसे 'पंजीकरण संख्या', 'पासवर्ड', 'कैप्चा' भरें और सब्बिमट बटन पर क्लिक करें.
- 4. पंजीकृत अभ्यर्थी केऔसुब भर्ती वेबसाइट अर्थात https://cisfrectt.cisf.gov.in में पंजीकरण के समय अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अपने अनंतिम 'पंजीकरण आईडी और पासवर्ड' के माध्यम से ऑनलाइन सिस्टम में लॉग इन कर सकते हैं.
- 5. नया पेज प्रदर्शित होगा और ''आरक्षक/ट्रेड्समैन-2024'' के बटन पर क्लिक करें.

(शेष पृष्ठ ४५ पर)

(पृष्ठ ४४ का शेष)

- ''आरक्षक/ट्रेड्समैन-2024'' के बटन पर क्लिक करने के बाद एक विंडो खुलेगी जिसमें आवेदन पत्र होगा। पंजीकरण प्रक्रिया के समय अभ्यर्थी द्वारा पहले भरा गया डेटा/विवरण, आवेदन पत्र में संबंधित क्षेत्रों में स्वतः भर जाएगा. शेष खाली क्षेत्र अभ्यर्थी द्वारा भरा जाना चाहिए। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे विवरण बहुत सावधानी से भरें.
- अभ्यर्थी द्वारा एक बार आवेदन पत्र पूरी तरह से भरे जाने के बाद, उसे नीचे की तरफदो बटन '' सेव एंड प्रीव्यू'' और बंद करें दिखाई देंगे, यदि अभ्यर्थी बंद करें बटन पर क्लिक करता है तो वह आवेदन पत्र को संपादित कर सकेगा. कोई विवरण सहेजा नहीं जाएगा.
- एक बार आवेदन पत्र पूरी तरह से भर जाने के बाद, घोषणा को ध्यान से पढ़ें और ''सबिमट'' बटन पर क्लिक करें, यदि आप इसे स्वीकार करते हैं तो यह आपके द्वारा भरे गए सभी डेटा/विवरणों को सहेज लेगा.
- उपरोक्त क्र.सं.-1(क) में यथा विनिर्दिष्ट, अपना हाल का फोटो अपलोड करें जिस पर फोटो लेने की तिथि विधिवत रूप से उल्लिखित हो (अर्थात् इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से तीन माह अधिक पुरानी न हो).
- क्रमांक संख्या- 1 (ख) में यथा निर्दिष्ट अपना हस्ताक्षर अपलोड करें. धुंधले हस्ताक्षर वाले आवेदनों को अस्वीकार कर दिया जाएगा.
- 11. आयु के प्रमाण के लिए मैट्रिक/एसएसएलसी/10वीं प्रमाणपत्र, वरिष्ठ माध्यमिक परीक्षा/12वीं प्रमाणपत्र, मूल निवास और कोई अन्य उच्च शिक्षा प्रमाणपत्र, यदि कोई हो, की स्कैन की हुई क्र.सं.-1 (ग) में यथा विनिर्दिष्ट, प्रति अपलोड करें.
- 12. सभी आवश्यक दस्तावेज और छवि अपलोड करने के बाद, पृष्ठ के नीचे दिखाई देने वाले भुगतान बटन पर भुगतान करने के लिए जारी बटन पर क्लिक करें.
- अब 'भुगतान' विंडो दिखेगी. जिन अभ्यर्थियों को परीक्षा शुल्क के भुगतान से छूट दी गई है, उन्हें यह संदेश दिखाई **देगा कि आप शुल्क छूट** के पात्र हैं और उन्हें '**आवेदन प्रिंट करें**' का विकल्प मिलेगा.
- यदि आपको शुल्क के भुगतान से छूट प्राप्त नहीं है तो शुल्क भुगतान करने के लिए आगे बढ़ें.
- शुल्क का भुगतान नेट बैंकिंग, डेबिट अथवा क्रेडिट कार्ड अथवा यूपीआई अथवा एसबीआई की शाखाओं में एसबीआई चालान जनरेट करते हुए नकद के माध्यम से अदा किया जा सकता है. यदि अभ्यर्थी चालान विकल्प का चयन करता है तो अभ्यर्थी को सर्वर से शुल्क जमा करने के लिए चालान फार्म प्राप्त होता है. चालान फार्म प्राप्त करने के बाद अभ्यर्थी को भारतीय स्टेट बैंक की निकटतम शाखा में जाकर शुल्क जमा करना चाहिए. इसके बाद अभ्यर्थी की औपचारिकता पूरी हो जाती है. बैंक एमआईएस रिपोर्ट जनरेट करेगा और केऔसुब को भेजेगा. इस प्रक्रिया में कम से कम 48 घंटे लगते हैं. 48 घंटे के बाद अभ्यर्थी अपने आवेदन की स्थिति का पता कर सकता है.
- भुगतान प्रक्रिया पूरी होने के बाद, अभ्यर्थी अपने भरे हुए आवेदन पत्र का प्रिंट आउट ले सकते हैं और इसे अपने पास रख सकते हैं. उन्हें पीईटी/पीएसटी और दस्तावेजीकरण के समय अपनी पात्रता के समर्थन में स्वप्रमाणित दस्तावेजों के साथ ऑनलाइन आवेदन का प्रिंटआउट जमा करना होगा.

चेतावनीः

- (क) अभ्यर्थियों को सभी पंजीकृत डेटा को ध्यान से सत्यापित करना चाहिए। यदि किसी डेटा का गलत उल्लेख किया गया है, तो उसे 'संपादित करें' बटन पर क्लिक करके संपादित किया जा सकता है.
- (ख) "सबमिट" बटन पर क्लिक करने पर, अब तक दर्ज किया गया डेटा/विवरण सर्वर में सहेजा जाएगा. यदि अभ्यर्थी "संपादित करें" बटन पर क्लिक करता है, तो डेटा/विवरण सहेजा नहीं जाएगा और अभ्यर्थी पंजीकरण विंडो/प्रक्रिया से बाहर निकलने में सक्षम होगा.

Arun exurre-WE

Specimen of Photographs

Acceptable Photograph



Samples of photographs which are not acceptable

Extra Colour



With hat/cap



Blur Photographs



Facing Sideways



Too dark





Too Small



With spectacles



अनुलग्नक-III

भारत सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन करने वाले अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति से संबंधित अभ्यर्थियों के द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाण-पत्र का प्रपत्र

यह प्रम	णित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी* पुत्र/पुत्री
2000	गॉव/नगर* जो जिला/खंड*राज्य/संघ
	क्षेत्र*जाति/जनजाति से सम्बंधित है की पहचान निम्न के अधीन अनुसूचित
	नुसूचित जनजाति' के रूप में की गई है:-
@	''संवैधानिक (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950
@	'संवैधानिक (अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1950
@	'संवैधानिक (अनु सूचित जाति) (संघ शासित क्षेत्र) आदेश, 1951*
@	'संवैधानिक (अनुसूचित जन जाति) (संघशासित क्षेत्र) आदेश, 1951*
	(जैसा कि अनुसूचित जाति/जनजाति सूचियाँ (संशोधन आदेश) 1956 द्वारा संशोधित, बाम्बे पुनर्गठन
	अधिनियम 1960, 'पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966, हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम 1970, पूर्वोतर
	क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम 1971 और अनुसूचित जाति/जनजाति आदेश संशोधन अधिनियम 1976) मिजोरम राज्य अधिनियम, 1986, अरूणाचल प्रदेश राज्य अधिनियम 1986 और गोवा, दमन और
4	दीव (पुनर्गठन) अधिनियम, 1987)
@	'संवैधानिक (जम्मू और कश्मीर) अनुसूचित जाति आदेश, 1956
@	'संवैधानिक (दादरा और नगर हवेली) अनुसूचित जाति आदेश, 1962
@	'संवैधानिक (दादरा और नगर हवेली) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1962
@	'संवैधानिक (पॉडिचेरी) अनुसूचित जाति आदेश, 1964
@	'संवैधानिक (उतर प्रदेश) अनुसूचित जनजाति आदेश , 1967
@	'संवैधानिक (गोवा दमन दीव) अनुसूचित जाति आदेश , 1968
@	'संवैधानिक (गोवा दमन दीव) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1968
@	'संवैधानिक (नागालैण्ड) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1970
@	'संवैधानिक (सिक्किम) अनुसूचित जाति आदेश, 1978
@	'संवैधानिक (सिक्किम) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1978
@	'संवैधानिक (जम्मू और कश्मीर) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1989
@	'संवैधानिक (अनुसूचित जाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1990'
@	'संवैधानिक (अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) अध्यादेश, 1991
@	'संवैधानिक (अनुसूचित जनजाति) आदेश (दूसरा संशोधन) अध्यादेश, 1991
@	'अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2002
@	'संवैधानिक (अनुसूचित जाति) आदेश अधिनियम (संशोधन) 2002
@	'संवैधानिक (अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति) आदेश अधिनियम (संशोधन) 2002
@	'संवैधानिक (अनुसूचित जाति) आदेश अधिनियम (दूसरा संशोधन) 2002
@	'संवैधानिक (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह) अनुसूचित जाति आदेश 1959 यथासंशोधित
	अनुसूचित जाति और जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1976
	अनुसूचित जाति/अनु.जन जाति के व्यक्तियों के बारे में लागू है जो एक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र से दूसरे
में अप्रव	जन कर गए हों.
Lancacca and the second	

यह प्रमाणपत्र अनुसूचित जाति/जनजाति के प्रमाण पत्र के आध	धार पर श्री/श्रीमती* पिता/
माता श्री/श्रीमती/कुमारी*गां	ांव/नगर**जिला/
खंड*राज्य/संधशासित क्षेत्र*	जो किजाति/
जनजाति से संबंधित हों जिसे राज्य/संधशासित क्षेत्र	द्वारा जारी किए गएद्वारा जारी किए गए
(जारी करने वाला प्राधिकृत प्राधिकरण का नाम) द्वारा उनकी	ी संख्याको
जारी किया गया है.	

3. श्री/श्रीमती/कुमारी* और/अथवा/उसका' परिवार वास्तविक रूप से गांव/नगर** जिला/खंड*......राज्य/संधशासित क्षेत्र*..

स्थान	हस्ताक्षर
दिनांक	** पदनाम (कार्यालय की मुहर सहित) राज्य/संघीयक्षेत्र

जो लागू न हो वे शब्द काट दिये जाये.

@ कुपया राष्ट्रपति के विशिष्ट आदेश का ंसंदर्भ दें.

% उस पैराग्राफ को हटा दें जो लागू न हो.

टिप्पणीः यहां ''साधारणतया'' शब्द का प्रयोग उसी तरह से किया जाएगा जैसा कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20 में किया गया है.

- ** अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अपिव के प्रमाण पत्रों को जारी करने के लिए अधिकृत प्राधिकारियों की सूची.
- (i) जिला मजिस्ट्रेट /अपर जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर/उपायुक्त/अपर उपायुक्त/उप कलेक्टर/प्रथम श्रेणी वैतनिक मजिस्ट्रेट/सब डिविजिनल मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त सहायक आयुक्त/तालुका मजिस्ट्रेट/कार्यकारी मेजिस्ट्रेट (प्रथम श्रेणी वैतनिक मजिस्ट्रेट से पद में कम न हो)
- (ii) मुख्य प्रेसिडेन्सी मजिस्ट्रेट /अपर मुख्य प्रेसिडेन्सी मजिस्ट्रेट/प्रेसिडेन्सी मजिस्ट्रेट
- (iii) राजस्व अधिकारी तहसीलदार के पद से नीचे का न हो.
- (iv) उस क्षेत्र के सब डिवीजनल अधिकारी जिस क्षेत्र में आवेदक और/अथवा उसके परिवार के सदस्य सामान्यतः निवास करते हैं.
- (v) प्रशासक/प्रषासन के सचिव/विकास अधिकारी (लक्षद्वीप)

टिप्पणी:- तमिलनाडु राज्य से संबंधित अनुसूचित जनजाति के आवेदक केवल राजस्व प्रभाग अधिकारी द्वारा जारी किया गया जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें.

(पृष्ठ 45 का शेष)	
अनुलग्नक-IV भारत सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन करने वाले अन्य पिछड़े वर्ग से संबंधित अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाण पत्र का प्रपत्र	नियुक्ति का पात्र नहीं होऊंगा, यदि मैंने ऐसी नियुक्ति से पहले किसी समय, भूतपूर्व सैनिकों के लिए लागू रिक्तियों के आरक्षण में छूट का लाभ उठाते हुए सिविल साइड (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, स्वायत्त निकाय/सांविधिक निकाय, राष्ट्रीयकृत बैंकों आदि) में कोई रोजगार प्राप्त किया है.
यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारीपुत्र/पुत्री,	स्थानः(अभ्यर्थी के हस्ताक्षर)
श्रीजिला/प्रभागजिला/प्रभाग	दिनांक: नाम
राज्य/संघ शासित क्षेत्र	अनुलग्नक -VIII
सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के संकल्प संख्या	सेवारत रक्षा कार्मिकों के लिए प्रमाण-पत्र का प्रारूप मैं, एतद् द्वारा, उपलब्ध सूचना के साथ, प्रमाणित करता हूँ कि श्री संख्यासंख्या
* के तहत पिछड़े वर्ग के रूप में मान्यता दी गई है। श्री/श्रीमती/कुमारीऔर/अथवा उनका/उनके परिवार	पदनाम नियुक्ति की निर्धारित अविध को सशस्त्र बल में दिनांक को अपनी
	सेवा पूरा कर लेंगे.
में सामान्य रूप से रहते हैं। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि वह कार्मिक और प्रविक्षण विभाग के का.ज्ञा.सं.	स्थानः नियंत्रण अधिकारी के हस्ताक्षर
36012/22/93 स्था. (एससीटी) दिनांक 08.09.1993**, भारत सरकार की अनुसूची के कॉलम 3 में उल्लिखित	दिनांक: कार्यालय की मोहर
व्यक्तियों/वर्गों (क्रीमी लेयर) से संबंधित नहीं है.	अनुलग्नक -IX भूतपूर्व सैनिक द्वारा दी जाने वाली वचनबद्धता
दिनांक : जिलाधिकारी उपायुक्त इत्यादि	मूरापूर्व सामक द्वारा दा जान वाला वचनवद्धाा मैं, जिसका अनुक्रमांक है परीक्षा 20 के लिए
(कार्यालय की मोहर सहित)	दस्तावेज सत्यापन हेतु उपस्थित रहूंगा.
* प्रमाण-पत्र जारी करने वाले प्राधिकरण को भारत सरकार के संकल्प के विवरण का उल्लेख करना पड़ सकता है,	(क) मैं समय-समय पर यथा संषोधित केन्द्रीय सिविल सेवा और पद नियम, 1979 में भूतपूर्व सैनिकों के
जिसमें अभ्यर्थी की जाति का उल्लेख अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में किया गया है.	पुनर्नियोजन के संदर्भ में भूतपूर्व सैनिकों के लिए दिए जाने वाले लाभों का हकदार हूं. (ख) मैंने पूर्व सैनिकों के पुनर्नियोजन के लिए दिए गए आरक्षण के फायदों का लाभ लेने के बाद नियमित आधार
** समय समय पर यथा संशोधित. टिप्पणी:- यहां ''साधारणतया'' शब्द का प्रयोग उसी तरह से किया जाएगा जैसा कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम,	पर सिविल साइड (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, स्वायत्त निकार्यो/सार्विधिक निकार्यो, राष्ट्रीयकृत बैंकों इत्यादि
1950 की धारा 20 में किया गया है.	सहित) किसी भी सरकारी नौकरी का लाभ नहीं लिया है।
अनुलग्नक-V	(ग) मैंने सिविल सेवा में सरकारी नौकरी हासिल करने के लिए भूतपूर्व सैनिक के रूप में आरक्षण का लाभ उठाया
सस्कार	है. मैं को कार्यालय में दिनांक को को के रूप शामिल हुआ हूं. मैं एतद् द्वारा वचन देता हूं कि मैंने उपरोक्त परीक्षा के लिए आवेदन के तिथि-वार विवरण के बारे में अपने
(प्रमाण-पत्र जारी करने वाले प्राधिकारी का नाम और पता)	हू. म एतद् द्वारा वचन दता हूं कि मन उपराक्त पराक्षा के लिए आवदन के तिथ-वार विवरण के बार में अपन वर्तमान नियोक्ता को स्वघोषणा/वचनबद्धता प्रस्तुत कर दी है जिसके लिए मैंने वर्तमान नियोक्ता को ज्वाइन
आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले आय और परिसंपत्तियों का प्रमाण-पत्र प्रमाण पत्र सं	करने से पहले ही आवेदन किया था.
जनारा पत्र संवर्ष के लिए मान्य	(घ) मैंने सिविल साइड में सरकारी नौकरी पाने के लिए भूतपूर्व सैनिक के रूप में आरक्षण का लाभ लिया है. मैंने
यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारीपुत्र/पुत्री/पत्नी	के कार्यालय में दिनांक को के रूप में कार्यभार ग्रहण
ग्राम/गली जिला पिन कोड	किया है. इसलिए मैं केवल आयु में छूट के योग्य हूं. मैं एतद् द्वारा घोषणा करता हूं कि उपर दिए गए कथन मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विष्वास के अनुसार सत्य हैं और पूर्णतः
राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के स्थायी निवासी हैं, जिसकी तस्वीर नीचे सत्यापित की गई है, वह आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों से संबंधित है क्योंकि उस पुरुष/महिला के परिवार की कुल वार्षिक आय वित्तीय	सही हैं. मैं समझता हूं कि किसी भी स्तर पर कोई भी सूचना गलत पाए जाने की स्थिति में मेरी अभ्यर्थिता/नियुक्ति
ह, वह आर्थिक रूप से कमजार वंगा से संबंधित है क्यांक उस पुरुष/महिला के परिवार का कुल वार्षिक आये वित्ताय वर्षके लिए 8 लाख (आठ लाख मात्र) से कम है। पुरुष/महिला के परिवार के पास निम्नलिखित में	रद्द की जा सकती है.
से कोई परिसंपत्ति नहीं है:-	तिथिहस्ताक्षर
I. 05 एकड़ एवं उससे अधिक कृषि भूमि;	नामअनुक्रमांकअनुक्रमांक
II. 1000 वर्ग फुट और उससे अधिक का आवासीय फ्लैट;	सशस्त्र बल में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि
III. अधिसूचित नगरपालिकाओं में 100 वर्ग गज या उससे अधिक का आवासीय भूखंड; IV. अधिसूचित नगरपालिकाओं के अलावा अन्य क्षेत्रों में 200 वर्ग गज से अधिक का आवासीय भूखंड.	कार्यमुक्ति की तिथि
 श्री/श्रीमती/कुमारी जो जाति से संबंधित हैं, जो अनुसूचित जाति, 	अंतिम इकाई/ कॉ र्पस
अनुसूचित जनजाति और अति पिछड़ा वर्ग (केन्द्रीय सूची) के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं हैं.	मोबाईल संई-मेल आ ईडी
हस्ताक्षर, कार्यालय की मोहर सहित	
आवेदक का हाल का पासपोर्ट	अनुलग्नक-X केऔसुब में कार्यरत कार्मिकों के बच्चों/और पति/पत्नी के लिए प्रमाण-पत्र
	अनुलग्नक-X केऔसुब में कार्यरत कार्मिकों के बच्चों/और पति/पत्नी के लिए प्रमाण-पत्र प्रमाणित किया जाता है कि(अभ्यर्थी का नाम) केऔसुबनंबर
 आवेदक का हाल का पासपोर्ट जाम आकार का सत्यापित फोटो पदनाम * नोट: 1. आय में सभी न्नेत अर्थात् वेतन, कृषि, व्यवसाय, पेशा आदि शामिल हैं. 	अनुलग्नक-X केऔसुब में कार्यरत कार्मिकों के बच्चों/और पित/पत्नी के लिए प्रमाण-पत्र प्रमाणित किया जाता है कि (अध्यर्थी का नाम) केऔसुबनंबर पदनाम नाम नाम
आवेदक का हाल का पासपोर्ट जाकार का सत्यापित फोटो पदनाम	अनुलग्नक-X केऔसुब में कार्यरत कार्मिकों के बच्चों/और पित/पत्नी के लिए प्रमाण-पत्र प्रमाणित किया जाता है कि (अध्यर्थी का नाम) केऔसुबनंबर पदनाम नाम नाम
अावेदक का हाल का पासपोर्ट आकार का सत्यापित फोटो * नोट: 1. आय में सभी न्नेत अर्थात् वेतन, कृषि, व्यवसाय, पेशा आदि शामिल हैं. ** नोट: 2. इस प्रयोजन के लिए ''परिवार'' शब्द में वह व्यक्ति शामिल है, जो आरक्षण के लिए लाभ चाहता है, उसके माता-पिता और 18 वर्ष से कम आयु के भाई-बहन साथ-साथ उसके पति/पत्नी और 18 वर्ष से कम आयु के	अनुलग्नक-X के औसुब में कार्यरत कार्मिकों के बच्चों/और पति/पत्नी के लिए प्रमाण-पत्र प्रमाणित किया जाता है कि
अावेदक का हाल का पासपोर्ट आकार का सत्यापित फोटो पदनाम	अनुलग्नक-X के औसुब में कार्यरत कार्मिकों के बच्चों/और पित/पत्नी के लिए प्रमाण-पत्र प्रमाणित किया जाता है कि
* नोट: 1. आय में सभी त्रेत अर्थात् वेतन, कृषि, व्यवसाय, पेशा आदि शामिल हैं. ** नोट: 2. इस प्रयोजन के लिए ''परिवार'' शब्द में वह व्यक्ति शामिल हैं, जो आरक्षण के लिए लाभ चाहता है, उसके माता-पिता और 18 वर्ष से कम आयु के भाई-बहन साथ-साथ उसके पित/पत्नी और 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे भी शामिल हैं. *** नोट: 3. आर्थिक रूप से कमजोर वर्गकी स्थिति निर्धारित करने के लिए भूमि या संपत्ति धारण परीक्षण को लागू करते समय विभिन्न स्थानों/षहरों में ''परिवार द्वारा आयोजित संपत्ति को क्लब किया गया है.	अनुलग्नक-X केऔसुब में कार्यरत कार्मिकों के बच्चों/और पित/पत्नी के लिए प्रमाण-पत्र प्रमाणित किया जाता है कि
* नोटः 1. आय में सभी त्रेत अर्थात् वेतन, कृषि, व्यवसाय, पेशा आदि शामिल हैं. ** नोटः 2. इस प्रयोजन के लिए ''परिवार'' शब्द में वह व्यक्ति शामिल हैं, जो आरक्षण के लिए लाभ चाहता है, उसके माता-पिता और 18 वर्ष से कम आयु के भाई-बहन साथ-साथ उसके पित/पत्नी और 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे भी शामिल हैं. *** नोटः 3. आर्थिक रूप से कमजोर वर्गकी स्थिति निर्धारित करने के लिए भूमि या संपत्ति धारण परीक्षण को लागू करते समय विभिन्न स्थानों/षहरों में ''परिवार द्वारा आयोजित संपत्ति को क्लब किया गया है. # आय और परिसंपत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने वाले अधिकृत अधिकारियों की सूची:-	अनुलग्नक-X के औसुब में कार्यरत कार्मिकों के बच्चों/और पित/पत्नी के लिए प्रमाण-पत्र प्रमाणित किया जाता है कि
* नोटः 1. आय में सभी त्रेत अर्थात् वेतन, कृषि, व्यवसाय, पेशा आदि शामिल हैं. ** नोटः 2. इस प्रयोजन के लिए ''परिवार'' शब्द में वह व्यक्ति शामिल हैं, जो आरक्षण के लिए लाभ चाहता है, उसके माता-पिता और 18 वर्ष से कम आयु के भाई-बहन साथ-साथ उसके पित/पत्नी और 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे भी शामिल हैं. *** नोटः 3. आर्थिक रूप से कमजोर वर्गकी स्थिति निर्धारित करने के लिए भूमि या संपत्ति धारण परीक्षण को लागू करते समय विभिन्न स्थानों/षहरों में ''परिवार द्वारा आयोजित संपत्ति को क्लब किया गया है. # आय और परिसंपत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने वाले अधिकृत अधिकारियों की सूची:- (i) जिला मजिस्ट्रेट/अपर जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर/उपायुक्त/अतिरिक्त उपायुक्त/प्रथम श्रेणीवजीफ मजिस्ट्रेट/उप	अनुलग्नक-X के औसुब में कार्यरत कार्मिकों के बच्चों/और पित/पत्नी के लिए प्रमाण-पत्र प्रमाणित किया जाता है कि
आवेदक का हाल का पासपोर्ट आकार का सत्यापित फोटो * नोट: 1. आय में सभी त्रेत अर्थात् वेतन, कृषि, व्यवसाय, पेशा आदि शामिल हैं. ** नोट: 2. इस प्रयोजन के लिए ''परिवार'' शब्द में वह व्यक्ति शामिल है, जो आरक्षण के लिए लाभ चाहता है, उसके माता-पिता और 18 वर्ष से कम आयु के भाई-बहन साथ-साथ उसके पित/पत्नी और 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे भी शामिल हैं. *** नोट: 3. आर्थिक रूप से कमजोर वर्गकी स्थिति निधारित करने के लिए भूमि या संपत्ति धारण परीक्षण को लागू करते समय विभिन्न स्थानों/षहरों में ''परिवार द्वारा आयोजित संपत्ति को क्लब किया गया है. # आय और परिसंपत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने वाले अधिकृत अधिकारियों की सूची:- (i) जिला मजिस्ट्रेट/अपर जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर/उपायुक्त/अतिरिक्त सहायक आयुक्त।	अनुलग्नक-X केऔसुब में कार्यरत कार्मिकों के बच्चों/और पित/पत्नी के लिए प्रमाण-पत्र प्रमाणित किया जाता है कि
* नोटः 1. आय में सभी त्रेत अर्थात् वेतन, कृषि, व्यवसाय, पेशा आदि शामिल हैं. ** नोटः 2. इस प्रयोजन के लिए ''परिवार'' शब्द में वह व्यक्ति शामिल हैं, जो आरक्षण के लिए लाभ चाहता है, उसके माता-पिता और 18 वर्ष से कम आयु के भाई-बहन साथ-साथ उसके पित/पत्नी और 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे भी शामिल हैं. *** नोटः 3. आर्थिक रूप से कमजोर वर्गकी स्थिति निर्धारित करने के लिए भूमि या संपत्ति धारण परीक्षण को लागू करते समय विभिन्न स्थानों/षहरों में ''परिवार द्वारा आयोजित संपत्ति को क्लब किया गया है. # आय और परिसंपत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने वाले अधिकृत अधिकारियों की सूची:- (i) जिला मजिस्ट्रेट/अपर जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर/उपायुक्त/अतिरिक्त उपायुक्त/प्रथम श्रेणीवजीफ मजिस्ट्रेट/उप विभागीय मजिस्ट्रेट/आत्र तुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त सहायक आयुक्त। (ii) मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट। (iii) राजस्व अधिकारी तहसीलदार के पद से नीचे का नहीं होना चाहिए और	अनुलग्नक-X के औसुब में कार्यरत कार्मिकों के बच्चों/और पित/पत्नी के लिए प्रमाण-पत्र प्रमाणित किया जाता है कि
* नोट: 1. आय में सभी त्रेत अर्थात् वेतन, कृषि, व्यवसाय, पेशा आदि शामिल हैं. ** नोट: 2. इस प्रयोजन के लिए ''परिवार'' शब्द में वह व्यक्ति शामिल हैं, जो आरक्षण के लिए लाभ चाहता है, उसके माता-पिता और 18 वर्ष से कम आयु के भाई-बहन साथ-साथ उसके पित/पत्नी और 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे भी शामिल हैं. *** नोट: 3. आर्थिक रूप से कमजोर वर्गकी स्थिति निधारित करने के लिए भूमि या संपत्ति धारण परीक्षण को लागू करते समय विभिन्न स्थानों/षहरों में ''परिवार द्वारा आयोजित संपत्ति को क्लब किया गया है. # आय और परिसंपत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने वाले अधिकृत अधिकारियों की सूची:- (i) जिला मजिस्ट्रेट/अपर जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर/उपायुक्त/अतिरिक्त उपायुक्त/प्रथम श्रेणीवजीफ मजिस्ट्रेट/उप विभागीय मजिस्ट्रेट/तालुका मजिस्ट्रेट/कार्यकारी मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त सहायक आयुक्त। (ii) मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट/प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट। (iii) राजस्व अधिकारी तहसीलदार के पद से नीचे का नहीं होना चाहिए और (iv) उप विभागीय अधिकारी या वह क्षेत्र जहां अध्यर्थी और/या उसका परिवार सामान्य रूप से रहते हैं।	अनुलग्नक-X केऔसुब में कार्यरत कार्मिकों के बच्चों/और पित/पत्नी के लिए प्रमाण-पत्र प्रमाणित किया जाता है कि
* नोट: 1. आय में सभी त्रेत अर्थात् वेतन, कृषि, व्यवसाय, पेशा आदि शामिल हैं. ** नोट: 2. इस प्रयोजन के लिए ''परिवार'' शब्द में वह व्यक्ति शामिल हैं, जो आरक्षण के लिए लाभ चाहता है, उसके माता-पिता और 18 वर्ष से कम आयु के भई-बहन साथ-साथ उसके पित/पत्नी और 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे भी शामिल हैं. *** नोट: 3. आर्थिक रूप से कमजोर वर्गकी स्थिति निधारित करने के लिए भूमि या संपत्ति धारण परीक्षण को लागू करते समय विभिन्न स्थानों/षहरों में ''परिवार द्वारा आयोजित संपत्ति को क्लब किया गया है. # आय और परिसंपत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने वाले अधिकृत अधिकारियों की सूची:- (i) जिला मजिस्ट्रेट/अपर जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर/उपायुक्त/अतिरिक्त उपायुक्त/प्रथम श्रेणीवजीफ मजिस्ट्रेट/उप विभागीय मजिस्ट्रेट/तालुका मजिस्ट्रेट/कलेक्टर/उपायुक्त/अतिरिक्त सहायक आयुक्त। (ii) मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट) (iii) राजस्व अधिकारी तहसीलदार के पद से नीचे का नहीं होना चाहिए और (iv) उप विभागीय अधिकारी या वह क्षेत्र जहां अभ्यर्थी और/या उसका परिवार सामान्य रूप से रहते हैं। अनुलग्नक -VI	अनुलग्नक-X के औसुब में कार्यरत कार्मिकों के बच्चों/और पित/पत्नी के लिए प्रमाण-पत्र प्रमाणित किया जाता है कि
* नोट: 1. आय में सभी त्रेत अर्थात् वेतन, कृषि, व्यवसाय, पेशा आदि शामिल हैं. ** नोट: 2. इस प्रयोजन के लिए ''परिवार'' शब्द में वह व्यक्ति शामिल हैं, जो आरक्षण के लिए लाभ चाहता है, उसके माता-पिता और 18 वर्ष से कम आयु के भाई-बहन साथ-साथ उसके पित/पत्नी और 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे भी शामिल हैं. *** नोट: 3. आर्थिक रूप से कमजोर वर्गकी स्थिति निर्धारित करने के लिए भूमि या संपत्ति धारण परीक्षण को लागू करते समय विभिन्न स्थानों/षहरों में ''परिवार द्वारा आयोजित संपत्ति को क्लब किया गया है. # आय और परिसंपत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने वाले अधिकृत अधिकारियों की सूची:- (i) जिला मजिस्ट्रेट/अपर जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर/उपायुक्त/अतिरिक्त उपायुक्त/प्रथम श्रेणीवजीफ मजिस्ट्रेट/उप विभागीय मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त सहायक आयुक्त। (ii) मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त सहायक आयुक्त। (iii) राजस्व अधिकारी तहसीलदार के पद से नीचे का नहीं होना चाहिए और (iv) उप विभागीय अधिकारी या वह क्षेत्र जहां अभ्यर्थी और/या उसका परिवार सामान्य रूप से रहते हैं। अनुलग्नक -VI कद या सीने की माप में छूट चाहने वाले अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तृत किए जाने वाले प्रमाण पत्र का प्रारूप	अनुलग्नक-X केऔसुब में कार्यरत कार्मिकों के बच्चों/और पित/पत्नी के लिए प्रमाण-पत्र प्रमाणित किया जाता है कि
* नोट: 1. आय में सभी त्रेत अर्थात् वेतन, कृषि, व्यवसाय, पेशा आदि शामिल हैं. ** नोट: 2. इस प्रयोजन के लिए ''परिवार'' शब्द में वह व्यक्ति शामिल हैं, जो आरक्षण के लिए लाभ चाहता है, उसके माता-पिता और 18 वर्ष से कम आयु के भई-बहन साथ-साथ उसके पित/पत्नी और 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे भी शामिल हैं. *** नोट: 3. आर्थिक रूप से कमजोर वर्गकी स्थिति निधारित करने के लिए भूमि या संपत्ति धारण परीक्षण को लागू करते समय विभिन्न स्थानों/षहरों में ''परिवार द्वारा आयोजित संपत्ति को क्लब किया गया है. # आय और परिसंपत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने वाले अधिकृत अधिकारियों की सूची:- (i) जिला मजिस्ट्रेट/अपर जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर/उपायुक्त/अतिरिक्त उपायुक्त/प्रथम श्रेणीवजीफ मजिस्ट्रेट/उप विभागीय मजिस्ट्रेट/तालुका मजिस्ट्रेट/कलेक्टर/उपायुक्त/अतिरिक्त सहायक आयुक्त। (ii) मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट) (iii) राजस्व अधिकारी तहसीलदार के पद से नीचे का नहीं होना चाहिए और (iv) उप विभागीय अधिकारी या वह क्षेत्र जहां अभ्यर्थी और/या उसका परिवार सामान्य रूप से रहते हैं। अनुलग्नक -VI	अनुलग्नक-X के औसुब में कार्यरत कार्मिकों के बच्चों/और पित/पत्नी के लिए प्रमाण-पत्र प्रमाणित किया जाता है कि
आवेदक का हाल का पासपोर्ट आकार का सत्यापित फोटो * नोट: 1. आय में सभी त्रेत अर्थात् वेतन, कृषि, व्यवसाय, पेशा आदि शामिल हैं. ** नोट: 2. इस प्रयोजन के लिए ''परिवार'' शब्द में वह व्यक्ति शामिल हैं, जो आरक्षण के लिए लाभ चाहता है, उसके माता-पिता और 18 वर्ष से कम आयु के भाई-बहन साथ-साथ उसके पित/पत्नी और 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे भी शामिल हैं. *** नोट: 3. आर्थिक रूप से कमजोर कांकी स्थिति निर्धारित करने के लिए भूमि या संपत्ति धारण परीक्षण को लागू करते समय विभिन्न स्थानों/षहरों में ''परिवार द्वारा आयोजित संपत्ति को क्लब किया गया है. # आय और परिसंपत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने वाले अधिकृत अधिकारियों की सूची:- (i) जिला मजिस्ट्रेट/अपर जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर/उपायुक्त/अतिरिक्त उपायुक्त/प्रथम श्रेणीवजीफ मजिस्ट्रेट/उप विभागीय मजिस्ट्रेट/आतिरिक्त मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त सहायक आयुक्त। (ii) मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट/प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट। (iii) राजस्व अधिकारी तहसीलदार के पद से नीचे का नही होना चाहिए और (iv) उप विभागीय अधिकारी या वह क्षेत्र जहां अभ्यर्थी और/या उसका परिवार सामान्य रूप से रहते हैं। अनुलग्नक -VI कद या सीने की माप में छूट चाहने वाले अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तृत किए जाने वाले प्रमाण पत्र का प्रारूप प्रमाणित किया जाता है कि श्री/कुमारी पुत्र/पुत्री, श्री गांव तहसील/तालुका गांव	अनुलग्नक-X प्रमाणित किया जाता है कि
आवेदक का हाल का पासपोर्ट आकार का सत्यापित फोटो * नोट: 1. आय में सभी त्रेत अर्थात् वेतन, कृषि, व्यवसाय, पेशा आदि शामिल हैं. ** नोट: 2. इस प्रयोजन के लिए ''परिवार'' शब्द में वह व्यक्ति शामिल हैं, जो आरक्षण के लिए लाभ चाहता है, उसके माता-पिता और 18 वर्ष से कम आयु के भाई-बहन साथ-साथ उसके पित/पत्नी और 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे भी शामिल हैं. *** नोट: 3. आर्थिक रूप से कमजोर कांकी स्थिति निर्धारित करने के लिए भूमि या संपत्ति धारण परीक्षण को लागू करते समय विभिन्न स्थानों/षहरों में ''परिवार द्वारा आयोजित संपत्ति को क्लब किया गया है. # आय और परिसंपत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने वाले अधिकृत अधिकारियों को सूची:- (i) जिला मजिस्ट्रेट/अपर जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर/उपायुक्त/अतिरिक्त उपायुक्त/प्रथम श्रेणीवजीफ मजिस्ट्रेट/उप विभागीय मजिस्ट्रेट/तालुका मजिस्ट्रेट/कलेक्टर/उपायुक्त/अतिरिक्त सहायक आयुक्त। (ii) मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट/ग्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट। (iii) राजस्व अधिकारी तहसीलदार के पद से नीचे का नही होना चाहिए और (iv) उप विभागीय अधिकारी या वह क्षेत्र जहां अभ्यर्थी और/या उसका परिवार सामान्य रूप से रहते हैं। अनुलग्नक -VI कद या सीने की माप में छूट चाहने वाले अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तूत किए जाने वाले प्रमाण पत्र का प्रारूप प्रमाणित किया जाता है कि श्री/कुमारी पुत्र/पुत्री, श्री गांव तहसील/तालुका जिला जिला जिला राज्य	अनुलग्नक-X प्रमाणित किया जाता है कि
* नोट: 1. आय में सभी त्रेत अर्थात् वेतन, कृषि, व्यवसाय, पेशा आदि शामिल हैं. ** नोट: 2. इस प्रयोजन के लिए ''परिवार'' शब्द में वह व्यक्ति शामिल हैं, जो आरक्षण के लिए लाभ चाहता है, उसके माता-पिता और 18 वर्ष से कम आयु के भाई-बहन साथ-साथ उसके पित/पत्नी और 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे भी शामिल हैं. *** नोट: 3. आर्थिक रूप से कमजोर वर्गकी स्थिति निर्धारित करने के लिए भूमि या संपत्ति धारण परीक्षण को लागू करते समय विभिन्न स्थानों/षहरों में ''परिवार द्वारा आयोजित संपत्ति को क्लब किया गया है. # आय और परिसंपत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने वाले अधिकृत अधिकारियों की सूची:- (i) जिला मिजस्ट्रेट/अपर जिला मिजस्ट्रेट/कलेक्टर/अपयुक्त/अतिरिक्त उपयुक्त/प्रथम श्रेणीवजीफ मिजस्ट्रेट/उप विभागीय मिजस्ट्रेट/आतिरिक्त मुख्य प्रेसीडेंसी मिजस्ट्रेट/अतिरिक्त सहायक आयुक्त। (ii) मुख्य प्रेसीडेंसी मिजस्ट्रेट/अतिरिक्त मुख्य प्रेसीडेंसी मिजस्ट्रेट/प्रेसीडेंसी मिजस्ट्रेट। (iii) राजस्व अधिकारी तहसीलदार के पद से नीचे का नहीं होना चाहिए और (iv) उप विभागीय अधिकारी या वह क्षेत्र जहां अभ्यर्थी और/या उसका परिवार सामान्य रूप से रहते हैं। अनुलग्नक -VI कद या सीने की माप में छूट चाहने वाले अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तूत किए जाने वाले प्रमाण पत्र का प्रारूप प्रमाणित किया जाता है कि श्री/कुमारी	अनुलग्नक-X के औसुब में कार्यरत कार्मिकों के बच्चों/और पति/पत्नी के लिए प्रमाण-पत्र प्रमाणित किया जाता है कि
* नोट: 1. आय में सभी त्रेत अर्थात् वेतन, कृषि, व्यवसाय, पेशा आदि शामिल हैं. ** नोट: 2. इस प्रयोजन के लिए ''परिवार'' शब्द में वह व्यक्ति शामिल हैं, जो आरक्षण के लिए लाभ चाहता है, उसके माता-पिता और 18 वर्ष से कम आयु के भाई-बहन साथ-साथ उसके पित/पत्नी और 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे भी शामिल हैं. *** नोट: 3. आर्थिक रूप से कमजोर वर्गकी स्थिति निर्धारित करने के लिए भूमि या संपत्ति धारण परीक्षण को लागू करते समय विभिन्न स्थानों/षहरों में ''परिवार द्वारा आयोजित संपत्ति को क्लब किया गया है. # आय और परिसंपत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने वाले अधिकृत अधिकारियों की सूची:- (i) जिला मिजस्ट्रेट/अपर जिला मिजस्ट्रेट/कार्यकारी मिजस्ट्रेट/अतिरिक्त उपायुक्त/प्रथम श्रेणीवजीफ मिजस्ट्रेट/उप विभागीय मिजस्ट्रेट/आतुका मिजस्ट्रेट/कार्यकारी मिजस्ट्रेट/अतिरिक्त सहायक आयुक्त। (ii) मुख्य प्रेसीडेंसी मिजस्ट्रेट/अतिरिक्त मुख्य प्रेसीडेंसी मिजस्ट्रेट/प्रेसीडेंसी मिजस्ट्रेट/अतिरिक्त सहायक आयुक्त। (iii) राजस्व अधिकारी वहसीलदार के पद से नीचे का नही होना चाहिए और (iv) उप विभागीय अधिकारी या वह क्षेत्र जहां अभ्यर्थी और/या उसका परिवार सामान्य रूप से रहते हैं। अनुलग्नक -VI कद या सीने की माप में छूट चाहने वाले अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तृत किए जाने वाले प्रमाण पत्र का प्रारूप प्रमाणित किया जाता है कि श्री/कुमारी पृत्र(त्रालुका प्रमाण पत्र का प्रमाण पत्र का प्रारूप प्रमाणित किया जाता है कि:- भारत के संघ के अर्द्धसैनिक बलों में भर्ती के लिए कद और सीने की माप में छूट के लिए उल्लिखित सम्पूर्ण क्षेत्र के निवासी (गढ़वाली, कुमाऊनी, गोरखा, डोगरा, मराठा, सिक्कमी) के रूप में जाने जाते हैं. • वह (हिमाचल प्रदेश/जम्मू और कश्मीर के लेह एवं लद्दाख क्षेत्र /पृवॉत्तर राज्यों) से संबंधित है और	अनुलग्नक-X के औसुब में कार्यरत कार्मिकों के बच्चों/और पति/पत्नी के लिए प्रमाण-पत्र प्रमाणित किया जाता है कि
* नोट: 1. आय में सभी तेत अर्थात् वेतन, कृषि, व्यवसाय, पेशा आदि शामिल हैं. ** नोट: 2. इस प्रयोजन के लिए ''परिवार'' शब्द में वह व्यक्ति शामिल हैं, जो आरक्षण के लिए लाभ चाहता है, उसके माता-पिता और 18 वर्ष से कम आयु के भाई-बहन साथ-साथ उसके पित/पत्नी और 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे भी शामिल हैं. *** नोट: 3. आर्थिक रूप से कमजोर वर्गकी स्थिति निधारित करने के लिए भूमि या संपत्ति धारण परीक्षण को लागू करते समय विभिन्न स्थानों षहरों में ''परिवार द्वारा आयोजित संपत्ति को क्लब किया गया है. # आय और परिसंपत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने वाले अधिकृत अधिकारियों की सूची:- (i) जिला मजिस्ट्रेट/अपर जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर/उपायुक्त/अतिरिक्त उपायुक्त/प्रथम श्रेणीवजीप्त मजिस्ट्रेट/उप विभागीय मजिस्ट्रेट/आत्तिकत मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त सहायक आयुक्त। (ii) मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट/प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट। (iii) राजस्व अधिकारी तहसीलदार के पद से नीचे का नही होना चाहिए और (iv) उप विभागीय अधिकारी या वह क्षेत्र जहां अभ्यर्थी और/या उसका परिवार सामान्य रूप से रहते हैं। अनुलग्नक -VI कद या सीने की माप में छूट चाहने वाले अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाण पत्र का प्रारूप प्रमाणित किया जाता है कि श्री/कुमारी पृत्र पुत्री, श्री गांव तहसील/तालुका	अनुलग्नक-X के औसुब में कार्यरत कार्मिकों के बच्चों/और पति/पत्नी के लिए प्रमाण-पत्र प्रमाणित किया जाता है कि
* नोट: 1. आय में सभी त्रेत अर्थात् वेतन, कृषि, व्यवसाय, पेशा आदि शामिल हैं. ** नोट: 2. इस प्रयोजन के लिए ''परिवार'' शब्द में वह व्यक्ति शामिल हैं, जो आरक्षण के लिए लाभ चाहता है, उसके माता-पिता और 18 वर्ष से कम आयु के भाई-बहन साथ-साथ उसके पित/पत्नी और 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे भी शामिल हैं. *** नोट: 3. आर्थिक रूप से कमजोर वर्गको स्थिति निधारित करने के लिए भूमि या संपत्ति धारण परीक्षण को लागू करते समय विभिन्न स्थानों/षहरों में ''परिवार द्वारा आयोजित संपत्ति को क्लब किया गया है. # आय और परिसंपत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने वाले अधिकृत अधिकारियों की सूची:- (i) जिला मजिस्ट्रेट/अपर जिला मजिस्ट्रेट/कलंक्टर/उपायुक्त/अतिरिक्त उपायुक्त/प्रथम श्रेणीवजीप्त मजिस्ट्रेट/उप विभागीय मजिस्ट्रेट/जालुका मजिस्ट्रेट/कलंक्टर/उपायुक्त/अतिरिक्त उपायुक्त/प्रथम श्रेणीवजीप्त मजिस्ट्रेट/उप विभागीय मजिस्ट्रेट/आतिरिक्त मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट/प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट। (ii) ग्राजस्व अधिकारी तहसीलदार के पद से नीचे का नही होना चाहिए और (iv) उप विभागीय अधिकारी या वह क्षेत्र जहां अभ्यर्थी और/या उसका परिवार सामान्य रूप से रहते हैं। अनुलग्नक -VI कद या सीने की माप में छूट चाहने वाले अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तूत किए जाने वाले प्रमाण पत्र का प्रारूप प्रमाणित किया जाता है कि श्री/कुमारी पत्र जाता प्रसूत्त किए जाने वाले प्रमाण पत्र का प्रारूप प्रमाणित किया जाता है कि श्री/कुमारी जिला गांव जिला जिला गांव जिला गांव जिला जाता है कि श्री/कुमारी के स्थायी निवासी हैंस 2. यह भी प्रमाणित किया जाता है कि:- • भारत के संघ के अर्द्धसैनिक बलों में भर्ती के लिए कद और सीने की माप में छूट के लिए उल्लिखित सम्पूर्ण क्षेत्र के निवासी (गढ़वाली, कुमाऊनी, गोरखा, डोगरा, मराठा, सिक्कमी) के रूप में जाने जाते हैं. • वह	अनुलग्नक-X प्रमाणित किया जाता है कि
आवेदक का हाल का पासपोर्ट आकार का सत्यापित फोटो * नोट: 1. आय में सभी त्रेत अर्थात् वेतन, कृषि, व्यवसाय, पेशा आदि शामिल हैं. ** नोट: 2. इस प्रयोजन के लिए ''परिवार'' शब्द में वह व्यक्ति शामिल हैं. ** नोट: 3. आर्थ में सभी त्रेत अर्थात् वेतन, कृषि, व्यवसाय, पेशा आदि शामिल हैं. *** नोट: 3. आर्थिक रूप से कम आयु के भाई-बहन साथ-साथ उसके पति/पत्नी और 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे भी शामिल हैं. *** नोट: 3. आर्थिक रूप से कमजोर वर्गकी स्थिति निर्धारित करने के लिए भूमि या संपत्ति धारण परीक्षण को लागू करते समय विभिन्न स्थानों/षहरों में ''परिवार द्वारा आयोजित संपत्ति को क्लब किया गया है. # आय और परिसंपत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने वाले अधिकृत अधिकारियों को सूचीः- (i) जिला मजिस्ट्रेट/अपर जिला मजिस्ट्रेट/कलंकटर/अप्रायुक्त/अतिरिक्त उपायुक्त/प्रथम श्रेणीवजीफ मजिस्ट्रेट/उप विभागीय मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त सहायक अयुक्त। (ii) मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त सहायक अध्वकत। (iii) राजस्व अधिकारी तहसीलदार के पद से नीचे का नही होना चाहिए और (iv) उप विभागीय अधिकारी या वह क्षेत्र जहां अभ्यर्थी और/या उसका परिवार सामान्य रूप से रहते हैं। अनुलग्नक -VI कद या सीने की माप में छूट चाहने वाले अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तूत किए जाने वाले प्रमाण पत्र का प्रारूप प्रमाणित किया जाता है कि श्री/कुमारी	अनुलग्नक-X प्रमाणित किया जाता है कि
अत्वेदक का झल का पासपोर्ट आकार का सत्यापित फोटो * नोट: 1. आय में सभी त्रेत अर्थात् वेतन, कृषि, व्यवसाय, पेशा आदि शामिल हैं. ** नोट: 2. इस प्रयोजन के लिए ''परिवार'' शब्द में वह व्यक्ति शामिल हैं, जो आरक्षण के लिए लाभ चाहता है, उसके माता-पिता और 18 वर्ष से कम आयु के भई- बहन साथ-साथ उसके पित/पत्नी और 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे भी शामिल हैं. *** नोट: 3. आर्थिक रूप से कमजोर वर्गकी स्थिति निधारित करने के लिए भूमि या संपित्त धारण परीक्षण को लागू करते समय विभिन्न स्थानों पहरों में ''परिवार द्वारा आयोजित संपित को क्लब किया गया है. # आय और परिसंपित्त प्रमाण-पत्र जारी करने वाले अधिकृत अधिकारियों को सूचीः- (i) जिला मजिस्ट्रेट/अपर जिला मजिस्ट्रेट/कार्यकारी मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त उपायुक्त/अधिकार अधुक्त। (ii) मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त सहायक आयुक्त। (iii) राजस्व अधिकारी तहसीलदार के पद से नीचे का नहीं होना चाहिए और (iv) उप विभागीय अधिकारी या वह क्षेत्र जहां अध्यर्थी और/या उसका परिवार सामान्य रूप से रहते हैं। अनुलगनक -VI कद या सीने की माप में छूट चाहने वाले अध्यर्थियों द्वारा प्रस्तृत किए जाने वाले प्रमाण पत्र का प्रारूप प्रमाणित किया जाता है कि श्री/कुमारी पुत्र/पुत्री, श्री जान जाते हैं. • यह भी प्रमाणित किया जाता है किः- • भारत के संघ के अर्द्धसैनिक बलों में भर्ती के लिए कद और सीने की माप में छूट के लिए उल्लिखत सम्पूर्ण क्षेत्र के निवासी (गढ़वाली, कुमाऊनी, गोरखा, डोगरा, मराठा, सिक्कमी) के रूप में जाने जाते हैं. • वह	के औसुब में कार्यरत कार्मिकों के बच्चों/और पति/पत्नी के लिए प्रमाण-पत्र प्रमाणित किया जाता है कि
अत्वेदक का झल का पासपोर्ट आकार का सत्यापित फोटो * नोट: 1. आय में सभी त्रेत अर्थात् वेतन, कृषि, व्यवसाय, पेशा आदि शामिल हैं. ** नोट: 2. इस प्रयोजन के लिए ''परिवार'' शब्द में वह व्यक्ति शामिल हैं, जो आरक्षण के लिए लाभ चाहता है, उसके माता-पिता और 18 वर्ष से कम आयु के भाई- बहन साथ-साथ उसके पित/पत्नी और 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे भी शामिल हैं. *** नोट: 3. आर्थिक रूप से कमजोर वर्गकी स्थिति निधारित करने के लिए भूमि या संपत्ति धारण परीक्षण को लागू करते समय विभिन्न स्थानों पहरों में ''परिवार द्वारा आयोजित संपत्ति को क्लब किया गया है. # आय और परिसंपत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने वाले अधिकृत अधिकारियों को सूचीः- (i) जिला मजिस्ट्रेट/अपर जिला मजिस्ट्रेट/कार्यकारी मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त सहायक आयुकत। (ii) मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त सहायक आयुकत। (iii) राजस्व अधिकारी तहसीलदार के पद से नीचे का नहीं होना चाहिए और (iv) उप विभागीय अधिकारी या वह क्षेत्र जहां अभ्यर्थी और/या उसका परिवार सामान्य रूप से रहते हैं। अनुलगनक -VI कद या सीने की माप में छूट चाहने वाले अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाण पत्र का प्रारूप प्रमाणित किया जाता है कि श्री/कुमारी पुत्र/पुत्री, श्री गांव तहसील/तालुका	अनुलग्नक-X प्रमाणित किया जाता है कि
अत्रवेदक का हाल का पासपोर्ट आकार का सत्यापित फोटो * नोट: 1. आव में सभी त्रेत अर्थात् वेतन, कृषि, व्यवसाय, पेशा आदि शामिल हैं. ** नोट: 2. इस प्रयोजन के लिए ''परिवार'' शब्द में वह व्यक्ति शामिल हैं, जो आरक्षण के लिए लाभ चाहता है, उसके माता-पिता और 18 वर्ष से कम आयु के भाई-बहन साथ-साथ उसके पित/पत्नी और 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे भी शामिल हैं. *** नोट: 3. आर्थिक रूप से कमजोर वर्गकी स्थिति निधारित करने के लिए भूमि या संपत्ति धारण परीक्षण को लागू करते समय विभिन्न स्थानों, पहरों में ''परिवार द्वारा आयोजित संपत्ति को क्लब किया गया है. # आय और परिसंपत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने वाले अधिकृत अधिकारियों की सूचीः- (i) जिला मजिस्ट्रेट/अपर जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर/उपायुक्त/अतिरिक्त उपायुक्त/प्रथम श्रेणीवजीफ मजिस्ट्रेट/उप विभागीय मजिस्ट्रेट/आतिरिक्त मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट/अपतिरिक्त सहायक आयुक्त। (ii) मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त सहायक आयुक्त। (iii) राजस्व अधिकारी तहसीलदार के पर से नीचे का नहीं झेना चाहिए और (iv) उप विभागीय अधिकारी या वह क्षेत्र जहां अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाण पत्र का प्रारूप अमुणीय किया जाता है कि श्री/कुमारी पुत्र,पुत्री, श्री पुत्र,पुत्री, श्री अमुलग्नक -VI कद या सीने की माप में छूट चाहने वाले अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाण पत्र का प्रारूप माणित किया जाता है कि:- • भारत के संघ के अर्द्धसैनिक बलों में भर्ती के लिए कद और सीने की माप में छूट के लिए उल्लिखित सम्पूर्ण क्षेत्र के निवासी (गढ़वाली, कुमाऊनी, गोरखा, डोगरा, मराज्ञ, सिक्कमी) के रूप में जाने जाते हैं. • वह	के औसुब में कार्यरत कार्मिकों के बच्चों/और पति/पत्नी के लिए प्रमाण-पत्र प्रमाणित किया जाता है कि
अत्वेदक का झल का पासपोर्ट आकार का सत्यापित फोटो * नोट: 1. आय में सभी त्रेत अर्थात् वेतन, कृषि, व्यवसाय, पेशा आदि शामिल हैं. ** नोट: 2. इस प्रयोजन के लिए ''परिवार'' शब्द में वह व्यक्ति शामिल हैं, जो आरक्षण के लिए लाभ चाहता है, उसके माता-पिता और 18 वर्ष से कम आयु के भाई- बहन साथ-साथ उसके पित/पत्नी और 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे भी शामिल हैं. *** नोट: 3. आर्थिक रूप से कमजोर वर्गकी स्थिति निधारित करने के लिए भूमि या संपत्ति धारण परीक्षण को लागू करते समय विभिन्न स्थानों पहरों में ''परिवार द्वारा आयोजित संपत्ति को क्लब किया गया है. # आय और परिसंपत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने वाले अधिकृत अधिकारियों को सूचीः- (i) जिला मजिस्ट्रेट/अपर जिला मजिस्ट्रेट/कार्यकारी मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त सहायक आयुकत। (ii) मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त सहायक आयुकत। (iii) राजस्व अधिकारी तहसीलदार के पद से नीचे का नहीं होना चाहिए और (iv) उप विभागीय अधिकारी या वह क्षेत्र जहां अभ्यर्थी और/या उसका परिवार सामान्य रूप से रहते हैं। अनुलगनक -VI कद या सीने की माप में छूट चाहने वाले अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाण पत्र का प्रारूप प्रमाणित किया जाता है कि श्री/कुमारी पुत्र/पुत्री, श्री गांव तहसील/तालुका	के औसुब में कार्यरत कार्मिकों के बच्चों/और पित/पत्नी के लिए प्रमाण-पत्र प्रमाणित किया जाता है कि
अग्रेदक का हाल का पासपोर्ट आकार का सल्यापित फोटो * नोट: 1. आय में सभी त्रेत अर्थात् वेतन, कृषि, व्यवसाय, पेशा आदि शामिल हैं. ** नोट: 2. इस प्रयोजन के लिए ''परिवार'' शब्द में वह व्यवित शामिल हैं, जो आरक्षण के लिए लाभ चाहता है, उसके माता-पिता और 18 वर्ष से कम आयु के भाई-बहन साथ-साथ उसके पति,पत्नी और 18 वर्ष से कम आयु के बच्च भी शामिल हैं. *** नोट: 3. आर्थिक रूप से कमजार कांकी स्थित निधारित करने के लिए भूमि या संपत्ति धारण परीक्षण को लागू करते समय विभिन्न स्थानों पहरों में ''परिवार' हारा आर्थोजित संपत्ति को क्लब किया गया है. # आय और परिसंपत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने वाले अधिकृत अधिकारियों को सूची:- (i) जिला मजिस्ट्रेट/अपर जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर/अगयुक्त/अतिरिक्त उपायुक्त/प्रथम श्रेणीवजीफ मजिस्ट्रेट/उप विभागीय मजिस्ट्रेट/आतिरिक्त सुख्य प्रसीईसी मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त सहायक आयुक्त। (ii) मुख्य प्रेसीईसी मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त सुख्य प्रसीईसी मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त सहायक आयुक्त। (ii) उप विभागीय अधिकारी वा वह क्षेत्र जहां अध्यर्थि और/या उसका परिवार सामान्य रूप से रहते हैं। अनुलग्नक -VI कद या सीने की माप में छूट चाहने वाले अध्यर्थियों द्वारा प्रस्तूत किए जाने वाले प्रमाण पत्र का प्रारूप प्रमाणित किया जाता है कि: अनुलग्नक -VI कद या सीने की माप में छूट चाहने वाले अध्यर्थियों द्वारा प्रस्तूत किए जाने वाले प्रमाण पत्र का प्रारूप प्रमाणित किया जाता है कि: अनुलग्नक -VI कर वह भा प्रमाणित किया जाता है कि: भारत के संघ के अर्द्धसैनिक बलों में भर्ती के लिए कद और सीने की माप में छूट के लिए उल्लिखित सम्पूर्ण क्षेत्र के संघ के अर्द्धसैनिक बलों में भर्ती के लिए कद और सीने की माप में छूट देने पर विचार किया जाता है. कहः	के औसुब में कार्यरत कार्मिकों के बच्चों/और पति/पत्नी के लिए प्रमाण-पत्र प्रमणित किया जाता है कि
अगवेदक का हाल का पासपोर्ट आकार का सल्यापित फोटो * नोट: 1. आय में सभी जेत अर्थात् लेतन, कृषि, व्यवसाय, पेशा आदि शामिल हैं. ** नोट: 2. इस प्रयोजन के लिए 'परिवार'' शब्द में वह व्यवित शामिल है, जो आरक्षण के लिए लाभ चाहता है, बच्चे भी शामिल हैं. *** नोट: 3. आर्थिक रूप से कम आयु के भाई-बहन साथ-साथ उसके पति,पती और 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे भी शामिल हैं. *** नोट: 3. आर्थिक रूप से कमजोर वर्णकी स्थिति निर्धारित करने के लिए भूमि या संपत्ति धारण परीक्षण को लागू करते समय विभिन्न स्थानों/बहरों में 'परिवार हारा आयोजित संपत्ति को वलब किया गया है. # आय और परिसंपत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने वाले अधिकृत अधिकारियों को सूची:- (i) जिला मिलस्ट्रेट/अपर जिला मेजिस्ट्रेट/कलेवकर/अगुद्रक्त/अतिरिक्त उपायुक्त/प्रथम श्रेणीवजीफ मिलस्ट्रेट/उप विभागीय मिलस्ट्रेट/अतिरिक्त मुख्य प्रेसीडेंसी मिलस्ट्रेट/उप विभागीय मिलस्ट्रेट/अतिरिक्त मुख्य प्रेसीडेंसी मिलस्ट्रेट/अतिरिक्त सुख्य प्रसाम मिलस्ट्रेट/अपर्याण क्रिक्त प्रमाणित किया जाता है कि श्री/कुमारी चहसीलिक सुख्य के अध्यस्थियों हुपर प्रमाणित किया जाता है कि श्री/कुमारी मिलस्ट्रेट/अपर्याण क्रिक्त प्रसाम मिलस्ट्रेट/अपराम मिल	के औसुब में कार्यरत कार्मिकों के बच्चों/और पति/पत्नी के लिए प्रमाण-पन्न प्रमाणित किया जाता है कि
अग्रेदक का हाल का पासपोर्ट आकार का सल्यापित फोटो * नोट: 1. आय में सभी त्रेत अर्थात् वेतन, कृषि, व्यवसाय, पेशा आदि शामिल हैं. ** नोट: 2. इस प्रयोजन के लिए ''परिवार'' शब्द में वह व्यवित शामिल हैं, जो आरक्षण के लिए लाभ चाहता है, उसके माता-पिता और 18 वर्ष से कम आयु के भाई-बहन साथ-साथ उसके पति,पत्नी और 18 वर्ष से कम आयु के बच्च भी शामिल हैं. *** नोट: 3. आर्थिक रूप से कमजार कांकी स्थित निधारित करने के लिए भूमि या संपत्ति धारण परीक्षण को लागू करते समय विभिन्न स्थानों पहरों में ''परिवार' हारा आर्थोजित संपत्ति को क्लब किया गया है. # आय और परिसंपत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने वाले अधिकृत अधिकारियों को सूची:- (i) जिला मजिस्ट्रेट/अपर जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर/अगयुक्त/अतिरिक्त उपायुक्त/प्रथम श्रेणीवजीफ मजिस्ट्रेट/उप विभागीय मजिस्ट्रेट/आतिरिक्त सुख्य प्रसीईसी मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त सहायक आयुक्त। (ii) मुख्य प्रेसीईसी मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त सुख्य प्रसीईसी मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त सहायक आयुक्त। (ii) उप विभागीय अधिकारी वा वह क्षेत्र जहां अध्यर्थि और/या उसका परिवार सामान्य रूप से रहते हैं। अनुलग्नक -VI कद या सीने की माप में छूट चाहने वाले अध्यर्थियों द्वारा प्रस्तूत किए जाने वाले प्रमाण पत्र का प्रारूप प्रमाणित किया जाता है कि: अनुलग्नक -VI कद या सीने की माप में छूट चाहने वाले अध्यर्थियों द्वारा प्रस्तूत किए जाने वाले प्रमाण पत्र का प्रारूप प्रमाणित किया जाता है कि: अनुलग्नक -VI कर वह भा प्रमाणित किया जाता है कि: भारत के संघ के अर्द्धसैनिक बलों में भर्ती के लिए कद और सीने की माप में छूट के लिए उल्लिखित सम्पूर्ण क्षेत्र के संघ के अर्द्धसैनिक बलों में भर्ती के लिए कद और सीने की माप में छूट देने पर विचार किया जाता है. कहः	के औसुब में कार्यस्त कार्मिकों के बच्चों/और पति/पत्नी के लिए प्रमाण-पत्र प्रमाणित किया जाता है कि

2. मैं यह भी समझता हूँ कि मैं इस परीक्षा में शामिल भर्ती के संबंध में भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित रिक्ति पर सीबीसी 19113/11/0013/2425

सरपंच/नम्बरदार/नायब तहसीलदार

रो.स. 47/96